राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १६६६ का ४७ वां दिवस [संख्या ३५

बुधवार,
दिनांक १३ अप्रेल, १६६६.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

वित्त समितियों के मत-दान विषयक व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर वे उचित समझते हों तो जो समितियों के मतदान हो रहे हैं उनको ११ बजे के बजाय १२ बजे प्रारंभ किया जाये।

श्री मानसिंह महार (आमेर)
श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) } जी हां। Agreed

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, वन, वित्त, विद्युत्, श्रम, यातायात, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण व आबकारी विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ७४२।

प्रधान के खिलाफ जांच

७४२, **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि प्रधान पंचायत समिति डीडवाना को नवम्बर, १६६४ में सस्पेन्ड किया गया था? अगर हां तो इसके क्या क्या कारण थे?

(२) सस्पेन्ड करने के बाद उनके खिलाफ लगाये गये चार्जेज की क्या जांच की गई? अगर हां, तो जांच का क्या नतीजा रहा है?

(३) क्या यह सत्य है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी मंत्री महोदय उन पर अभी तक राजनैतिक कारणों के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं?

(४) क्या यह सत्य है कि जांच रिपोर्ट से उक्त प्रधान के खिलाफ उनके विरुद्ध लगाये गये चार्जेज साबित हैं?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) माह नवम्बर, १६६३ में प्रधान के पद का दुरुपयोग व प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताएं करने पर सस्पेन्ड किया गया था।

(२) जी हां। प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित हुए हैं।

Page No. 2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) जी नहीं।

(४) जी हां। एक को छोड़ कर बाकी आरोप प्रमाणित हुए हैं।

श्री गंगासिंह : जब ये आरोप प्रमाणित हो चुके हैं, उसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अन्तिम नोटिस दे दिया गया है।

श्री गंगासिंह : यह अन्तिम नोटिस कब दिया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री गंगासिंह : अन्तिम फैसला कब हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास . यह तारीख भी मेरे पास नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आप यह कह सकते हैं कि यह लगभग ६ महीनों के अन्दर-अन्दर हुआ है या पहले हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा खयाल है १० : १५ रोज के अन्दर-अन्दर दिया गया है।

श्री गंगासिंह : आपके पास जांच रिपोर्ट कब आई?

श्री दामोदरलाल व्यास : अन्तिम नोटिस तभी दिया जाता है जब मैं एप्रूव कर देता हूं।

श्री गंगासिंह : आपके पास जांच रिपोर्ट कब आई?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख के लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, इसको कल के लिए रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री ने स्वीकार कर लिया है कि प्रधान के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित हुए हैं तो मैं समझता हूं कि इससे माननीय सदस्यों को सन्तोष होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह अन्तिम नोटिस कब दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने प्रमाणित होना स्वीकार किया है, उसी रोज नोटिस दिया गया। १५ या २० दिन के अन्दर–अन्दर दिया गया है। डेट मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : चार्जेज की इन्क्वायरी कब खत्म हुई?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री गंगासिंह : क्या यह सही है कि १२, १२ महीनों तक कागज़ात दबाकर रखे जाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे को अभी आए हुए भी १२ महीने नहीं हुये।

श्री गंगासिंह : क्या यह सही है कि यह पोलिटिकल कारणों से रोका गया था?

Page No. 3

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं राजनैतिक कारणों को जानता नहीं हूं। सरकारी कामों में राजनीति नहीं होती।

श्री भैरोंसिह : आप ऐसे भले आदमी हैं ?

प्रश्न संख्या ७४३

श्री **अध्यक्ष** : श्री हीराभाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

आबकारी विभाग कर विभाग से पृथक्करण

७४४. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य के आबकारी विभाग को कर विभाग से किस तारीख को पृथक किया गया ?

(२) इस पृथक्करण से राज्य सरकार का वार्षिक खर्चा कितना बढ़ा ?

(३) इस पृथक्करण के कारण अब तक किस श्रेणी के कितने अधिकारी कर विभाग में बढ़ाये गए हैं और कितने बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है ?

(४) वर्ष १९६० से इन विभागों के पृथक्करण तक की अवधि में कर विभाग द्वारा बकाया रकमों की किस प्रतिशत तक वसूली हुई थी और पृथक्करण के पश्चात् यह प्रतिशत क्या रही है ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी आया नहीं है। इसका उत्तर कल दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिह !

विद्युत् मंडल के कर्मचारियों को पेन्शन सम्बन्धी नियमों का लोभ

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सर्विस (एमेन्डमेंट) रूल्स, १९६४ द्वारा सेवा नियमों में परिवर्तन किया जा कर जो लाभ न्यू फेमिली पेन्शन के राज्य कर्मचारियों को दिए गये हैं वे राज्य विद्युत् मंडल में कार्य करने वाले व्यक्तियों को नहीं मिल रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि इन नियमों का लाभ राज्य विद्युत् मंडल के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी मिल सके ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) : (१) राजस्थान राज्यकीय विद्युत् मन्डल से भूतपूर्व इलेक्ट्रिकल व मेकेनिकल विभाग के कर्मचारियों को पेन्शन आदि राज्य सरकार से उनके नियमानुसार दी जाती है अतः वे ऐसा लाभ पाते हैं। विद्युत् मंडल द्वारा नियुक्त किए गये कर्मचारियों पर प्रॉविडेन्ट फन्ड स्कीम लागू है तथा उनको इन्हीं नियमों के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। पेन्शन का प्रावधान मंडल के कर्मचारियों के लिए नहीं है।

(२) जी नहीं। विद्युत् मंडल में प्रॉविडेन्ट फण्ड के नियम लागू हैं, पेन्शन के नियम लागू नहीं हैं।

Page No. 4

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सिक्योरिटी पॉइन्ट ऑफ व्यू से उनको लाभ पहुँचाने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह तो पी० एफ० और पेन्शन का प्रश्न है सिक्योरिटी का प्रश्न नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार ने राजस्थान सर्विसेज के लिए पेन्शन के रूल्स प्रकाशित किये हैं उसमें एक साल की सेवा के बाद किसी एम्पलॉई की मृत्यु हो जाती है तो वह फेमिली पेन्शन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार का नियम राजस्थान के कर्मचारियों के लिए है। उनके साथ नियम लागू है। बाकी के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का नियम क्यों नहीं लागू है।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अर्ज किया कि वहां पर दो तरह की व्यवस्था है। एक तो पेन्शन और दूसरा प्रॉवीडेन्ट फन्ड का। वे चाहें तो पेन्शन से गवर्न करें या पी० एफ० रूल्स में अपना ऑपशन करें। जो हमारे नियमों के अनुसार पेन्शन पाने का अधिकारी है वह उनको मिलेगी और इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड ने जिनकी नियुक्तियें की हैं उनको पी० एफ० की सुविधा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्रॉविडेन्ट फण्ड के रूल्स के अनुसार इस तरह के एक्सीडेन्टल केसेज में जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको इस प्रकार की सुविधा मिले, ऐसी व्यवस्था नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : प्रॉविडेन्ट फण्ड रूल्स अखिल भारतीय आधार पर बने हुए हैं, नियमों में क्या है और क्या नहीं है इस चर्चा में मैं नहीं पड़ सकता, इस समय।

श्री भैरोंसिंह : सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा प्राप्त है, जहां कि बहुत कम चान्सेज एक्सीडेन्ट्स के रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक्सीडेन्ट्स के बहुत चान्सेज रहते हैं, बिजली से चिपक कर मर जाने के चान्सेज अधिक रहते हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा राजस्थान में ही नहीं है जब कि अन्य राज्यों के विद्युत् मंडल हैं उनमें इस प्रकार की सुविधा है।

श्री चन्दनमल बैद : यह गलतफहमी दूर कर दूं। एक्सीडेन्ट से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये लेबर लॉज मौजूद हैं। लेबर लॉज के अनुसार उनको बेनिफिट मिलता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि अन्य राज्यों के विद्युत् मंडल हैं उनमें ऐसी व्यवस्था है, आपके यहां नहीं है। आप जानकारी कर लें कि दूसरे राज्यों के विद्युत् बोर्ड के कर्मचारियों के लिये वहां इस प्रकार की क्या व्यवस्था है और अपने कर्मचारियों पर लागू करना चाहें तो कर दें।

श्री चन्दनमल बैद : किस राज्य में क्या व्यवस्था है, यह माननीय सदस्य बता दें तो मैं वहां से जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। आपने तो सब बोर्डों का बता दिया, सबकी छानबीन करूं और नहीं मिला तो क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह : अन्य राज्यों के विद्युत् मंडलों के नियम राज्य विद्युत् मंडल के पास हैं, यह सवाल पहले भी उठा था और

Page No. 5

(श्री भैरोंसिह)

राजस्थान विद्युत मंडल के कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधा देने का आश्वासन दिया गया था। इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्न प्रोविडेन्ट फण्ड और पेन्शन में अन्तर करने का नहीं, मेरा निवेदन है कि एक्सीडेन्ट से जो कर्मचारी मर जाते हैं, उनको अन्य राज्यों के रूल्स के माफिक जो सुविधाएं मिलती हैं यह हमारे यहां के विद्युत मंडल के कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं और वे सुविधाएं लेबर लॉज से भी कवर नहीं होती हैं।

श्री चन्दनमल बैद : लेबर लॉज से कवर होती हैं।

श्री भैरोंसिह : राजस्थान राज्य के कर्मचारियों को एक्सीडेन्टल डैथ हो जाने पर पेन्शन आदि की जो सुविधाएं मिलती हैं, वे लेबर लॉज से नहीं मिलतीं। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को ये सुविधाएं मिल रही हैं तो विद्युत मंडल के कर्मचारियों को भी इस प्रकार की सुविधाएं दी जायं।

श्री हरिश्चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, इस पोइन्ट को मैं एग्जामिन करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : जोधसिंह !

उदयपुर काटन मिल के मजदूरों को

मजदूरी

७४६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर कॉटन मिल्स के मजदूरों को ओवर टाइम काम करने पर भी ओवर टाइम काम करने की मजदूरी नहीं दी जाती और न ही उनके ओवर टाइम करने का समय दर्ज किया जाता है ?

(२) क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

राजकीय संस्थान मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी नहीं। (२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोधसिंह चौहान : सरकार इस बात का पता क्यों नहीं लगाती कि उनको ओवर टाइम नहीं मिलता ?

श्री मथुरादास माथुर : इस प्रकार की एक भी शिकायत अभी तक भीलवाड़ा में जो फैक्टरीज के लिये इस प्रकार की ऑथोरीटीज हैं उनके पास नहीं आ रही है। इसलिये हम कह रहे हैं कि प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या उदयपुर में ओवर टाइम लिया ही नहीं जाता या पेमेन्ट नहीं किया जाता ओवर टाइम का ?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्न जुदा है। प्रश्न इतना ही है कि ओवर टाइम लिया गया और पेमेंट नहीं हुआ। हम कहते हैं कि जिस ऑथोरिटी के पास इस प्रकार की शिकायत आनी चाहिये उस ऑथोरिटी के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोधसिंह चौहान : वहां पर मजदूरों से ओवर टाइम काम लिया जाता है सरकार जांच करवाए, मेरे पास कई कर्मचारी आये, उन्होंने शिकायत की कि उनसे ओवर टाइम काम लिया जाता है, इनको ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता, वहां इन्टक की यूनियन है, दुर्गावतजी ने वहां मर्डर करवाया, इसलिये वहां के मजदूर भयभीत हैं, इसलिये साहस नहीं करते कि एप्लीकेशन दें। तो कहीं सरकार नौकरी से नहीं निकाल दे इसलिए सरकार से कर बद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस सब की जांच करवाइये वहां इन्टक की यूनियन है, पहले जो यूनियन थी उसको तोड़ दी, इन्टक की यूनियन और कॉटन मिल के अधिकारी मिलकर ओवर टाइम का पैसा खा जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना उचित नहीं है कि दुर्गावतने मर्डर करवाया है। न इसका उससे सम्बन्ध है। मैं समझता हूँ इसे रेकार्ड नहीं रखा जाय।

श्री जोधसिंह चौहान : मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने मर्डर कर वाया पर इस प्रकार की घटना वहां घटी है इससे वहां के मजदूर भयभीत हैं, वहां जो उनकी पहली यूनियन थी उसको तोड़ दिया इन्टक और मील के अधिकारी मिल कर ओवर टाइम का पैसा खा जाते हैं। कई मजदूरों को जेल में ठूंस दिया। इसलिए वहां के मजदूर भयभीत हैं, इसलिए सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले की जांच करवाये उन लोगों से ओवर टाइम लिया जाता है. उसका उनको पैसा दिलवाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) खण्ड १ में लिखा है कि ओवर टाइम दर्ज नहीं किया जाता। तो क्या सरकार ने इसकी जांच करवाई है ?

श्री मथुरादास माथुर : लिया जाता है, तो दर्ज किया जाता है। सवाल यह है कि ओवर टाइम दर्ज किया गया और उनको पैसा पे नहीं किया गया। माननीय सदस्य को भाषण के लिये तो धन्यवाद है, पर भाषण नहीं दे कर के यही बता दें कि इस माह में इस तारीख को ओवर टाइम वर्क करवाया गया और पैसा नहीं दिया गया। तो इस सम्बन्ध में अवश्य जांच की जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओवर टाइम नहीं लिया गया, यह आप साधारण मान्यता के आधार पर कहते हैं या जांच के आधार पर ?

श्री मथुरादास माथुर : साधारण मान्यता के आधार पर कहता हूँ कि मेरे पास कोई शिकायत ही नहीं आती।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : अगर यह आप जांच के आधार पर नहीं कहते तो आप "ओवर टाइम दर्ज किया जाता है," यह नहीं कह सकते, यह कह सकते हैं कि दर्ज किया जाता होगा।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया कि मुझे शिकायत दीजिये। मैं जांच करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रश्न में है कि ओवर टाइम दर्ज नहीं किया जाता तो उस दशा में सरकार का कर्तव्य था कि श्रम विभाग के अधिकारियों से इस चीज की जांच करवाती कि ओवर टाइम दर्ज

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किया जाता है या दर्ज नहीं किया जाता है ।

श्री मथुरादास माथुर : प्रश्न में यह है "क्या यह सही है कि उदयपुर काटन मिल्स में मजदूरों को ओवर टाइम काम करने पर भी ओवर टाइम काम करने की मजदूरी नहीं दी जाती है और न ही उनके ओवर टाइम काम करने का समय दर्ज किया जाता है ।"

तो इस दूसरे के बारे में मैंने अर्ज किया कि समय दर्ज किया जाता है, अगर स्पेसिफिक कम्प्लेन्ट दें कि दर्ज नहीं किया जाता है और काम लिया जाता है, एक भी मजदूर कह दे तो हम एक्शन लेने को तैयार हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न से बड़ी और क्या शिकायत हो सकती है, जब यह शिकायत है कि ओवर टाइम दर्ज नहीं किया जाता है तो आपने जांच क्यों नहीं करवाई ?

श्री मथुरादास माथुर : आपका प्रश्न आया तो जो ऑथोरिटी भीलवाड़ा में है उसे पुछवाया, उसने कहा हमारे यहां इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है । अब आप स्पेसिफिक नानपेमेंट की शिकायत करवा दीजिये, मैं जांच करवा लूंगा । जो आपने कहा दर्ज नहीं किया जाता, इसको मैंने नोटिस में ले लिया है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वहां फैक्ट्री में मजदूरों में आतंक है, इस बात की शिकायत करने की हिम्मत नहीं करते । सरकार मजदूरों की जाकर जांच करेगी या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : अगर माननीय सदस्य का कहना है कि भय के कारण लोग शिकायत करने को तैयार नहीं, तो वह दूसरा प्रश्न है, मैं अपने इन्सपेक्टर को भेज कर जांच करवा लूंगा ।

श्री जोर्धसिंह चौहान : धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

सार्वजनिक कुए के निर्माण हेतु धनराशि

७४७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन पंचायत समिति के द्वारा रड्डी पंचायत के भूतपूर्व सरपंच श्री रामकिशन को सार्वजनिक कुए के निर्माण हेतु धनराशि दी गई थी ?

(२) यदि हां, तो कब और कुल कितनी धनराशि ?

(३) क्या यह सही है कि सरपंच के द्वारा कुए का निर्माण नहीं करवाया गया और झूठे बिल, वाउचर देकर सरकार को धोखा दिया है ?

(४) क्या यह सही है कि रड्डी वडी की जनता ने इसकी जांच करने हेतु प्रधान, पंचायत समिति व जिला परिषद को प्रार्थना पत्र दिये हैं ?

(श्री मथुरादास माथुर)

(५) क्या यह सही है कि वर्तमान सरपंच ने भी ऐसी जानकारी पंचायत समिति को दी ?

(६) क्या यह सही है कि ऐसे निर्माण कार्य का ओवरसीयर, बी. डी. ओ. व प्रधान द्वारा दौरे के समय निरीक्षण किया जाता है ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच के विरुद्ध अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां ।

(२) दिनांक २२-३-६३ को ६००) रू० एवं दिनांक १-७-६३ को ४००) रू० कुल १०००) रू० दिये गये ।

(३), (४) और (५) : जी नहीं ।

(६) जी हां ।

(७) शिकायत तथ्यहीन होने से कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने प्रश्न के भाग ३, ४ और ५ का उत्तर दिया है "जी नहीं" । इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी शिकायत नहीं हुई है, ऐसा गबन नहीं हुआ है । साथ ही अन्त में लिखा है कि शिकायत की जांच करने पर तथ्यहीन पाई गई । जब आप चौथे भाग के उत्तर में "जी नहीं" कह चुके हैं तो फिर कैसे कहते हैं कि शिकायत तथ्य-हीन होने से कार्यवाही नहीं की गई ?

क्या यह सही है कि जिला परिषद और पंचायत समिति में गांव वालों द्वारा यह कह कर रिपोर्ट दी गई कि उस सरपंच ने कुआ नहीं खुदवा कर दूसरे ने कुआ खुदवाया था उसी को बताकर और झूठे बिल, वाउचर देकर धोखा दिया है ? पंचायत समिति में यह डिस्कस हुआ है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि ग्रामवासियों द्वारा आवेदन-पत्र जिलाधीश बूंदी को पेश किया गया था । जिलाधीश ने जांच करवाई, जांच के मध्य में शिकायत-कर्त्ताओं ने शपथपूर्वक कहा कि उनके द्वारा जो शिकायत का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था वह विरोधी पार्टियों के कहने और बहकाने पर किया था; वह तथ्यहीन है, वे किसी प्रकार की जांच करवाना नहीं चाहते । निर्माण कार्य का एक अधिकारी द्वारा निरीक्षण करवाया गया, शिकायत तथ्यहीन पाई गई ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : किसके द्वारा जांच करवाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कलक्टर के सामने बयान दिया ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं भी तो उस अधिकारी से मालूम करूं । उसका नाम बताएं जिसने जांच की और ये सारी चीजें तथ्यहीन पाईं ताकि वे ठीक जांच करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अधिकारी का नाम तो मेरे पास नहीं है; अगर चाहें तो नाम आपको भेज दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि जिन व्यक्तियों ने शिकायत की उनसे भी जांचकी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यही तो मैंने कहा। जांच के मध्य जो शिकायत करने वाले, प्रार्थना-पत्र देने वाले थे, उन्होंने कलक्टर के पास शपथपूर्वक बयान दिया कि उन्होंने विरोधी पार्टियो के बहकाने से शिकायत की, इसलिए शिकायत तथ्यहीन है, वह जांच नहीं करवाना चाहते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या ऐसे मामलों में सरकार आवश्यक नहीं समझती कि जहां सार्वजनिक धनका दुरुपयोग हुआ है तो सरकार इनीशिएटिव लेकर जांच करे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह पैसा कुए में लगाया।

श्री भैरोंसिंह : यह शिकायत करने से पहले या बाद में ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आज भी कुआं नहीं खुदा। उस मौके पर मैं चलने को तैयार हूं। आप भी पधारें। आज भी कुआं नहीं खुदा। सारे क्षेत्र में चर्चा है। इस मामले को दबाने की चेष्टा की जा रही है, आप अधिकारी का नाम बताएं।

श्री अध्यक्ष : ग्राम पंचायत ने शिकायत की है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जी हां। सरपंच को हटाया गया। पंचायत समिति और जिला परिषद दबाना चाहती हैं, इसी प्रकार से ओवरसीयर और बी. डी. ओ. भी दबाना चाहते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : आपको विश्वास होना चाहिये कि अगर यह सही है तो दुबारा जांच कराने को मैं तैयार हूं। मैं कलेक्टर को यह केस भेज दूंगा। आप उसको सहयोग दें।

प्रश्न संख्या ७४८

श्री अध्यक्ष : श्री मोहर सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स की खरीद

७४९. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि जुलाई-अगस्त १९६५ में जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल में वर्ष १९६५-६६ के लिए खरीदे जाने वाले सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट का टेस्टिंग हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स टाइम सर्जिकल के इन्स्ट्रूमेंटस सब-स्टैंडर्ड पाये गए थे ?

(३) क्या यह सही है कि सब-स्टैन्डर्ड पाये गए इन्स्ट्रूमेंट्स को भी उक्त खरीद

Page No. 10

(श्री अध्यक्ष)
की एप्रूव्ड लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया है ?

(४) क्या यह सही है कि इस प्रकार की कार्यवाही से सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान होगा ?

(५) क्या सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त जाँच करवाने का विचार करेगी ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(५) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि आपने जो खण्ड तीन के उत्तर में कहा 'जी नहीं', इसके बाद भी इस कम्पनी से सामान खरीदा गया है।

श्री दामोदर लाल व्यास : हां-हां तो ठीक है। आपने सवाल तीन में पूछा है कि क्या यह सही है कि सब-स्टैंडर्ड पाए गए इन्स्ट्रूमेंट्स को भी उक्त खरीद की एप्रूव्ड लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया है ? मैंने कहा "जी नहीं"।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब आपने उसको एप्रूव्ड-लिस्ट में इन्क्लूड नहीं किया तो फिर खरीद कैसे की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सिलेक्शन से पहले औजारों के सैम्पल्स देखे जाते हैं और उनकी जांच की जाती है। इस तरह से इन औजारों की भी जांच करने के लिए डॉक्टर जी० सी० शर्मा के पास भेज दिए और उनकी रिपोर्ट से जाहिर है कि औजार सब तरह से सही हैं, उनकी रिपोर्ट के आधार पर टाइम सर्जिकल्स के औजारों पर विचार किया गया। आपका कहना है कि :

With reference to your letter dated 18th August I wish to inform you that we have used the instruments in our operation theatre and have found them satisfactory."

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो जवाब दिया है, उसके जवाब में मैं सदन की मेज पर लैटर रखता हूं और उसका रिफरेंस देना उचित समझूंगा। ३० जुलाई, १९६५ को डाइरेक्टर ऑफ मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज जयपुर को लिखा है।

"Dear Sir,

We are surprised to learn from our Jaipur office representative, who was called by your office yesterday and to whom certain instruments were shown which had some rust on the joints and the serrated portions.

Time instruments are made out of special finest English Stainless steel and are not liable to be rusty.

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

We presume that the Timext instruments must have been got into the rough portions of Timext instrument which was with the slightest rubbing with cloth, disappeared and the same was shown to you by our representative, from which it is apparent that the rust had come out of other non-steel instruments and not from the Timext instruments.

Timext instruments can never be rusty even after hundreds of boiling operations and if boiled separately even rough surface will not be rusty.

It will not be out of place to add here that we have already made arrangements at our works to polish that the Joints and serrated portions too, so that even with the combined boiling, the Timext would stand against rust caused out of the other non steel instruments."

यह जो आपने डॉक्टर जी० सी० शर्मा का नाम लिया, अध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने यहां पर बाईल किया था, सैम्पल्स को इग्जेमिन किया था। सर्जीकल इन्स्ट्रूमेंट्स स्टेनलेस होते हैं। जब इनको एग्जामिन किया गया तो इसके अंदर रस्ट पाया गया। इस प्रकार की रिपोर्ट दी गई और मानी गई। स्वयं कंपनी ने जवाब दिया है, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की रसीद है। सिग्नेचर्स मौजूद हैं। आप कहते हैं कि कोई खराबी नहीं है, जंग लग गया, इन्स्ट्रूमेंट्स टूट गए, आप कहते हैं कि खामी नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कहा वह सही है। कुछ औजार जांच करने पर सब स्टेंडर्ड पाए गए थे, वे इस फर्म को वापस लौटाए गए तथा बिलों का भुगतान सही औजारों के मिलने पर ही किया। जो सब-स्टेंडर्ड पाए गए, वापिस लौटाये गए और दूसरे औजार आए, उनको डॉक्टर जी० सी० शर्मा ने ऑपरेशन थिएटर के अन्दर जांच करके लिखा कि ठीक हैं, तब पेमेंट किया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने जो १९६५-६६ में टेन्डर्स इन्वाइट किए इन औजारों के लिए, तो कितने टेन्डर्स को आपने एक्सेप्ट किया, कितने औजारों को एग्जामिन करने के लिए डॉ० जी० सी० शर्मा के पास भेजा और उनमें से कितने औजार थे जो बेकार पाए गए और अच्छे पाए गए? कितनों को आपने एक्सेप्ट किया?

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम कम्पनी के ही या दुनिया भर के ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सिर्फ टाइम सर्जिकल के।

श्री दामोदरलाल व्यास : List of instruments purchased from Delhi in the month of July-August on quotation on manufacture basis.

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आपने उत्तर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दिया। खंड ३ का मैंने पूछा: "क्या यह सही है कि सब-स्टैंडर्ड पाये गए इन्स्ट्रूमेंट को भी उक्त खरीद की एप्रूव्ड लिस्ट में सम्मिलित कर लिया गया है" आपने कहा "जी नहीं"। खंड २ में मेरा प्रश्न है कि टैस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार मैसर्स टाइम सर्जिकल के औजार सब-स्टैंडर्ड पाये गये थे ? आपने कहा "जी हां"। तीसरे जवाब में कहा "नहीं है।" मेरे पास पूरी पूरी लिस्ट है। जो मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा कि सब स्टेन्डर्ड के इन्स्ट्रूमेंट पाये गये उनको वापिस लौटा दिया गया। दूसरे रिप्लेस किये तो उनको टैस्ट कराया गया और टैस्ट कराने पर ठीक पाने पर ही उनका पेमेन्ट किया गया। मैं कब कह रहा हूं सब-स्टेन्डर्ड के नहीं पाये गये। पाये गये है। दूसरे भेजे उनको टैस्ट किया गया। उसके लिये सर्टिफाई हो गया, तब ही पैमेन्ट किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप यह बता दीजिये कि कौन कौनसे इन्स्ट्रूमेन्ट्स सब-स्टेन्डर्ड के पाये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिटेल्ड लिस्ट तो मेरे पास नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १२८ इन्स्ट्रूमेंट्स हैं। एप्रूव्ड लिस्ट पर ले लिये। मैं, उस कम्पनी ने जो लिखा वह पढ़ देता हूं।

"It gives us pleasure to inform you that the following items have been approved in our name by the Director of Medical & Health Services Raj., Jaipur for the year 1965--66. We shall be glad if you please arrange sending us orders for your requirements at an early date so that supplies may be made well in time"

इसके आधार पर ये १२८ आइटम आपने लिस्ट में ले लिये और उनको एप्रूव करके पेमेन्ट किया। आपका कहना यह है कि पहले भेजे खराब थे और उनको लौटा दिया गया। दुबारा भेजे तो उनका टैस्ट किया और फिर ठीक पाने पर पेमेंट किया। आप इस सदन को सेटिस्फाई करिये। पहले पहले कौन-कौन से इन्स्ट्रूमेन्ट्स, कौन कौन सी तारीख को टैस्ट के लिये भेजे गये और कब उनको रिजेक्ट किया गया चाहे जंग लगने के कारण आपने उनको वापिस किया हो वह कब किया। दूसरे इन्स्ट्रूमेंट भेजे उनको वापिस कब एक्जामिन किया और कब उनको ठीक पाया ? आप सारी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने रिपोर्ट पढ़ कर सुना दी। २२ आइटम थे कुल। उनमें से २१ ठीक थे और एक सब-स्टेन्डर्ड का पाया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया। यदि आप समझते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ी की गई है तो आप मुझसे कोआॅपरेट करिये। I am prepared to take your cooperation.

आप सवाल पूछते हैं उसका जबाब दे दिया। एडीशनल इन्फोर्मेशन आपके पास है।

You give me that, I shall be very grateful,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह सूचना देना चाहता हूं कि इस सदन से बढ़ कर और कोई बड़ी संस्था नहीं है और न हो सकती है। केवल इस कम्पनी को आजादी है। इसके जो एजेन्ट हैं वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और डा० बी. एन. शर्मा के दामाद हैं। खराब माल होने पर भी सारी की सारी चीजें ले ली गई इसका खास कारण यही है कि टाइम सर्जिकल कम्पनी के जो ऐजेन्ट हैं वे डा० बी. एन. शर्मा के दामाद हैं, उनके प्रयास के कारण उनको एप्रूव्ड लिस्ट में ले लिया गया और खरीद लिया गया। जिस वक्त ऑपरेशन किया जाता है और जंग लगा हुआ यदि इन्स्ट्रूमेन्ट आ गया और उस कारण टिटानस हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं, सिवाय मृत्यु के। इस प्रकार हजारों रुपयों का सामान खरीद कर जनता के साथ खिलवाड़ किया गया। मैं ये सारे के सारे कागजात सदन की मेज पर रखता हूं। इस दृष्टि से आप जांच करिये। रस्ट लगे हुए इन्स्ट्रूमेंट्स खरीदे गये जब कि स्टेनलैस स्टील के इन्स्ट्रूमेंट्स पर जंग नहीं लगता।

श्री दामोदर लाल व्यास : कागजात रख दें, एतराज नहीं है। ऐसे तथ्य बतायें। कुछ इन्स्ट्रूमेंट्स को सब-स्टेन्डर्ड का पाया गया, कोरेस्पोन्डेन्स हुई उसको रख रहे हैं। मैंने कहा कि जिनको सब-स्टेन्डर्ड का पाया उनको लौटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष : एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं थे तो क्यों ऑर्डर किया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास : एप्रूव्ड लिस्ट में थे।

श्री अध्यक्ष : आपने कहा कि एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं थे।

श्री दामोदर लाल व्यास : एप्रूव्ड लिस्ट में थे, लेकिन सब-स्टेन्डर्ड का पाया।

श्री अध्यक्ष : एप्रूव्ड लिस्ट में लेने पर स्टेन्डर्ड का ही दें और सब स्टेन्डर्ड का देते हैं तो ऑर्डर नहीं दिया जाय। आप यह देखिये कि एप्रूव्ड लिस्ट में थे या नहीं ?

(विराम)

आपके उत्तर के मुताबिक नहीं थे। बाद में ऑर्डर दिया। यह देखिये कि एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं थे तो ऑर्डर दिया गया तो क्यों दिया गया ? आज क्या स्थिति है ?

श्री दामोदर लाल व्यास : मैं जानकारी कर लूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (आसपुर): इसके अतिरिक्त मैं एक प्रश्न पूछना चाहूं कि मंत्री महोदय ने कहा कि वे इन्स्ट्रूमेंट्स लौटा दिये गये। सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स जंग चढ़े हुए थे तो उनको लौटाया क्यों गया ? उनको डैस्ट्रोय क्यों नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जंग चढ़ा हुआ नहीं माना है। जिस डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार यह है कि दूसरे इन्स्ट्रूमेंट्स के साथ उनको बोइल किया गया तो एक पर कालापन आ गया था।

श्री अध्यक्ष : आपकी रिपोर्ट में स्वीकार किया गया था कि कुछ पोर्शन पर था।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सब स्टेन्डर्ड के सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंटस पाये गये तो खरीदे क्यों गये ? खास कर इन्स्ट्रूमेंट्स जैसी चीजों में जब कि ऑपरेशन करते समय सर्जन के पास इस प्रकार के इन्स्ट्रूमेंट्स आजावेंगे तो सैप्टिक होगा और उससे बड़ी सोचनीय स्थिति पैदा हो जावेगी । लेकिन आपने उनको रिप्लेस कर लिया । आपने एक्शन क्या लिया ? जो इस प्रकार की कार्यवाही करे, उसके लिये आपने क्यों नहीं क्रिमिनल एक्शन लिया ब्लेक लिस्ट ही क्यों नहीं किया ?

श्री दामोदर लाल व्यास : एक्शन लेने लायक बात नहीं थी । जो इन्फोर्मेशन मेरे पास थी वह मैंने आपको दी । आपने जो इन्फोर्मेशन दी है उसके अनुसार जानकारी कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमान सिंह ।

नावां मारोठ सड़क

७५०. **श्री हनुमानसिंह चोधरी** (नावां) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नावां मारोठ सड़क को पक्की (मैटल रोड़) सड़क में परिवर्तित करने हेतु गत वर्ष कोई धन राशि स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि एवं आज तक उसमें से कितनी खर्च की गई ? यदि नही की गई, तो क्यों नहीं ?

(२) क्या सरकार को यह विदित है कि उक्त सड़क जिले की सबसे पुरानी व क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों में से एक होते हुए भी इसे मैटल्ड बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया ?

उप-मंत्री, गृह निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) वर्ष १९६४-६५ के बजट में नावां मारोठ मैटल रोड के लिये प्रावधान नहीं था ।

(२) नावां मारोठ रोड को पक्का बनाये जाने का कार्य स्वीकृत कर दिया है और कार्य चल रहा है ।

श्री हनुमानसिंह चोधरी : किस वर्ष के लिये स्वीकृत की गई ?

श्री परसराम मदेरणा : एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन तो १२.५.६५ को दी गई और टैकनिकल सेंक्शन ११.५.६५ को और ठेकेदार को १३.२.६५ को पूरा करना है । काम प्रगति कर रहा है ।

श्री हनुमानसिंह चोधरी : इस साल के लिए कितने रुपयों का प्रावधान रखा ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो प्रश्न पूछा है वह तो पिछले साल का है । फोर्थ फाइव इयर प्लान में इस सड़क को लिया गया है । एड्वान्स प्लानिंग के तौर पर ६५.६६ में ३० हजार का प्रावधान रखा था । फरवरी ६६ में ६ हजार का पेमैन्ट ठेकेदार को कर दिया गया । मार्च में कितना किया गया यह जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री हनुमानसिंह चोधरी : कार्य कैसे प्रगति कर रहा है ?

श्री परसराम मदेरणा : ८ मील तक मैटल्ड रोड में कन्वर्ट करना है । ठेकेदार

(श्री परसराम मदेरणा)

को दिया जा चुका है। टेन्डर लिये और वर्क अलॉट कर दिया। वर्क प्रोग्रेस में है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

रामगंज मण्डी तहसील में प्राइमरी स्कूलों के भवन

७५१. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे--

(१) रामगंज मंडी तहसील में ऐसे कितने प्राइमरी स्कूल हैं जिनके भवन बनवाने के लिए जनता से रकम वसूल की जाकर सरकार से अनुदान प्राप्त किया गया था और जो अब तक भी पूरे नहीं किये जा सके हैं? कृपया जनता से इकट्ठी की हुई रकम व सरकार से प्राप्त किये अनुदान की तफसील सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें? यह भी बतलावें कि यह रकम कब वसूल की गई थी?

(२) इन स्कूलों को बनवाने का कार्य किन व्यक्तियों को सौंपा गया था ग्राम विकास समितियों द्वारा काम नहीं करवाने के क्या कारण थे व ठेकेदारों को ठेका दे देने के बाद काम पूरा नहीं करवाने की जिम्मेदारी किनकी है?

(३) ठेकेदारों से पुरानी रकम वसूल करवाने व अधूरे भवनों को पूरा करने की दिशा में पंचायत समिति व सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किया गया है और इन मकानात को कब तक पूरा करा देने की सम्भावना है?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) स्कूल भवन बनवाने का कार्य चैयरमैन, विकास समिति, रामगंज मंडी को सौंपा गया था। ग्राम पंचायतों द्वारा यह कार्य करवाया जाना चाहिए था न कि ग्राम विकास समितियों की मार्फत। ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य नहीं करवाये जाने के व अधूरे रहने के कारणों की जांच करवाने के आदेश दे दिये गये हैं।

(३) ठेकेदारों से वसूली करने की कार्यवाही एस० डी० ओ० रामगंज मंडी के यहां चल रही है। अधूरे भवन पूरे करवाने के लिए पंचायत समिति द्वारा सम्बन्धित पंचायतों को अनुदान दिया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री जुझारसिंह : स्कूलों के बारे में निवेदन किया, इनके लिए आपने पब्लिक से श्रमदान नहीं, पैसे से डोनेशन लिया है। इस तरह से पब्लिक को जो अपनी तरफ से देना था वह दे चुकी। उनकी तरफ से देने का कुछ नहीं रह जाता है। फिर भी इनकम्पलीट रहने के क्या कारण हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो काम पंचायत समितियों द्वारा नहीं हुए उनको विकास समिति द्वारा करवाया गया है। और जो काम अधूरे रह गये वे क्यों रह गये, उसके लिए जांच कराने का आदेश दे दिया गया है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

तीसरा आपने यह पूछा कि अधूरे कामों के लिए क्या हो रहा है उसके लिए पंचायत समिति द्वारा अनुदान देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री जुझारसिंह : जो डोनेशन पब्लिक की तरफ से मिला और जो पैसा सरकार द्वारा दिया गया क्या उतनी कीमत के मकानात खड़े हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जांच हो रही है कि अधूरे काम क्यों पड़े हैं वाकई कितना खर्चा हो गया अनुदान दिया गया दो हजार श्रमदान आया दो हजार। इस तरह से जितना श्रमदान आया और जितना अनुदान दिया गया उतने का काम हुआ या नहीं। इसके लिए जांच कराई जा रही है।

श्री जुझारसिंह : यह लिस्ट जो दी गई है वह कम्पलीट लिस्ट नहीं हैं। इसमें १५ वर्क्स थे, लिस्ट के अन्दर सिर्फ तीन ही रह गये हैं जैसे गेंदिया में अनुदान और श्रमदान दोनों मिलाकर ५ हजार का टोटल होता है और जो मकान खड़े हुये हैं वे दो हजार के भी नहीं हैं। १३ वर्क्स का इस लिस्ट में उल्लेख नहीं है जिनके लिये पब्लिक का डोनेशन आ चुका था। इनमें भारी गड़बड़ियां हैं, एक्सट्रा रकम देकर कम्पलीट जिनको करा दिया है लेकिन जो पैसा दिया गया है उसमें भारी अम्बेजलमेन्ट हुआ है। इसकी जांच करके जो इसके लिए उत्तरदायी हों उन पर एक्शन लिया जाय। सड़कों के बारे में ऐसी ही बात है इस प्रकार से पब्लिक से रुपया लेकर के उसके मुताबिक काम नहीं होता। इस बारे में आपने पहले भी आश्वासन दिया था कि हम वसूली की कार्यवाही करेंगे लेकिन अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वसूली की कार्यवाही ठेकेदारों से की जा रही है पूरा पैसा नहीं लगाया गया है। कितना लगाया गया इसके लिए जांच के आदेश दिये हैं। मेरे पास तीन ही स्कूलों के नाम हैं। ज्यादा आपके पास हो तो लिस्ट दे दीजिये जानकारी करा लूंगा।

श्री जुझारसिंह : पहले भी इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था कि पी० डी० आर० की तहत वसूली की जायगी। लेकिन कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। मेरा यह कहना है कि जितना वसूल करते हैं और एक्सट्रा ग्रान्ट देकर मकानों को पूरा करें खाली यह कह कर टाल देते हैं कि कार्यवाही की जा रही है। दो साल पहले भी यह फरमाया था।

श्री दामोदरलाल व्यास : टाइम लिमिट दो महीने की देकर वसूली के आदेश दिए जायेंगे।

प्रश्न संख्या ७५२

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिए)

महाराज कुमार श्री बृजेन्द्रपाल।

निःशुल्क पुस्तकें देने के आदेश

निशुल्क पुस्तकें देने का आदेश

७५३. **महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल** (करौली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह सही है कि प्राइमरी स्कूलों की पांचवी कक्षा तक नि:शुल्क पुस्तकें देने की योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, करौली की शिक्षा समिति को स्वीकृति के आदेश तारीख ८ फरवरी, १९६६ को प्राप्त हुए ?

पंचायत मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं।

श्री बृजेन्द्रपाल : किस तारीख को आज्ञा प्राप्त हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पंचायत समिति से जानकारी करली गई। नि:शुल्क पुस्तकें देने की योजना के अन्तर्गत स्वीकृति के आदेश ८-२-६६ को प्राप्त नहीं हुए। विकास अधिकारी का कहना है कि पंचायत समिति द्वारा जो शिक्षा समिति बनाई हुई है वह रकम ३१-३-६६ तक खर्च कर सकती थी इसलिए ८-२-६६ को कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। किताबों के जहां तक मुफ्त वितरण का सवाल है पांचवी कक्षा तक वितरण करने का निर्णय लिया था लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण मुफ्त कपड़ा वगैरह का इन्तजाम करने की वजह से और केअर के प्रोग्राम की वजह से वह रकम उधर खर्च कर दी गई।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : यह आदेश तो जुलाई में हो जाने चाहिये, फरवरी-मार्च के आदेश पुस्तकों के क्या काम आएगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह निर्णय स्थायी समिति ने लिया था गवर्नमेंट -कोई ऑर्डर नहीं था केअर के दूध कपड़े के अन्दर ज्यादा रुपया खर्च हो गया। इसलिए इसको इम्पलीमेंट नहीं कर सके।

महाराजकुमार श्री बृजेन्द्रपाल : क्या आप इसकी जांच कराएंगे? किसी को इसके लिए दोषी ठहरायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच करने का सवाल ही नहीं है। यह इम्पलीमेंट ही नहीं हुआ।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) स्थायी कमेटी द्वारा कोई निर्णय लिया जाय, दूध और कपड़े के लिये कितने रुपये का प्रावधान रखा था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रवणलाल : कमिटी जब सिफारिश करती है, उसका रुपया दूसरी तरफ युटिलाइज़ कर देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुस्तकों का रुपया दूसरी जगह युटिलाइज़ कर दिया यह बात नहीं, स्थायी समिति ने प्रोवीज़न कर दिया था, रुपया नहीं था इसलिए खर्च नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

Page No. 18

ठेकेदारों को शराब

७५४. **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि वर्ष १९६४–६५ में कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिले में देशी शराब के ठेकेदारों को उनसे सम्बन्धित रेंज के गोदामों से शराब इस्यू नहीं किया जाकर अन्य गोदामों से इस्यू किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, आबकारी (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां । जब ठेकेदारों के रेंज के गोदामों में शराब का स्टॉक कम होता है, तो उनको अन्य गोदामों से शराब दिलाई जाती है । ताकि न तो सरकार को आबकारी शुल्क की हानि हो और न ठेकेदार को गारन्टी पूरी करने का उज्र हो ।

श्री गोविन्दसिंह : क्या यह प्रोग्राम नहीं है जहां से शराब दिया जाय जिस जगह के लिये दिया जाय, वहीं जाकर बेच सकता है?

श्री परसराम मदेरणा : बेचना तो उसी जगह पड़ेगा । वेअर हाउस ठेकेदारों के लिए जो रेन्ज निर्धारित कर दी है अगर उस पर शराब नहीं है तो वह अन्य वेअर हाउस से उसको शराब लाने के लिए इजाजत दे सकते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह : दूसरी जगह से लाने की इजाजत दे सकते हैं लेकिन बेचना तो उसी जगह पड़ेगा जहां के लिए उसका ठेका मंजूर है ।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा जगह नहीं बेच सकता जिस जगह दुकान दी गई है जिस दूकान की गारन्टी उठायी है वहीं पर बेच सकता है ।

श्री गोविन्दसिंह : अगर अपनी दूकान पर लाकर नहीं बेचता है और दूसरे ठेके से लाकर दूसरी जगह बेचता है तो क्या माननीय मन्त्री महोदय इन्क्वायरी करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मामला ६४–६५ का है । ६४–६५ में जिस जगह बेचना चाहिये उस जगह नहीं बेचकर दूसर जगह बेचा है तो यह पता लगाना बड़ा मुश्किल है । फिर भी अगर माननीय सदस्य ऐसी कोई जानकारी दें जिनमें तथ्य हों, दूसरी जगह बेचने के प्रूफ आपके पास हों तो मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं ।

श्री गोविन्दसिंह : आप जांच का आश्वासन दीजिए मैं आपको बताऊंगा कोटा के ठेकेदार हैं पिड़ावा, झालरा पाटन, खानपुर में शराब इस्यु हुआ ठेकेदार की गारन्टी पूरी नहीं हुई, वहाँ से शराब लाया गया और बीच में दूसरी जगह बेच दिया आपको यदि नाम बताये जाये तो क्या आप जांच करवाने के लिए तैयार हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : कोटा के ठेकेदार ने दूसरी जगह के ठेकेदार को दिया इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई । दूसरी जगह उसने यदि बेच दी हो, ऐसी जानकारी आपको हो उस जानकारी से मैं सेटिसफाई हो जाऊं तो मैं जांच करवाने के लिए तैयार हूं ।

श्री गोविन्दसिंह : मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ कि आप क्या इन्क्वायरी करेंगे इस

(श्री गोविन्दसिंह)

गारन्टी सिस्टम से सरकार को काफी हानि हो रही है। किसी को बड़ ठेका दे दिया उसका ठेका पूरा नहीं हुआ तो उसको ओब-लाइज करने के लिए दूसरी जगह से शराब इस्यु होती है जो रकम दूसरी जगह की थी वह तो छ महीने पहले ही प्राप्त हो चुकी। अगर वहां के लिए दूसरा शराब का अलाट-मेंट होता तो गारन्टी रकम बढ़ती। यह जो मोनोपोली कर रखी है बड़े बड़े शहरों के ठेकेदारों ने, उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। इससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार को कतई नुकसान नहीं है। जो गारन्टी से शराब उठनी चाहिये वह उठा दी गई। इसको परटीकुलर लोकेलिटी में बेचना चाहिये, वह नहीं बेची है तो इन्क्वायरी कर सकते हैं। माननीय सदस्य बतावें जिस बेसिस हर वे कहते हैं कि जिस जगह पर बेचना चाहिये वहां नहीं बेचा गया। आपके पास जो कोई सूचना है वह आप मुझे दीजिए। उसके बारे में मैं सेटिसफाइ हो जाऊंगा तो इन्क्वायरी कराऊंगा।

श्री गोविंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आर्थिक नुकसान इस प्रकार से हुआ कि एक ठेकेदार की दस हजार की गारण्टी थी और उसने छः महीने में गारण्टी पूरी कर ली और उसके बाद में जिसकी गारण्टी पूरी नहीं होती है उसके नाम से शराब बेच कर कर पैसा कमा लिया, जब कि वह अपनी गारण्टी समाप्त होने के बाद दुबारा ठेका लेता तो उसकी छः महीने की गारण्टी और होती और इस प्रकार राज्य को दस हजार की बजाय उससे बीस हजार रुपए मिलते। इस प्रकार से राजस्थान सरकार को नुकसान होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुप्रसाद कराड़िया प्रश्न संख्या ७५५

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री नाथूराम।

आदिवासियों को नौकरी

७५६. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) :- क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालय उदयपुर और बांसवाड़ा में पिछले तीन वर्षों से कितने नाम रजिस्टर्ड हुए हैं और उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरियां मिली हैं ? और उनमें आदिवासियों का क्या अनुपात रहा है ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज, उदयपुर में विगत तीन वर्षों में ३१२०४ प्रार्थियों ने अपने नाम लिखाये जिनमें १६२६ आदिवासी थे। इस अवधि में कुल ३७१३ व्यक्तियों को एक्सचेंज के माध्यम से नौकरी मिली, जिनमें से १३७ आदिवासी थे।

एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज, बांसवाड़ा में विगत तीन वर्षों में कुल ५६७१ व्यक्तियों ने नाम लिखाया जिनमें ६११ आदिवासी थे। इस अवधि में कुल १५७६ प्रार्थियों को नौकरी दिलाई गई, जिनमें २०३ आदिवासी थे।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है यह संतोषजनक नहीं है। जैसे उदयपुर के अन्दर में उदयपुर, डूंगरपुर बांसवाड़ा में कुल मिला कर ५,१२,००० की जन संख्या आदिवासियों की है और उसमें से उदयपुर के अन्दर १६-२६ रजिस्टर्ड हुए और इसमें से १३७ को नौकरी मिली है और इसी तरह से बांसवाड़ा में ६११ आदिवासी रजिस्टर्ड हुए और ३०३ को सर्विस दिलाई गई। राज्य सरकार का आदेश है कि आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा सर्विस दिलाई जाय लेकिन जो वहां पर रजिस्ट्री करते हैं, फिर भी उनको सर्विस नहीं मिलती है, उनको सर्विस में कम लगाते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संख्या जो रजिस्टर हुई और उस हिसाब से जो उनको सर्विस मिली है वह बहुत कम मिली है, उसका क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा काम यह है कि जो रजिस्टर करवाने, आवें उनका नाम रजिस्टर कर लें और जहां पर जगह खाली हो उनको इसकी इत्तला दे दें। अब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कितनी जगह खाली थी और वहां पर क्यों नहीं लिया गया, इसका स्टेटमेंट देना तो मुश्किल है। इसमें जनरली जो कारण होता है वह तो यही है मेंटल मैक अप आप खुद महसूस करते हैं और उसको दूर करने का सरकार प्रयत्न कर रही है।

श्री अध्यक्ष : मेंटल मैकअप किसका ? अफसरों का ?

श्री मथुरादास माथुर : सोशियली मेंटल मैकअप जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं है, उसमें अफसर भी शामिल हैं और लोग भी शामिल हैं। मैं इस बात को मानता हूं और हमारी भी पूरी हमदर्दी है कि वाकई में जितनी जन संख्या है उस अनुपात में उनको नौकरी नहीं मिल पाती। जब दो व्यक्ति एक ही क्वालिटी के हों लेकिन उनका मेट अप वैसा नहीं हो और वे अफसरों को कन्विन्स्ड नहीं कर पाते हैं और इसलिए रह जाते हैं।

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि आज भी बांसवाड़ा में एक एम्पलायमेंट आफिसर का स्थान रिक्त नहीं है ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.) : १३७ आदिवासियों की नियुक्ति को जो आपने बात बताई तो उसमें यह बताइये कि जो यह १३७ आदिवासियों को नौकरी मिली तो इनके साथ और कितनों को नौकरी मिली ?

श्री मथुरादास माथुर : यह बता चुका हुं, आप फिगर देख लिजिये।

श्री श्रवणलाल : लिस्ट तो उनके पास होगी, आप ऐसे ही बता दीजिए कि कितने आदिवासियों को नौकरी में लिया गया है और उनके साथ और कितने हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने प्रश्न के उत्तर में बता दिया है कि १६२६ आदिवासियों की एप्लीकेशन्स थीं उसमें से १३७ व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई है। कुल एप्लीकेशन्स ३१२०४ थीं जिसमें से ३,७१३ व्यक्तियों को एक्सचेंज के माध्यम से नौकरी मिली और इसमें आदिवासियों की तादाद १३७ है।

श्री श्रवणलाल : बांसवाड़ा की संख्या क्या है ?

Page No. 21

श्री मथुरादास माथुर : बांसवाड़ा के लिए आपने तीन वर्षों के अनुपात में पूछा था। अगर आप अक्युअल पूछें तो वह भी बता दूंगा। अभी जो मेरे पास फिगर हैं उसके अनुसार ५६७१ व्यक्तियों ने अपने नाम हमारे यहां रजिस्टर करवाए। और इन ५६७१ व्यक्तियों में ६११ आदिवासी थे उसमें से टोटल एम्पलायमेंट मिला १५७६ को और उसमें २०३ आदिवासी थे।

श्री श्रवणलाल : यह जो १३७ आदिवासियों की नियुक्ति की है वह उस साढ़े बारह प्रतिशत के अनुपात से कम हुई है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह काम हमारा नहीं है। यह तो एम्लॉयमेंट जो करता है उसके देखने का है।

(कुछ माननीय सदस्य प्रश्न पूछने खड़े हुए)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा—सु०) : अध्यक्ष महोदय, उदयपुर में सन् ६३ में ६४३३ की कुल संख्या का रजिस्ट्रेशन हुआ उसमें से ४०६ आदिवासी थे। उसमें से ७० को नौकरी पर लगाया गया, तो यह छः प्रतिशत लगाया गया और सन् १९६४ में ४५६ में से कुल ३४ व्यक्तियों को लगाया गया और यह दो परसेन्ट हुआ और ६५ में ३३ को लगाया ६५५ में से, यह २ परसेन्ट हुआ। तो यह संख्या घटती क्यों गई ? यह गलती किसकी है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मैंने फिगर आपको बताए थे और माननीय सदस्य ने भी जो फिगर बताए हैं तो ये तो एम्पलायमेंट एक्सचेंज के द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्तियों के हैं। लेकिन आदिवासियों के लिए तो इसके अलावा भी डाइरेक्ट रिक्रूटमैंट अलाउड है और उसके अन्तर्गत जो रिक्रूटमेंट हुए हैं वे इसमें शामिल नहीं है। आदिवासियों को एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में आने की भी जरूरत नहीं है, वे तो सीधी एप्लीकेशन भेज सकते हैं जहां जगह खाली हो। अब जब दोनों के फिगर सामने हों तब ही आप कह सकते हैं कि साढ़े बारह प्रतिशत के हिसाब से पूर्ति हुई या नहीं। मेरे पास तो जो एम्पलायमेंट में नाम दर्ज हुए और उनमें से जिनको नौकरी मिली वह मैंने आपके सामने रखे हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के फिगर अलग हैं।

श्री श्रवणलाल : जो आपको साढ़े बारह प्रतिशत की पूर्ति करनी है उसमें आप क्या प्रगति कर रहे हैं ? जब आप साढ़े बारह प्रतिशत की पूर्ति मौजूदा स्थिति में ही नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे क्या साढ़े बारह प्रतिशत की पूर्ति कर सकेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और निवेदन कर दूं......

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा राम गढ़): आप अलग-अलग फिगर की क्या बात करते हैं। न तो किसी डिपार्टमेन्ट में उनको साढ़े बारह प्रतिशत के हिसाब से लेते हैं और न एम्पलायमेन्ट एक्सचैंज के मार्फत साढ़े बारह प्रतिशत जगह दिलाई जाती है तो फिर आप कैसे पूर्ति करेंगे, इसका जवाब दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : आप बैठिये, मैं आपको जवाब देता हूं। माननीय सदस्य जो साढ़े बारह प्रतिशत पूर्ति की बात कर रहे हैं तो इस समय मेरे पास जो फिगर हैं वह एम्लॉयमेन्ट एक्सचेंज में जिन्होंने नाम रजिस्टर कराये उनके हैं। अब अगर एक डिपार्टमेन्ट में पचास जगह खाली हैं तो वहां पर साढ़े बारह प्रतिशत की पूर्ति आदिवासियों और शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स से होनी चाहिये। मेरे पास, एम्प-लायमेन्ट एक्सचेंज में जितनी अर्जियां आती हैं उनको भेज देते हैं और उससे उनको जो नौकरी मिल जाती है उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। अब जो डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से डिपार्टमेंट में अपोइन्टमेंट हुए हैं उनके फिगर्स इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री नाथूराम (बागीदुरा) : साढ़े बारह प्रतिशत के जो राज्य सरकार के आदेश हैं उनका पालन भी नहीं हो रहा है। कई डिपार्टमेंट्स में तो एक प्रतिशत भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री देवीलाल मीणा : क्या यह सही है कि उदयपुर के एम्पलॉयमेंट ऑफिसर की शिकायतें हैं।

(व्यवधान)

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या यह सही है कि वहां जो कैंडीडेट जाते हैं नाम रजिस्टर कराने, उनके नाम नहीं लिखते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : नाम लिखाने की जरूरत ही नहीं है। वे तो एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाने आते हैं इसलिए नाम लिख लेते हैं; वर्ना उनका तो डाइरेक्ट अपोइन्टमेंट कर सकते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : डाइरेक्ट अपोइन्टमेंट का सवाल दूसरा हो जाता है। मेरा निवेदन करना यह है कि वहां पर जो आदिवासी जाते हैं उनकी सुनवाई तक नहीं करते हैं और जब नाम लिखने के लिये ही सुनवाई नहीं करते हैं तो नौकरी दिलाने का तो सवाल ही कहां आता है ?

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा सु०) : अध्यक्ष महोदय, जब ६३ में आदिवासियों को एम्पलायमेंट एक्सचेंज से नौकरी दिलाने का नम्बर बढ़ा है और ६५ में संख्या कम हुई है इसका क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : कम नहीं हुई है साहब। सन् ६३ में ६४३३ थे उदयपुर में और सन् ६४ में १०५३८ थे और ६५ में ११२३३ नम्बर रजिस्टर हुए बताये जाते हैं। अब रहा जगह मिलने का सवाल तो इकोनोमी के कारण जगहें कम होती हैं तो नौकरी भी कम ही मिलेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि सर-कार की नीति क्या है इस सम्बन्ध में कि यदि एक आदमी आदिवासी है और एक अन्य व्यक्ति है, दोनों एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज में आवें और दोनों की समान योग्यता हो तो क्या आप प्रिफरेंस आदिवासी को देंगे या नहीं देंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रिफरेंस आदि-वासी को ही दिया जायगा जहां तक साढ़े

(श्री मथुरादास माथुर)

बारह परसेंट कोटे का सवाल है। जब तक किसी डिपार्टमेंट का साढ़े बारह परसेन्ट का कोटा पूरा नहीं हो जाता आदिवासी को ही प्रिफरेंस दिया जाएगा और जहां पर दोनों ही इक्वल योग्यता के दो केंडीडेट्स हैं वहाँ भी आदिवासी को प्रिफरेंस दिया जायगा। इसके अलावा जहां पर साढ़े बारह परसेंट की पूर्ति नहीं हुई है वहां पर अगर आदिवासी की योग्यता कुछ कम भी है तो भी आदिवासी को प्रिफरेंस दिया जायगा।

(१२ मध्यान्ह)

श्री डूंगाराम राजोरिया : सरकार कमी कैसे महसूस कर लेती है कि फलां व्यक्ति में कमी है?

श्री मथुरादास माथुर : साढ़े बारह परसेन्ट लेने के लिए मैट्रिक क्वालीफिकेशन है। यदि कोई नॉन-आदिवासी सेकण्ड डिवीज़नर है और एक आदिवासी थर्ड डिवीज़नर है और यदि साढ़े बारह परसेन्ट कोटा पूरा नहीं होता है, तो आदिवासी जो कि थर्ड डिविज़नर है उसको लिया जायेगा और सेकण्ड डिवीज़नर को नहीं लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

ग्राम मुंजासर में पक्का कुआ बनवाने के लिये आवश्यक राशि

७५७. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम मुंजासर, पंचायत समिति फलोदी में एक पीने के पानी का नया कुआ पंचायत मुंजासर के लोगों के जन सहयोग एवं पंचायत समिति के अनुदान द्वारा निर्मित कराया गया था? अगर हां, तो कब? इस कूप निर्माण में जनता का जन-सहयोग कुल कितना प्राप्त हुआ था? समिति द्वारा अनुदान की रकम अब तक कितनी दी गई है?

(२) क्या यह सत्य है कि पिछले अकाल के समय में जन सहयोग की रकम के अनुपात में अकाल सहायता विभाग द्वारा कुछ रकम इस कूप निर्माण में मंजूर की गई थी? अगर हां, तो कितनी और कब? क्या वह रकम कूप निर्माण के कार्य में काम में ले ली गई है?

(३) क्या यह सत्य है कि पानी का कुआ बहुत गहरा है और इसको पक्का बंधवाने में व इस पर थाला बनवाने में बहुत खर्चे की आवश्यकता है? अगर हां, तो पानी की विकट समस्या को देखते हुए क्या सरकार इस कूप निर्माण में ग्राम जनता के हित विशेष धनराशि मंजूर कर कुए का कार्य शीघ्र पूरा करवाना उपयुक्त समझेगी? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? कुआ पक्का बन्धने में, एक उस पर थाला बनवाने में कितना खर्च लगेगा और कुआ पक्का कब तक बंधकर तैयार हो जावेगा?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां, कुए का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए श्रमदान व नकद जन-सहयोग के रूप में चौदह हजार रुपये की रकम प्राप्त हुई व पंचायत समिति द्वारा पांच

(श्री योजना मंत्री)

हजार आठ सौ रुपये की रकम अनुदान में दी गई ।

(२) जी हां, तेरह सौ पचास रुपये की रकम १९६४-६५ में दी गई थी जो कुए के निर्माण कार्य में काम में ले ली गई है ।

(३) जी हां, पंचायत समिति ने इस कार्य के लिए अपने बजट में प्रावधान रखा है । यदि राज्य सरकार से मांग की जायगी तो उस पर विचार किया जायेगा । कुए पर पूरा कोठा व खेली निर्माण के लिए लगभग ९,००० रु० की रकम की और आवश्यकता होगी । कुआ पक्का बंध रहा है व कोठा खेली की रकम स्वीकृत होने के बाद दो तीन माह में कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, फलोदी और जैसलमेर क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां कुओं की गहराई करीब १२० फुट से भी ज्यादा है इसलिए राज्य सरकार जहां भी ऐसे गहरे कुए हैं उनके लिए ५० परसेन्ट तक ऐड देकर उन कुओं को पक्का बनाने की राज्य सरकार की योजना है ? वहां उस क्षेत्र में गांव छोटे हैं और उनकी क्षमता नहीं है और मुंजासर का यह कुआ ऐसा है कि वहां पर १० मील दूर से लोग पानी लेने के लिए आते थे और अब सौभाग्य से पानी मीठा निकल गया है तो क्या राज्य सरकार कुओं को पूरा बनाने के लिए ५० परसेन्ट तक एड देगी ?

श्री **मथुरादास** माथुर : यह कुआ पूरा हो रहा है । मैंने अर्ज किया कि ९,००० रुपये की आवश्यकता है । इसका बजट में प्रावधान १९६६-६७ के पंचायत समिति में रख दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

सरकारी कर्मचारियों के लिए कन्ज्यूमर स्टोर

७५८. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकार कन्ज्यूमर स्टोर खोल रही है ?

(२) यदि हां, तो वस्तुएं बाजार भाव में कितनी सस्ती होंगी ? उन वस्तुओं पर बिक्रीकर लगेगा या नहीं ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री चन्दनमल वैद) : (१) यह सही है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए कन्ज्यूमर स्टोर खोल रही है ।

(२) इस योजना की राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति द्वारा विस्तृत रूप से जांच की जा रही है जिसका प्रारम्भिक प्रतिवेदन चार पांच दिन पहले प्राप्त हुआ है । बिक्री कर लगेगा परन्तु वस्तुएं सस्ती दरों पर बेचने का विचार है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या सरकार सबसीडी देगी ?

श्री चन्दनमल वैद : सस्ते भाव पर बेचेगी यह तो निहित है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : प्राइज़ इन्डेक्स क्या लिया जायेगा ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अर्ज किया कि अभी रिपोर्ट प्रारम्भिक ही प्राप्त हुई है, उस पर विचार किया जा रहा है। उसके बाद ही कहा जा सकता है कि किस प्राइज़ पर सबसिडी दी जायेगी।

प्रश्न संख्या ७५६

श्री अध्यक्ष : श्री अमरसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुल जब्बार।

चरनोट के लिए व्यवस्था

७६०. **श्री अब्दुल जब्बार** (निम्बाहेड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जिला चित्तौड़गढ़ के गांव बिजैपुर, पालरे पालच्छा, घराणा, एराल उदयपुरा, मेवासां, ढाणी तथा चरलिया आदि गांवों के चारों तरफ पहाड़ी इलाका है ?

(२) क्या यह सही है कि वन विभाग ने इन गांवों को मैदानी घोषित कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह भी सही है कि वन गांवों के निवासियों को उक्त घोषणा के कारण अपने मवेशी चराने में बड़ा कष्ट होता है ?

(४) क्या यह भी सत्य है कि अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा में बकरा, बकरी की चराई दो आना प्रति जानवर जंगलात चार्ज करती है और उनके लिए मवेशी चराने को भी जगह माकूल नहीं है ?

(५) क्या सरकार इस संबंध में उचित व्यवस्था का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उप-मंत्री, वन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां, लेकिन चराने के लिए पर्याप्त जंगल है।

(५) चराई के लिए काफी जंगल है अतः उचित व्यवस्था का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अब्दुल जब्बार : यह नम्बर २ में आपने 'जी नहीं' कहा तो क्या मैं यह समझूं कि इसको पहाड़ी ही घोषित कर रखा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है कि मैदानी एरिया घोषित करने का प्रश्न ही नहीं है। इसके अनुसार केवल जो हिल एरिया है उनको हिल एरिया डिक्लेयर कर देते हैं। दूसरा, एरिया के लिए कोई नाम नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : सवाल यह आता है कि आपने प्रश्न संख्या २ में 'जी नहीं' कहा तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि अगर यह एरिया पहाड़ी नहीं है तो क्या मैदानी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने कहा कि क्या इसे मैदानी एरिया घोषित कर रखा है हमने कहा नहीं क्योंकि मैदानी घोषित करने का प्रश्न ही नहीं है और न प्रावधान ही है और न ऐसा करते ही हैं। अगर किसी एरिया को घोषित करना है तो पहाड़ी करते हैं, अदर-वाइज़ किसी दूसरे क्षेत्र को घोषित करने का सवाल ही नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : क्या यह पहाड़ी क्षेत्र है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि विजयपुर और निम्बाहेड़ा के लिए कहते हैं तो वह नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा मकसद यह है कि पहाड़ी एरिया घोषित करने के बाद में वे सहूलियतें आराम से मिल जाती हैं, जो कि किसानों को मिलनी चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : विजयपुर और निम्बाहेड़ा रेन्ज पहाड़ी एरिया नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : मेरा कहने का मकसद यह है कि यह तमाम पहाड़ी एरिया है और बिलकुल पहाड़ों के बीच में है जिस तरह से समुद्र के बीच में टापू होता है, उसी तरह से दर्रों में वे फंसे हुए गांव हैं, आप कहते हैं कि पहाड़ी नहीं है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आज से नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : मुझे मालूम है कि पुराने टाइम से है। मुझे यह भी मालूम है कि सरकार इसको रिवाइज़ करना चाहती है या नहीं। आपको रिवाइज़ करना चाहिए स्थिति को देखते हुए वर्ना चारा नहीं है और मवेशी मर जायेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहते है कि पहाड़ी एरिया घोषित करना चाहिये क्योंकि वहां पर चराने के लिए जगह नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिजैपुर और निम्बा-हेड़ा में १२६८३ एकड़ और ५५५६ एकड़ यह दो एरियाज़ हैं जो कि चराने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा बिजैपुर रेन्ज़ में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट काफी मात्रा में है। वहां पर ऊँट, बकरी और दूसरे जानवर सब के चरने की सुविधायें हैं। अरनोदा के लिए सुविधा है। उस क्षेत्र की जिसकी आप बात कर रहे हैं वहां पर चरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार : आपने निम्बाहेड़ा एरिया में चरनोट बता दी लेकिन वहां के अरनोदा और विजयपुर और आपने कहा कि इस तरह से चरनोट छोड़ा गया है ...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि चरने के लिए जंगल हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : लेकिन यह सवाल आता है कि चरने के लिए जंगल नहीं हैं आपके पास जो इन्फोर्मेशन है वह आपके ऑफिस द्वारा दी गई है और उसके आधार पर ही बता रहे हैं। आपने प्रेक्टिकली नहीं देखा है। मैंने देखा है कि जानवरों के चराने के लिए जगह नहीं है और इस मसले पर आप संजीदगी से विचार करें।

प्रश्न संख्या ७६१

श्री **अध्यक्ष** : श्री दिग्विजय सिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा ।

मनिपोल जंगल के जानवरों पर व्यय

७६२. श्री **देवेन्द्रकुमार मीणा** (सहाड़ा-सु०) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जंगल मनिपोल, जय समुद्र के जंगली जानवरों को घास, अनाज आदि जो खाने के लिए दिया जाता है उस पर सरकार द्वारा कितना मासिक व्यय किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि १९६४ में किन्हीं सरकारी अधिकारियों द्वारा इस जंगल में नाजायज़ शिकार किया गया है ? यदि हां, तो कब और इसके बारे में वन-विभाग की ओर से क्या कार्यवाही की गई है ?

(३) क्या इन जंगली जानवरों की विभागीय कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर देखभाल की जाती है ?

उप मन्त्री, वन (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) करीब १८० रुपया प्रति माह ।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) जी हां ।

श्री **अध्यक्ष** : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

औद्योगिक संस्थानों में छुट्टी

७६३. श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि स्व० श्री लालबहादुर शास्त्री प्रधान मंत्री के निधन पर राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के समस्त औद्योगिक संस्थानों के मजदूरों को दो दिन की सवैतनिक छुट्टी देने के आदेश दिये थे ?

(२) यदि हां, तो राजस्थान के कौन-कौन से उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को दो दिन की छुट्टियां नहीं दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि लाखेरी सीमेन्ट उद्योग के कर्मचारियों को सिर्फ ११ तारीख की छुट्टी दी गई थी व १२ जनवरी को सभी मजदूरों को ड्यूटी पर बुलाया गया था ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ मजदूर अपनी निजी छुट्टी लेकर घर आना चाहते थे, उनको भी छुट्टी नहीं दी गई और गेट पर ताला लगा दिया गया ?

(५) क्या राज्य सरकार ने २५ जनवरी को भी सार्वजनिक छुट्टी उद्योगों में करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो लाखेरी सीमेन्ट फैक्टरी ने २५ जनवरी को छुट्टी दी या मजदूरों को काम पर बुलाया था ?

(६) ऐसे उद्योगपतियों के साथ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

Page No. 28

राजकीय संस्थापन मन्त्री (श्री मथुरा दास माथुर) : जी हां।

(२) कोटा में श्रीराम रेयोन्स के बारे में विवाद उठा है। अन्य संस्थानों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(३) जी हां।

(४) इसके बारे में सूचना नहीं है।

(५) जी हां, सीमेन्ट फैक्टरी ने इस सम्बन्ध में कोई छुट्टी नहीं की।

(६) जिन स्थानों पर इसको लेकर विवाद उत्पन्न हुए हैं उन्हें सरकार आपसी समझौते अथवा औद्योगिक न्यायालय के द्वारा निपटाने के प्रयत्न कर रही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपने आज्ञा दी कि स्व० लालबहादुर शास्त्री के निधन पर ११ और १२ को छुट्टी होनी चाहिये और २५ तारीख को भी छुट्टी होनी चाहिए। यह राज्य सरकार के आदेश हैं और आपने स्वीकार किया है कि उन्होंने छुट्टी नहीं दी तो इसके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री मथुरादास माथुर : वह मैं प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूँ कि उसको या तो इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट समझ कर औद्योगिक न्यायालय के द्वारा निपटाने का सरकार प्रयत्न करेगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या न्यायालय में मजदूरों को जाना चाहिये ?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट को।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : गवर्नमेंट जायेगी क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट जाने की बात सोच रही है इसलिए कि लीगेली हम एनफोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारे यहां पर नेशनल फेस्टीवल एस्टेब्लिशमेन्ट के लिए कोई लॉ नहीं है। मद्रास में तो है और जगह कहीं नहीं है। ऐसी सूरत में लीगली किसी एन्टरप्राइज को फोर्स नहीं कर सकते कि वह छुट्टी करे लेकिन हमारे यहां पर ट्रिपार्टाइट कॉन्फरेंस में प्रस्ताव हुआ था और एडवाइजरी बोर्ड में पास हुआ था २६ अगस्त ६३ को उसमें ७ दिन के होलीडेज के लिए था। उसमें ऐसा था कि ऐसी छुट्टी हो तो वे करेंगे। अगर वह रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उसको डिस्प्यूट समझ कर बोर्ड के पास जाकर फैसला करते हैं और आगे आगे भी ऐसा किया है और इसलिए कोर्ट में जाने की सोच रहे हैं वह अगर नहीं माने तो।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि ऐसे उद्योग-पतियों के खिलाफ केस चलाये, क्योंकि यह सरकार की आज्ञा है और उसका पालन करना जरूरी है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय स्वयं कह चुके हैं और इसके बारे में काफी बहस हो चुकी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : हमारे देश में आज्ञायें नहीं मानी जातीं। विदेशों में तो छुट्टी होती है। उद्योगपति हमारे यहां सरकार की आज्ञा नहीं मानते तो यह मजदूरों के सोचने की बात चल रही है। उद्योगपतियों

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

को जेलों में डालो ताकि उनको मालूम हो जाये कि राज्य सरकार की आज्ञा की अवहेलना करने का क्या परिणाम होता है।

प्रश्न संख्या ७६४

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

स्थगित–प्रश्न

(४--४--६६)

५६०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

दिनांक १–६–१९६५ से दिनांक २८-२-१९६६ तक की अवधि में मेसर्स टाइम सर्जिकल से कितनी-कितनी राशि का सामान राज्य के इन्डेन्टिग ऑफिसर्स (चिकित्सा विभाग) द्वारा खरीदा गया है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : मैसर्स टाइम सर्जिकल कम्पनी, देहली से दिनांक १-६-१९६५ से दिनांक २८-२-१९६६ तक की अवधि में विभाग के समस्त इन्डेन्टिग्र ऑफिसर्स द्वारा कुल ६४,०९२.६३ पैसे की राशि का सामान खरीदा गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह कितना सामान कब खरीदा है, ६४ हजार के लगभग का ? क्या इसका सारा पेमेन्ट इस कम्पनी को कर दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पेमेन्ट का पता नहीं कि कर दिया गया है या नहीं। How can I say this ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि अजमेर विक्टोरिया हास्पिटल में लगभग १४०० आपरेशन ग्लोव्ज इसी कम्पनी से खरीदे गये थे तो वापिस इसी कम्पनी को डिफेक्टिव होने के कारण लौटा दिये गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करता हूँ कि जरा माननीय सदस्य के सवाल का मुलाहिजा करें और वह जो सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, Is it physically possible ? उन्होंने पूछा है कि कितना सामान खरीदा उसका जवाब दे दिया। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि राज्य के करीब ५८ हास्पिटल्स में उसका सामान गया हुआ है तो अलग अलग हास्पिटल में क्या क्या सामान गया और क्या क्या लौटाया गया उसके लिए तो आप स्पेसिफिक सवाल पूछें तो जवाब दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं खुद इससे सहमत हूं कि आपको इसका जवाब देने में अभी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ७४९ और प्रश्न संख्या ५९० इन दोनों को साथ साथ पढ़ा जाय तो मैंने बहुत क्लियर इनमें आरोप लगाये हैं टाइम सर्जिकल के बारे में कि उनका सामान सब–स्टेण्डर्ड पाया गया है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ा जाय तो साफ था कि क्या इस प्रकार का सामान सप्लाई किया गया है जिनको कुछ हॉस्पिटल्स ने रिजेक्ट कर दिया और वापिस लौटा दिया

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है। उसका पेमेन्ट विथ्होल्ड किया जाना चाहिए और विथ्होल्ड नहीं करके कम्पनी को पेमेन्ट कर दिया है। दोनों प्रश्नों को पढ़ा जाय साथ साथ।

श्री अध्यक्ष : पहले प्रश्न में माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है कि सारी जांच करायेंगे। इस प्रश्न के बारे में तथ्य बतला दें तो मंत्री महोदय जांच करा लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : उस प्रश्न के बारे में जो सवाल उठाया था वह यह था कि उसको एप्रूव्ड लिस्ट में ले लिया गया है। उसकी इन्फार्मेशन मैंने मंगा ली है और इन्फार्मेशन यह है कि उसको एप्रूव्ड लिस्ट में पहले नहीं लिया था। जो सेम्पल्स उन्होंने दिये थे वे सब–स्टेण्डर्ड के थे उसकी जांच कर ली थी। बाद में जो सब–स्टैण्डर्ड के थे उनको ठीक करके दिया तो उनको एप्रूव्ड लिस्ट में लिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : दुबारा कौन से इन्स्ट्रूमेंट्स भेजे गये थे और कौन से रिप्लेस किये गये थे जिनकी जांच की गई तो ठीक पाये गये ? वह जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्स्ट्रूमेंट्स अगर देखना चाहें तो मेरे पास मौजूद हैं। १०-२० मैंने मंगवा लिए हैं देखने के लिए।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कम्पनी बड़ी जागरुक है।

श्री भैरोंसिंह : वह एक एक हम को दिला दें ताकि उनका उपयोग करके देखें कि सब–स्टैण्डर्ड है या क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : देख लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

माननीय मुख्यमन्त्री एक वक्तव्य देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : प्रश्न संख्या ७५२।

श्री अध्यक्ष : काफी बाकी काम है। आज काम काफी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : चुनावों का निपट ही गया है, पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स का।

श्री अध्यक्ष : साढ़े बारह बजे तक और ठहर जाइये।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

घास की तुलाई में प्रयुक्त तोल

७४३. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि फोरेस्ट डिविजन बांसवाड़ा की रैन्ज डूंगरा के रैन्जर श्री बलबहादुरसिंह के क्षेत्र भीमपुरा व सूरज कुण्ड में घास डिपो कायम किये गये हैं और उनके लिये घास खरीदा गया है ?

(२) क्या यह सही है कि घास पत्थर के तोलों से तोल कर खरीदा गया और नियमित बांट काम में नहीं लिये गये जिससे

(श्री हीराभाई)

घास बेचने वालों से २० किलो घास के नाम पर ३२ किलो घास ले लिया गया और मजदूरी कम चुकाई गई ? तथा इस प्रकार प्राप्त अधिक घास की मजदूरी का गबन कर लिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि इस संबंध में सरकार के पास शिकायत की गई है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच हुई है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और जांच नहीं हुई है, तो क्या सरकार जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

१-जी हां।

२-स्प्रिंग बेलेन्स के खराब हो जाने पर पत्थर के बांटों से घास तोला गया था लेकिन पत्थर के बांट नियमित बाटों से तोल कर तैयार किये गये थे। २० किलो घास के नाम पर ३२ किलो घास नहीं लिया गया। मजदूरी कम नहीं चुकाई गई और कोई गबन नहीं हुआ।

३-जी हां। सब डिवीजनल फोरेस्ट ऑफिसर डूंगरपुर द्वारा जांच कराई गई है।

जयपुर से लुहारू मार्ग का राष्ट्रीयकरण

७४८. **श्री मोहरसिंह** (कुरू) व **श्री किशनसिंह बाटड़** (लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात एवं परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर से लुहारू मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जावेगा ?

(२) क्या सरकार की इस सम्बन्ध में कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) इस रूट पर रोजाना कितनी बसें चलती हैं ?

उत्तर

(१) अभी मार्च सन् १९६७ तक इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना नहीं है।

(२) अभी तक कोई योजना नहीं है। भविष्य में राष्ट्रीयकृत किये जाने वाले मार्गों की सूची निगम तैयार कर रहा है। सूची तैयार होने पर ही आगे की योजना के बारे में यह बताया जाना सम्भव हो सकेगा।

(३) इस मार्ग पर रोजाना पांच बसें जाती हैं व पांच ही बसें आती है।

नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि०, जयपुर में हड़ताल

७५२. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी फैक्ट्री द्वारा "तालाबन्दी" (लॉक आउट) नहीं की जा सकती है ?

(२) क्या यह सही है कि तालाबन्दी हटाते समय भी इसी प्रकार की सूचना देना अपेक्षित है ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) क्या यह सही है कि नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि २६-६-६४ से ४-७-६४ के बीच नेशनल इन्जीनियरिंग इण्डस्ट्रीज में टूल डाउन हड़ताल रही थी ?

(५) इस सम्बन्ध में संबंधित अधिकारियों द्वारा टूल डाउन हड़ताल के समय क्या कदम उठाये गए थे ?

(६) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री में २९-८-६४ से पुनः टूल डाउन हड़ताल हुई जो ११-९-६४ तक जब कि प्रबन्धकों द्वारा तालाबन्दी घोषित की गई, जारी रही ?

(७) क्या यह सही है कि तालाबन्दी २३-९-६४ तक जारी रही ?

(८) क्या यह सही है कि फैक्ट्री के दरवाजे पर धरना देने वाले मजदूरों पर २३-९-६४ को लाठी चलाई गई थी ?

(९) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री के श्रमिकों की सहानुभूति में अन्य फैक्ट्रियों में भी हड़ताल हुई थी ? इस विवाद को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा २३-९-६४ तक क्या कदम उठाये गये थे ?

उत्तर

(१) जी नहीं, केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में तालाबन्दी का नोटिस आवश्यक है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी हां।

(५) समझौता अधिकारी जयपुर, द्वारा समझौता कार्यवाही दि० २६-६-६४ को प्रारम्भ कर दी गई थी तथा समझौता असफल रहने पर राज्य सरकार के पास दि० ३०-६-६४ को औद्योगिक विकास अधिनियम १९४७ की धारा १२ (४) के अन्तर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था।

इसके पश्चात् श्रमिक संघ व मिल अधिकारियों में जिलाधीश जयपुर की मध्यस्थता में बातचीत हुई जिसके फलस्वरूप हड़ताल दिनांक ४-७-६४ को समाप्त हो गई।

(६) जी हां।

(७) जी हां।

(८) जिलाधीश की सूचनानुसार भीड़ को हटाने के लिए हल्का लाठी चार्ज किया गया था, क्योंकि पुलिस पर पत्थर आदि का प्रहार किया गया था।

(९) जी हां। जयपुर की तीन फेक्ट्रियों में हड़ताल रही है यद्यपि औद्योगिक विवाद कानून के अनुसार श्रम कल्याण अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी के हटाने के प्रश्न "औद्योगिक विवाद" नहीं हैं, फिर भी हड़ताल तथा तालाबन्दी के प्रश्न पर श्रम विभाग द्वारा दोनों पक्षों से बातचीत की गई, पर इन प्रयत्नों से कोई हल नहीं निकला। इस

(श्रम मन्त्री)

लिए सरकार ने टूल डाउन स्ट्राइक तथा लॉक आउट की औचित्यता के प्रश्न को लेबर कोर्ट के सुपुर्द करने का विचार किया ।

उदयपुरिया ग्राम पंचायत के सरपंच को चार्ज शीट

७५५. **श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमू)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि गोविन्दगढ़ पंचायत समिति की उदयपुरिया ग्राम पंचायत के सरपंच को चार्जशीट जनवरी १९६३ में दी गई थी, लेकिन इन्क्वायरी अब तक नहीं हुई ? यदि हां, तो कब तक हो जावेगी ?

(२) क्या यह भी सही है कि सरपंच ने पंचायत के द्रव्य का गबन किया है ? यदि हां, तो धनराशि कितनी है ?

उत्तर

(१) जांच होकर निर्णय भी हो चुका है ।

(२) जी नहीं । जांच से गबन करने का कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ । अलबत्ता हिसाबी अनियमितताएं तथा भूमि नीलाम करने में असावधानी करना पाया गया ।

दवाखाने के भवन निर्माण के लिए धनराशि

७५६. **श्री अमरसिंह (दूदू)** : क्या यह सही है कि पंचायत समिति दूदू की पंचायत उग्रास के भूतपूर्व सरपंच श्री गोविन्दराम को दवाखाने की बिल्डिंग के लिए १५००) रु० समिति से मिले ?

(२) क्या यह सही है कि उन्होंने रोकड़ में सिर्फ ५००) रु० ही जमा किए हैं ?

(३) इस मामले में अब क्या हो रहा है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, ११५०) रुपये ही दिए गए थे ।

(२) जी नहीं, यथावत् रोकड़ में जमा हैं ।

(३) पंचायत द्वारा ३४५८.२५ पैसे का काम सम्पन्न कराया जा चुका है । केवल किवाड़ जोड़ियां लगाना बाकी है ।

सार्वजनिक कुए के निर्माण के निमित्त धनराशि का उपयोग

७६१. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व सरपंच श्री कल्याणमल चौरू, तहसील अलीगढ़ जिला टोंक ने एक सार्वजनिक कुआ, जो कि 'बड़े कुए' के नाम से मशहूर है, अपनी सम्पत्ति बना रखी है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस कुए पर जिला बोर्ड की ओर से धनराशि करीबन

(श्री दिग्विजयसिंह)

रु० १७४०.७६ प्रदान किये गए थे ? यदि हां तो यह रकम किस आधार पर दी गई ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त भूतपूर्व सरपंच ने वहां के ग्रामवासियों से भी जन-सहयोग के रूप में करीबन ३०००) रुपये की धनराशि एकत्रित की थी और उसे इस कुए पर व्यय की ?

(४) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा अभी कुछ दिनों पूर्व रु० १७४०.७६ उक्त भूतपूर्व सरपंच से वसूल किए गए हैं ? यदि हां, तो किन कारणों पर ?

(५) क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि जन सहयोग की धनराशि जो उक्त कुए पर व्यय हुई है उससे उक्त कुए को सार्वजनिक घोषित करें या उसके विरुद्ध ४०९ ता० हि० का मुकदमा चलाया जावे ?

(६) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास जिला टोंक के प्रसार अधिकारी ने रिपोर्ट कर धारा ४०९ की कार्यवाही के लिए स्वीकृति चाही थी ? यदि हां, तो कब और कार्यवाही का क्या निर्णय हुआ ?

(७) क्या सरकार ने उक्त धनराशि के १७४०.७६ वसूल किए हैं उसे गबन मान कर किए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो उक्त सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत एक्ट के तहत क्या कार्यवाही की गई है ?

(८) क्या यह सत्य है कि इतने आरोप होते हुए भी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध के कागजात को फाइल करने के आदेश प्रदान कर दिए हैं ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां, कुए को खरीद कर लिया।

(२) जल योजना के अन्तर्गत रकमें दी गई जिनमें से १७४०.४४ नए पैसे इस कुए की मरम्मत पर खर्च किए।

(३) श्रमदान से एकत्रित ३२६) रुपये इस कुए पर व्यय किये।

(४) १७४०.४४ नए पैसे एक निजी कुए पर खर्च कर सरपंच द्वारा खरीद लेने के कारण रकम वसूल की गई।

(५) व्यक्तिगत मिलकियत के कुए को मालिक रजामन्दी के बिना सार्वजनिक घोषित नहीं किया जा सकता। व्यवहार में यह कुआ सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है।

(६) जी नहीं।

(७) जी नहीं, व्यक्तिगत कुए पर नियम विरुद्ध उपयोग करने के कारण वसूल की गई।

(८) आरोप प्रमाणित नहीं होने से व रकम वसूल किए जाने पर मामला दिनांक १९-२-६५ को समाप्त किया गया।

जयपुर से सुजानगढ़ का मार्ग का राष्ट्रीयकरण

७६४. **श्री मोहरसिंह** (चुरू) : क्या यातायात एवं परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मोहरसिंह)

(१) जयपुर से सुजानगढ़ मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जावेगा ?

(२) क्या इस विषय में सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं है तो क्यों ?

उत्तर

(१) अभी सन् १९६७ तक इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना नहीं है।

(२) अभी तक कोई योजना नहीं है, भविष्य में राष्ट्रीयकृत किये जाने वाले मार्गों की सूची निगम तैयार कर रहा है। सूची तैयार होने पर ही आगे की योजना के बारे में यह बताया जाना सम्भव हो सकेगा।

स्थगित प्रश्न

(६-४-६६)

चांद शिल्पशाला की इमारत

६२२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या जयपुर स्थित चांद शिल्प शाला की इमारत राज्य सरकार की है और किराये पर दी हुई है ?

(२) यदि हां, तो किराया बराबर वसूल किया जा रहा है या बकाया पड़ा है?

(३) यदि बकाया पड़ा है तो कितने अर्से से और क्यों ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सेवा निवृत अधिकारियों के पास फर्नीचर

१४६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सच है कि कितने ही अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं जो राज्य सेवा से रिटायर हो गये हैं, लेकिन राज्य का फर्नीचर आज भी उनके यहा पर है ? यदि हां, तो कृपया सूची मय नाम सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

निम्न कर्मचारियों ने राज्य सेवा से मुक्त होने व आकस्मिक मृत्यु होने के कारण सरकारी फर्नीचर नहीं लौटाया है। अजमेर तथा जयपुर सिटी डिवीजन से वांछित सूचना मांगी गई है। आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(१) श्री देवीचंद महात्मा सहायक अभियन्ता मैकनिकल चम्बल प्रोजेक्ट कोटा।

(२) श्री रमादत्त हैड कर्क कोटा।

(३) श्री दिवाकर सेन लेखाकार चम्बल प्रोजेक्ट कोटा।

(४) श्री जियाउद्दीन अधिशासी अभियंता नगर विकास उदयपुर।

फर्नीचर की खरीद

१५०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सच है कि फर्नीचर स्टोर, जयपुर में सामान की खरीद बिना सीलबन्द टेन्डर आमन्त्रित किए ही की जाती है।

उत्तर

(१) जी नहीं। केवल टेपस्ट्री कलोथ की खरीद कमेटी की सिफारिश पर बिना सील बन्द टेन्डर के मास अगस्त १९६५ से कि जा रही है।

किराये पर फर्नीचर दिए जाने के नियम

१५१. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) फर्नीचर स्टोर जयपुर से किराये पर सामान देने के क्या नियम हैं ? प्रतिलिपि प्रस्तुत करें।

(२) फर्नीचर किराये पर क्या प्रार्थना-पत्र देने पर ही दे दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या आधार है ?

(३) फर्नीचर किराये लेने के वास्ते क्या अभी किसी की अर्जियां पेंडिंग में पड़ी हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(१) नियमावली की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) फर्नीचर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर किराये परदिया जाता है।

(३) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरकारी फर्नीचर से आमदनी

१५२. श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) पी. डब्ल्यू. डी. के फर्नीचर विभाग जयपुर में कितने कर्मचारी काम करते हैं ? इन पर वार्षिक व्यय कितना होता है ?

(२) फर्नीचर किराए से राज्य सरकार को कितनी वार्षिक आय होती है तथा कितने रुपयों का फर्नीचर हर साल बनाया जाता है ?

(३) फर्नीचर टूट जाने या अन्य सामान के खराब हो जाने पर उसे किस प्रकार से "राइट आफ" या "रिजेक्ट" किया जाता है ? आज तक कितने रुपयों का इस तरह फर्नीचर "रिजेक्ट" किया गया था ?

उत्तर

(१) पी. डब्ल्यू. डी. के फर्नीचर स्टोर में २३ कर्मचारी काम करते हैं करीब ३०,८००) रु० इन पर वार्षिक व्यय होता है।

(२) फर्नीचर किराये से राज्य सरकार को सन् १९६४-६५ में रु० ३४,५६५

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की आमदनी हुई है । नया फर्नीचर साधारणतया नहीं बनाया जाता है। सरकार यदि किसी खास कार्य के लिए कोई मन्जूरी देती है तो बनाया जाता है।

(३) पी. डब्ल्यू. डी. के ५३ शिड्यूल ऑफ पॉवर के अन्तर्गत सर्वे रिपोर्ट बनाकर कमेटी द्वारा नीलाम कर दिया जाता है। सन् १६५५ से करीब ३१,५२२ रु० का फर्नीचर रिजेक्ट या राइट ऑफ किया गया है।

होटल उद्योग के बढ़ावे के लिये कर्जा

१५३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में होटल उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से किस किस होटल को कितनी राशि कर्ज के रूप में दी गई है? अलग अलग नामवार आंकड़े बताने की कृपा करें। और यह राशि कितनी किश्तों व किस ब्याज पर दी गई है ?

उत्तर

राजस्थान में होटल उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से जिन होटलों को जितनी राशि कर्ज के रूप में दी गई है उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है । किश्तों की संख्या व ब्याज की दर भी इसमें दे दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंचों में बकाया

१५४. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति आहोर के किस किस सरपंच में पंचायत समिति की कितनी कितनी बकाया है ? सदन में मेज पर सूची रखने की कृपा करें।

(२) वसूली की क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(२) वसूली की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(१२.१३ म. प.)

राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते संबंधी मामले पर शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : राजकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते पर वक्तव्य।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस सदन के समक्ष निम्न वक्तव्य दे रहा हूँ :—

राजकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के प्रश्न पर अभी हाल ही में हुए वाद विवाद, प्रदर्शनों एवं विचार विमर्श के संदर्भ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

में यह बताना प्रासंगिक है कि मूल्यों में हुई वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार द्वारा १९४९ के आधार पर एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संधारित किया जाता है। राजस्थान सरकार अजमेर और जयपुर की दरों के आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संधारित करती है और हमारा आधार वर्ष १९६० है। गत समय जब कि १-३-१९६५ से महंगाई भत्ते में तदर्थ (Adhoc) वृद्धि स्वीकृत की गई थी, जुलाई से दिसम्बर १९६४ की अवधि में जयपुर और अजमेर के मूल्य सूचकांकों का औसत १३० था। जुलाई से दिसम्बर १९६५ की अवधि का औसत सूचकांक १३९ है। इस प्रकार गत समय महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि के समय के मूल्य स्तर की तुलना में केवल ९ अंकों की वृद्धि हुई है।

राज्य सरकार ने अनुभव किया कि कर्मचारियों को वास्तविक राहत उपभोक्ता भण्डारों के खोलने से दी जा सकती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इसकी प्रशंसा करने के स्थान पर कि इससे महंगाई भत्ते में वृद्धि से अधिक राहत मिलेगी, जयपुर के कुछ राजकीय कर्मचारियों ने एक आन्दोलनात्मक रुख अपनाया। राज्य के कर्मचारी होने के नाते उन्हें राज्य सरकार के सामने अपनी बात रखने के अपने अधिकार का काम में लेने में कोई कठिनाई नहीं थी, राज्य सरकार ने उनकी बात को सुना और सरकार की स्थिति उन्हें समझाई गई, वे जानते थे कि सरकार उनकी कठिनाइयों के प्रति जागरुक है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रदर्शन किये जो बिल्कुल अनावश्यक थे। यह दुःख की बात है कि राज्य के कुछ कर्मचारियों ने इस प्रकार की अनुशासनहीनता का परिचय दिया। लेकिन साथ ही यह बड़े संतोष का विषय है कि जयपुर के बहुत से कर्मचारियों, उदाहरण स्वरूप, सचिवालय के लगभग सभी कर्मचारी तथा राजकीय संस्थानों विशेषकर, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी वर्ग ने इस प्रदर्शन में कोई भाग नहीं लिया। इसके अलावा जयपुर के बाहर राज्य के कर्मचारियों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया।

कर्मचारियों को वास्तविक राहत दिलाने के उद्देश्य से उपभोक्ता भंडार खोलने की नीति को सरकार उचित समझती है और उसे क्रियान्वित करेगी। सम्भवतया कई कठिनाइयां सामने आयें, लेकिन उनको सुलझाना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना को कुशलता एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाय और कर्मचारियों को संतोषजनक सेवा उपलब्ध कराई जाय। इन भण्डारों के लिये भवनों को उपलब्ध कराने, आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था करने, कार्ड्स को छपवाने, लेखा पद्धति निर्धारित करने तथा उत्पादकों एवं थोक विक्रेताओं से बातचीत करने में कुछ समय लगेगा। इन भण्डारों को सब जिला मुख्यालयों पर मई-जून तक तथा सब तहसील मुख्यालयों पर अक्टूबर १९६६ तक खोलने का जो कार्यक्रम शुरू में बनाया था उसमें कुछ विलम्ब हो सकता है। अतः सरकार अनुभव करती है कि जब तक ये भण्डार काम करना प्रारम्भ न कर दें अन्तरिम आर्थिक राहत देना उचित होगा।

इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि १-अप्रेल १९६६ से महंगाई भत्ते में अस्थाई वृद्धि की जायेगी जो निम्नलिखित होगी :

Page No. 39

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

वेतन पुनरीक्षित शृंखला (Revised Pay Scales) में ६० रुपये कम से कम	रु० ५ प्रति मास ।
वेतन पुनरीक्षित शृंखला में ६० रुपये से ५४० रुपये	१० रुपये प्रति मास । ५८५ कुल emoluments जिससे marginal adjustment भी हो जाये ।

इन दरों पर महंगाई भत्ता राज्य सरकार के अन्तर्गत स्वीकृत पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों तथा (workcharged) कर्मचारियों, जिनकी वेतन शृंखलाओं में महंगाई भत्ते का अलग से अंश है या जिनकी समेकित (consolidated) मासिक वेतन शृंखलाओं के आधार पर दैनिक वेतन पर हैं, को मिलेगा । ऐसे "केज्युअल" कर्मचारी जो १ अप्रेल, १९६६ को छः महीने से अधिक समय से लगातार सेवा पर हैं, उनको भी महंगाई भत्ते में की गई यह अस्थाई वृद्धि मिलेगी ।

इस वृद्धि से सरकार के वित्तीय साधनों पर लगभग १.५ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का असर पड़ेगा ।

जैसे ही उपभोक्ता भण्डार जिला मुख्यालयों पर खुल जायेंगे, यह अस्थायी वृद्धि उन कर्मचारियों को मिलनी बन्द हो जायेगी जो जिला मुख्यालयों या जिला मुख्यालयों पर स्थित तहसील के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हों । इसी प्रकार जैसे ही ये भण्डार जिला मुख्यालयों पर स्थित तहसीलों के अलावा अन्य तहसील मुख्यालयों पर खुल जायेंगे, इन तहसीलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को यह अस्थायी वृद्धि मिलनी बन्द हो जायेगी ।

इसी आधार पर महंगाई भत्ते में अस्थायी वृद्धि राजकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को भी दी जायेगी सिवाय उनके जिनके वेतन वेज बोर्ड अवार्ड्स द्वारा निर्धारित होते हैं या जो 'केज्युअल' हैं जिनकी छह महीने से कम समय की लगातार सेवा है । जैसे ही ये संस्थान उपभोक्ता भण्डार खोल लेंगे या इनके कर्मचारियों को सरकार द्वारा खोले गए भण्डारों से खरीद करने की अनुमति मिल जायेगी यह महंगाई भत्ता मिलना बन्द हो जायेगा ।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूँ कि राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई दरों पर महंगाई भत्ता देना सम्भव नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने जो आज वक्तव्य सदन में दिया है, यदि यही वक्तव्य जिस समय इस मांग को मूल रूप में उठाया गया था और विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की मांग की थी, उस समय सरकार इस पर विचार करके दे देती और इस समस्या को समा-

(श्री भैरोंसिंह)

धान करने के लिए आंशिक रूप में सहायता देने की यह घोषणा कर देती तो सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार से प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती ।

यह एक निर्विवाद सत्य अब प्रकट हुआ है कि सरकार ने अभी तक वक्तव्य न देकर एक भयंकर भूल की थी । उस भयंकर भूल से सरकार को निकालने के लिये और उस बात को सुधारने के लिए यदि सरकारी कर्मचारियों ने एक प्रदर्शन के रूप में अपनी मांगों को प्रस्तुत किया हो तो मैं यह उचित नहीं समझता कि मुख्य मन्त्री जी उनकी इस कार्यवाही को अनुशासनहीनता की संज्ञा दें। सरकारी कर्मचारी अगर भूखे हैं, सरकारी कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो जावे और सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को सही ढंग से प्रस्तुत करें तो सरकार उन पर गौर ही न करे और जिद् करती जावे और जब वह इस मांग के समर्थन में बहुत ही शांतिपूर्ण अनुशासन से भरा हुआ इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं तो उनको इस तरह धमकाने की चेष्टा की जावे कि उन्होंने यह अनुशासनहीनता का काम किया है तो यह कतई सरकार के लिए उचित नहीं है ।

इसके साथ साथ मुख्य मन्त्री जी ने इस बात को भी बताने की चेष्टा की है कि राजस्थान के कर्मचारियों में आपस में भेद पैदा किया जावे । यह कहना कि बहुत से विभागों के कर्मचारी सम्मिलित नहीं हुए प्रदर्शन में और यह भी कहना कि सिवाय जयपुर के और कहीं प्रदर्शन नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि कोटा में दो बार विशाल प्रदर्शन हुए हैं। इस प्रकार के प्रदर्शन जिला कार्यालयों में करने का विचार नहीं था उनका तो इसका यह मतलब निकाल कर चलें कि महंगाई भत्ता उनका न बढ़ने के कारण किसी प्रकार का असन्तोष उनमें नहीं था तो यह धारणा मूलतः गलत है । और अगर आप इस धारणा पर कोई कार्यवाही करते हैं या समस्याओं के समाधान हेतु नीतियों का निर्धारण करते हैं तो यह बेसिकली गलत होगा ।

जहां तक उपभोक्ता भण्डारों की व्यवस्था जब तक न हो जावे तब तक इन्टेरिम रिलीफ दिया है, इससे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में यह बताने की चेष्टा की है कि महंगाई के मूल्य सूचकांक के कारण जो वृद्धि हुई है वह इतनी कम है कि जिसकी कमी के कारण जो रिलीफ इस समय सरकार दे रही है वही पर्याप्त समझा जावे ।

दुर्भाग्य यह है कि सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी यह स्वीकार किया है कि सरकार एम्प्लोइज के खर्च के बारे में लिविंग इन्डेक्स अभी तक नहीं तैयार कर रही है और जो कर रही है उस लिविंग इन्डेक्स में वस्तुतः कॉमोडिटी जो जीवन-यापन के लिये आवश्यक हैं मंहगाई के मूल्य सूचकांक के केलकुलेशन में एड किया जाना चाहिये था, वह एड नहीं किया । इसके उपरान्त भी वे यह मानकर सन्तोष करना चाहें कि मूल्य सूचकांक कम बढ़े हैं इसलिये यह जो सहायता दी जा रही है वही पर्याप्त समझी जावे, तो यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है । यह बात सरकार की लोजिकली

(श्री भैरोंसिंह)

ठीक नहीं बैठती। इसी मूल्य सूचकांक के आधार पर भारत सरकार अपने राजस्थान में रहने वाले कर्मचारियों की वेतनवृद्धि करे, मंहगाई भत्ता बढावे और उस मूल्य सूचकांक को राजस्थान सरकार के नाते यह सरकार स्वीकार न करे, यह बिल्कुल गलत है।

जब भारत सरकार देश के अन्दर विभिन्न प्रान्तों में रहने वाले अपने कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता उस मूल्य सूचकांक के आधार पर करती है तो राज्य सरकार को भी तैयार रहना चाहिये कि जो भारत सरकार के एम्पलोयीज राजस्थान में रहते हैं, वे जिस मूल्य सूचकांक के आधार पर अधिक भत्ता पाते हैं उसी मूल्य सूचकांक के आधार पर राजस्थान की सरकार भी अपने एम्पलोयीज को मंहगाई भत्ता दे। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब इस मूल्य सूचनांक के आधार पर भारत सरकार की सहानुभूति कर्मचारियों के साथ है कि उनका मंहगाई भत्ता बढाया जावे और इसी के आधार पर राज्य कर्मचारियों को भी राज्य सरकारें दें और इसके लिये ५० प्रतिशत अनुदान भी राज्य सरकारों को भारत सरकार देने को तैयार हो, फिर भी यह कह कर सन्तोष करना कि हम केन्द्रीय कर्मचारियों के अनुकूल राज्य सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता नहीं बढा सकते, यह सबसे ज्यादा खेद की बात है।

राज्य सरकार, हो सकता है, एक साथ नहीं बढा सकती अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण, तो इसका एक फेज प्रोग्राम हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहिये था।

राज्य सरकार ने अपनी पार्टी की नीति के अनुसार, संविधान में निर्धारित धाराओं के अनुसार वर्ग भेद के अन्तर को मिटाने का संकल्प कर रक्खा है। पर उनके कार्य उसके अनुरूप नहीं हो रहे हैं, वह डिस्पेरिटी आज कम नहीं हो रही है, आज सरकार ने जो डेस्पेरिटी को दूर करने का संकल्प लिया है वह अपने संकल्प को पूरा नहीं कर रही है, इतना ही नहीं, उस संकल्प से वह दूर हटती जा रही है। तो इस दृष्टि से जो भी घोषणा सरकार ने की है, वह आज की मंहगाई को देखते हुए बहुत कम है। यह राजस्थान के कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय है।

राजस्थान सरकार ने एक तरफ तो अपने बड़े बड़े कर्मचारियों के, अधिकारियों के वेतन में सौ सौ रुपयों की वृद्धि कर दी, २२५० से ऊपर पाने वालों की ढाई ढाई सौ की वेतनवृद्धि कर दी गई। उस वक्त सरकार को कोई कष्ट नहीं हुआ। न उसने एजीटेशन की इन्तजार की। न कुछ किया। चुपचाप अपने आप बढ़ा दिये। पर आज जब छोटे कर्मचारियों की मंहगाई में थोड़ी सी वृद्धि जो की है, जो कि बड़ी मजबूरी से एजीटेशन के बाद की है, उसके लिए कहती है कि इससे सरकार पर बड़ी लाए-बिलिटी आ रही है। सरकार घाटे में जा रही है, मैं समझता हूं यह कथन सरकार का किसी भी लोजिक से स्टेण्ड नहीं करता।

सरकार को चाहिये था कि मितव्ययता के आधार पर वह भारत सरकार से छोटे कर्मचारियों के मंहगाई वृद्धि से होने वाले खर्चे के लिए अनुदान मांगती, फाइनेन्सियल

(श्री भैरोंसिंह)

कमीशन के सामने इन टाइम अपनी मांग रखकर भारत सरकार से अनुदान लेकर संविधान की धारा २७५ के अन्तर्गत अनुदान की मद में वृद्धि की और मांग करती। पर सरकार ने वह अनुदान भी नहीं लिया।

दो तीन दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा था कि हमारे मुख्य मन्त्रीजी केन्द्रीय वित्तमन्त्रीजी से मिले थे और उनको अपने राज्य की वित्तीय स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने भी अपनी सहानुभूति कर्मचारियों के प्रति प्रकट की है। कर्मचारियों के साथ उनकी भी सहानुभूति है। राजस्थान की सरकार के साथ भी उनकी सहानुभूति है। तो फिर अगर सरकार ही इन्कार करना चाहे और राजस्थान के कर्मचारियों को उचित मंहगाई भत्ता देने से वंचित करना चाहे तो यह घोर अन्याय है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि अभी सरकार एक महीने के बाद सही रास्ते पर आई है और उसने मन्जूर किया है कि मंहगाई भत्ता बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार का अपने राज्य कर्मचारियों के असन्तोष को दूर करना प्रथम कार्य होना चाहिये। पर आपके जिस तरह से स्टेटमेंट होते हैं और जो आप कार्यवाही करते हैं जो असन्तोष राज्य कर्मचारी व्यक्त करते हैं उसकी निन्दा करके उस काम को खत्म करने की चेष्टा करते हैं वह उचित नहीं है। इससे तो असंतोष के स्थान पर असन्तोष बढ़ेगा। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि आपने जो मंहगाई भत्ता बढ़ाया है वह अपर्याप्त है, आज की बढ़ी हुई मंहगाई के सूचकांक के अनुकूल नहीं है। जो केन्द्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता बढ़ने के कारण उनमें भी एक जलन है उसको मिटाने वाला नहीं है, जो काम की अधिकता है उसके भी अनुसार नहीं है, श्रम के अनुकूल भी नहीं है। इसलिए राज्य सरकार इस पर फिर से विचार करे और मंहगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते के अनुकूल बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिये।

राजस्थान में कुछ मितव्ययिता के द्वारा भारत सरकार से अनुदान द्वारा साधन जुटा कर कमी को पूरा करने के लिए फेज्ड प्रोग्राम बनाकर इसमें वृद्धि करे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, इस मसले पर और इस वक्तव्य के ऊपर जो कि नेता महोदय ने दिया है सदन में, मैं समझता हूं कि इसको राजनैतिक रूप नहीं दिया जावे।

सवाल यह है कि यह वक्तव्य सरकार पहले दे देती तो अच्छा था। वक्तव्य देने में क्या इम्पलीकेशन्स होते हैं यह हर सरकार को सोचना पड़ता है। तो यह कहना कि उस वक्त दे देते, नहीं दी तो बहुत बड़ी भूल कर दी, तो यह कह कर गलत ढंग से कुछ करने की कोशिश की जा रही है।

यहां का नौकर समझदार है, वह भी खूब समझता है कि दूसरी पार्टियां जिनकी जिम्मेदारी नहीं है, किस तरह से वे लोग हर मुद्दे के अन्दर किसी तरह की खुशहालट पैदा करना चाहते हैं और जिस तरह से असली मां और नकली मां का झगड़ा मशहूर है, वे जानते हैं। आज उस नकली मां की पोल खुल गई पूरी तरह से।

श्री भैंरोंसिंह : आपकी पीड़ा हम जानते हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जी हां, आपकी पीड़ा और उत्पीड़न का बहाव उठता है उसे कर्मचारी, समझदार हैं, पढ़ा-लिखा है, जानता है । वह इस बात को समझता है कि यह सरकार किस तरह से उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सारे मसले को सोल्व करके सही तौर से रिलीफ पहुंचाना चाहती है । इसके साथ यह भी बात वह समझते है....

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : दादी मां का दूध सूख गया ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी जय बोली जाती है तो भभक भभक कर ये चीजें कहते हैं जिनका असलियत से ताल्लुक नहीं, आप इसको मिटाना चाहते हैं, क्या सरकार नहीं मिटा सकती, क्या कलम के नोक से रुपये बांटे जाते हैं ?

श्री भैंरोंसिंह : अब तक क्या किया है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो कुछ किया है, जो ताकत थी सरकार की जो फाइनेन्सेज़ थे, जो डेवलोपिंग इकोनोमि है, जो विकास के काम करने हैं इन सबको देखते हुए सरकारी कर्मचारियों को अपना हक देने के लिये, उनको पूरा संतोष दिलाने के लिये पूरा प्रयत्न किया गया है (करतल ध्वनि) हमेशा आपने खोंचा लगाने का काम किया है । मैं आपको डिसिप्लेन के नाम पर सभी पार्टीज से कहता हूं कि आपको गंभीरता से सोचना चाहिये । इस सरकार को ऐतराज नहीं है बढ़ाने में लेकिन एक तरफ जब टेक्सेज लगाते हैं तो आप उनका विरोध करते हैं, इकोनोमि करते हैं तो विरोध करते हैं । विरोधी पार्टीज का एक तरीका बन गया है । सदन में आते हैं तो एक तरीका बन गया है जैसे कोई ससुराल में जाता है तो व्याही लोग गालियां देते हैं, आप लोग भी उसी तरह से करते हैं । हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि व्याहियों से गालियां ही मिलेंगी ।....

श्री भैंरोंसिंह : माननीय सदस्य पर तुलसीदासजी का असर कब से हो गया ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इसको साफ कर देता हूँ । आपने जो वक्तव्य दिया वह इतना अच्छा वक्तव्य था, फिर भी आपको यह शिकायत है, कभी कहते हैं कुछ नहीं मिला, कभी कहते है तीन चार दिन पहले क्यों नहीं दिया, पहले दे देते तो प्रदर्शन नहीं करते । इन्डिसिप्लिन करने वालों को सरकार ने चेतावनी दी कि गैर जिम्मेवार लोगों के भड़काने में मत आओ । हमने अपने कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखलाई । जो कुछ करना है वह हम ही कर सकते हैं, आप तो कोरी बातें करते हैं । उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की हमारी ताकत है उसके अनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरा करने की कोशिश करते हैं । आपकी शिकायत किसी आधार पर हो सकती है, लेकिन सरकार भी किसी आधार पर ही बात कर सकती है, सरकार के पास रुपये बरसने नहीं लगते हैं फिर भी सरकार को अपने कर्मचारियों को बढ़ावा देना है सहानुभूतिपूर्वक जिम्मेदारी के साथ उनके लिये कुछ करना है गैर जिम्मेदारी के साथ नहीं । गरीबी की लड़ाई को तो कांग्रेस ही

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

पूरा कर सकती है और कदम-दर-कदम प्रगति की ओर बढ़ती जा रही है। आप फूट पैदा करना चाहते हैं, कर्मचारी उसको समझते हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा राज्य है, इतने ज्यादा कर्मचारी हैं उन पर आपका असर चला "बुभुक्षितं किं न करोति पापम्" उनके भरोसे आप अपनी बाटियां सेक कर खाने की कोशिश मत करो। इस लिये मैं कहना चाहता हूँ अदब से, आप इतने विचार की बातें करते हैं, जनसंघ डेमोक्रेसी में विश्वास करता है फिर भी आप इतने ओछे हथियार से भड़काने की कोशिश करते हैं ये सरकारी नौकर आपके भड़काने में नहीं आने वाले हैं। आपके इतना जोर देने के बावजूद भी उन्होंने संयम रखा है, ज्यादा लोगों ने संयम रखा है कुछ लोगों ने किया है तो उनको पोइन्ट आउट किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिये उनके प्रति हमारी सहानुभूति है। यदि करेंगे तो हम ही करेंगे। कांस्टिट्यूशन में डाइरेक्शन्स हैं उसी तरह से बढ़ेंगे। ये डाइरेक्शन भी हमारे ही बनाये हुए हैं, कॉंस्टिट्यूशन कांग्रेस का बनाया हुआ है। हमने मजबूती के साथ कायम किया है। आज बराबर कांग्रेस तरक्की करती हुई रास्ते पर सारे मुल्क को ले जा रही है। गरीबी से आजादी दिलाने के लिये सारे देश में काम कर रही है। जनता को उस पर विश्वास है यह बात भी क्या आपको आख में अंगुली डालकर बतानी पड़ेगी ? वह तथ्य है। आप कम से कम सरकारी नौकरों पर रहम करिये। जो बात करनी है उसको नोटिस करके सहानुभूति से करेंगे। आप उनको भड़काने का काम करेंगे, तो इस देश की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचेगा, यह मेरा निश्चित मत है। जनसंघ डेमोक्रेसी में विश्वास करता है, इसलिये उसको कहता हूं जो लोग इन खाली बैन्चों पर बैठते हैं उनका तो यह धंधा है हर चीज में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं उनसे नहीं कहता। जनसंघ डेमोक्रेसी में विश्वास करता है यह उनकी प्रक्रिया है और सिद्धान्त हैं, पोलिसी है, उसके खिलाफ आप यह कर रहे हैं उसका अफसोस है।

श्री भैरोंसिंह : एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं नेता महोदय से। आज ज्वालाप्रसादजी ने काफी बर्टरिंग किया है। आज चुनाव हो रहे हैं, उसमें ज्वालाप्रसादजी भी उम्मीदवार हैं, उनको तो कम से कम जिता दें। इस बर्टरिंग के बाद भी उनको यदि नहीं जिताया गया तो सरकारी कर्मचारियों को राहत देने से अन्याय होगा ही, लेकिन इनके साथ भी अन्याय होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जहां तक हमारे जीतने का सवाल है हमारी तो निश्चित जीत है, लेकिन आप जिस तरह से नेता के सामने गिड़गिड़ा रहे थे वह भी मैंने देखा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर); अध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद बात है कि सरकारी कर्मचारियों को संतुष्ट रखें यह सरकार का पुनीत कर्तव्य है। मैंने मुख्य मंत्रीजी की घोषणा सुनी उन्होंने जो इन्टेरिम रिलीफ के रूप में व्यवस्था की है....

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : १ बजे तक।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उन्होंने इन्टेरिम रिलीफ के सम्बन्ध में व्यवस्था की है उसकी प्रशंसा तो मैं नहीं कर सकता किन्तु मैं समझता हूँ वह एक ठीक दिशा में कदम उन्होंने उठाया है। (हीयर हीयर) सरकार को दिक्कत है। उसको मैं अनुभव करता हूँ। यह एक आसान मसला नहीं है और यह भी मैं समझता हूं किन्तु विरोधी पक्ष के नाते हमको अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करते हुए सरकार को एम्बेरेस करना आज की समस्या को देखते हुए हम ठीक नहीं समझते। किन्तु इसके साथ साथ मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए शायद ४.६ महीनों के बाद उनको फिर और कुछ महगाई अलाउन्स बढ़ाने के सम्बन्ध में व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, उनके मत के अनुसार उपभोक्ता भंडार के सम्बन्ध में वे जोर दें और यदि उनकी नीति है तो इसके सम्बन्ध में व्यवस्था करने की कोशिश करें, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मत-मतान्तर का प्रश्न है, मैं इस बारे में विशेष विचार व्यक्त नहीं करूंगा किन्तु यह अवश्य कहूंगा कि यदि मंहगाई बढ़ती हुई उनको दिखती हो तो इस तरह का प्रदर्शन करने के पूर्व यदि वे कर्मचारियों को सतुष्ट करने के उपयुक्त व्यवस्था करेंगे तो कदम ठीक तौर से लेंगे। मैं समझता हूँ एक दम जो केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये मंहगाई अलाउन्स की व्यवस्था है वह शायद राजस्थान के कर्मचारियों के लिये यह सरकार नहीं कर पाये, किन्तु जिस हद तक हो सके, मैं इतना अवश्य कहूँगा बिना सरकार को एम्बेरेस किये कि उनको उदारता के रूप में अपने कर्मचारियों को संतुष्ट करने के लिये हर तरह की व्यवस्था करने के लिये सजग और तत्पर रहना चाहिये।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि विरोधी पक्ष वाले तो केवल मात्र आरोप लगाते हैं और गालियां देते हैं। कम से कम मैं उनको इतना निवेदन करूंगा कि अब तो होली गुजर गई है और गालियों का समय भी चला गया है। हम हमारी जिम्मेदारी को अनुभव करते हुए सरकार को इतना अवश्य कहेंगे कि यह जो व्यवस्था की गई है, शायद एक ठीक दिशा की ओर कदम लेते हुए भी पर्याप्त रूप से व्यवस्था की गई है—यह समय भी साबित नहीं कर सकेगा, भविष्य भी यह साबित नहीं कर सकेगा—यह मेरा अनुभव है। इसलिए इसमें आप जो कमी देखें तो उसको पूरी करके अपने कर्मचारियों को संतुष्ट वक्तसर करने के लिए ठोस कदम लेने के लिए तैयार रहें और तत्पर रहें।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार और एक टूटी चारपाई—दोनों का एक ही हाल है। टूटी चारपाई की जब तक ठोका-पीटी नहीं करो जब तक टूटी चारपाई की खींचातानी नहीं करो तब तक उस टूटी चारपाई पर आप सो नहीं सकते। इसी तरह जब तक इस सरकार की ठोका-पीटी नहीं करो तब तक यह सरकार भी कोई काम नहीं कर सकती।

कर्मचारियों ने अपनी मांग की, मुख्य मंत्री से उनके डेपुटेशन मिले और तरह तरह की उन्होंने कार्यवाही की लेकिन आप तो वजीद होकर बैठ गये, नहीं, मंहगाई भत्ता

(श्री हरिराम चौहान)

नहीं बढ़ेगा, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। क्या करोगे ? उपभोक्ता भंडार खोलेंगे। उपभोक्ता भंडार कब खोलोगे ? रात को ख्वाब आया, तो कल उपभोक्ता भंडार खोलने पर विचार करने लग गये। और अब ख्वाब आया तो कहने लगे कि शायद उपभोक्ता भंडार नहीं खुलें। अब क्या करना पड़ेगा ? तब कहते हैं कि उपभोक्ता भंडार खुलें तब तक के लिए थोड़ा राहत देते हैं।

आपको मालूम होना चाहिए कि मंहगाई कितनी बढ़ रही है, क्या भाव अनाज का है, क्या भाव कपड़े का है, क्या भाव तेल का है, क्या भाव तम्बाकू का है, किस तरह आप टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। यह सरकार तो सारे राजस्थान का बजट बनाती है, उसको तो मैं नहीं समझता। लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ मुख्य मंत्री जी से, और वह है, आप अपने चपरासी का बजट बना कर बता दो कि एक साल के अन्दर, एक महीने के अन्दर उसके परिवार के पांच आदमियों का कितना खर्चा आयेगा। उस आधार पर उन्हें तनख्वाह देनी चाहिए। यह राहत जो दी गई है, यह राहत बड़ी कोशिश के बाद, बहुत संघर्ष के बाद....

श्री भैरोंसिंह : चपरासी को पांच रुपये दिये है।

श्री हरिराम चौहान : बहुत संघर्ष के बाद यह राहत दी गई है। यह पांच रुपये की राहत दी है, यह पांच रुपये की राहत आज बढ़ती हुई मंहगाई के जमाने में ऐसी राहत है—जैसे ऊंट के मुंह में जीरा डाल दें। ऊंट के मुंह में जीरा डाल कर कह दें कि भई, अब मैं इससे काम लेना चाहता हूँ, अब सुबह से लेकर शाम तक काम लूंगा, सारी की सारी बेगार कराऊंगा, दूसरे धन्धे कराऊंगा। यह बात कोई अच्छी नहीं है। मंहगाई उनकी जो बढ़ा रहे हैं वह भी जब कि उनकी मांग है, केन्द्रीय कर्मचारियों को जो वेतन और मंहगाई मिलती है वह ही हमको मिलनी चाहिए। यह उनकी मांग एक न्यायपूर्ण मांग है और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा इस बात के लिए मदद दें, और यहां पर जब तक तमाम साधन इकट्ठे नहीं कर लेती है उस वक्त तक के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालें, सेन्टर गवर्नमेंट से मदद लें। लेकिन किसी भी मुख्य मंत्री को और किसी भी सरकार को इसका कतई ख्याल नहीं है कि हमारे यहां किस का पेट भर रहा है या किसका नहीं भर रहा है।

वैसे तो आप समाजवाद का नाम लेते हैं, और समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन समाजवाद के अन्दर तो एक एक आदमी की जिम्मेदारी, उसको काम देने की जिम्मेदारी, उसको मकान देने की जिम्मेदारी और सारी चीजों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ती है और उसके विधान के अन्दर यह बात दर्ज होती है। लेकिन आप उन सारी बातों को छोड़ दीजिये कि कितने लाख लोग बेकार हैं, कितने हजार लोग बेकार हैं—वह आपके पास में काम के लिए नहीं आ सकते, और आप भी उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं कि

Page No. 47

(श्री हरिराम चौहान)

उनको काम देने का हमारा काम है, उनका भी पेट किसी तरह भरना हमारा फर्ज है। इस बात को तो न आप विधान में दर्ज करते हैं और न ही अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी आपकी चौबीस घंटे सेवा करते हैं, जो चौबीस घन्टे आपका काम करते हैं, जो सरकार उनका पेट नहीं भर सके-उस सरकार को किसी तरह भी राज्य करने का अधिकार नहीं है। मैं यह समझता हूं कि जो राहत दी गई है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

वह राहत बहुत कम है और इसके ऊपर सरकार को दुबारा विचार करना चाहिए और जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मांग रहे हैं उनकी मांग की चीजें करके उनको ज्यादा से ज्यादा देनी चाहिए।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय........

(श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगाराम ! बहुत संक्षेप में बोलें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, जो कर्मचारियों की महंगाई में पांच रुपये और दस रुपये बढ़ाये गये हैं, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि उपभोक्ता भण्डार खोले जायेंगे जब तक, उसके दरम्यान यह सहायता देंगे। अब मैं कहता हूं कि जो आप उपभोक्ता भण्डार खोलेंगे, तो जैसे आज आप उपभोक्ता भण्डार खोल दें-तो जिस तरह आपने कर्मचारियों के दो फिरके बनाकर पांच रुपये और दस रुपये दिए हैं, उसी तरह से जो उपभोक्ता भण्डार में चीजें मिलेंगी वह दो तरह से मिलेंगी-एक को सस्ती और दूसरे को महंगी। मेरी समझ में नहीं आता है कि आपने जो पांच रुपये और दस रुपये का हिसाब लगाया है यह किस तरह से लगाया है। आप कहते हैं कि जब उपभोक्ता भण्डार खोले जायेंगे तो उनमें समानता के साथ सस्ती चीजें मिलेंगी। लेकिन जो व्यवस्था आपने की है, खैर जो कुछ भी की है वह ठीक है, लेकिन इसमें दो हिसाब रखे गए हैं-यह अनुचित बात है। यह उचित बात नही है। मैं कहना चाहता हूं, आप महीने, दो महीने, चार महीने में उपभोक्ता भंडार खोलेंगे तो लोगों को समानता से चीजें देंगे, जो भी देंगे वह आप एक हिसाब से लेंगे। इसलिए जो महंगाई के नाम से दो हिसाब से सहायता देने की बात है यह बिल्कुल गलत बात है और अनुचित बात है और मंहगाई के जमाने में कर्मचारियों में जो नीचा तबका है उनके साथ अन्याय कर रहे हैं क्योंकि उनको आप सिर्फ पांच रुपये दे रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे बड़े कर्मचारियों को दस रुपये दे रहे हैं। यह सरकार के लिए शोभनीय बात नहीं है और कर्मचारियों के साथ में एक बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं। एक तो पांच रुपये के हिसाब से उनकी मंहगाई बढ़ाने से उनके ऊपर कोई असर पड़ने वाली बात नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर दस रुपये बढ़ाते हैं तो दोनों का बराबर बढ़ायें। जब आप कहते हैं

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

कि उपभोक्ता भंडार में सब चीजें समानता से देंगे तो फिर इसमें आपने क्यों फर्क रखा है ? मैं निवेदन करूंगा कि दस रुपये दोनों वर्गों को मिलने चाहिए । अगर ज्यादा बढ़ायें तो आपकी महरबानी है, अच्छी बात है । लेकिन अभी सबको दस रुपये देने चाहिए आपके कहने के मुताबिक और नियमों के मुताबिक भी । यही मैं कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल सारस्वत !

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंहगाई जी रे सिलसिले में मुख्य मंत्री जी री घोषणा सुनी । सुनने रे बाद असंतुष्ट होणो है, जो भी हाउस में बैठा है वाने असंतोष होणो है, जो कि कर्मचारी आज मंहगाई रे कारण दुःखी है वाने पांच रुपया री मंहगाई और वो भी अस्थाई तौर पर दी गई है । ई मंहगाई ने देखता सरकार रे सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट हो गई है कि जी का लोग कम तनख्वाह का लोग है वीके साथ सरकार री कोई सहानूभूति नहीं है । मैं समझूं, मुख्य मंत्री एक लम्बे अर्सा सूं राजस्थान ने चला रहा है और दो हजार की तादाद में अठे प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बाद भी आज पांच रुपया मंहगाई नाम मात्र ने वीं ने दी जावे और वठे भी कह देवे कि कोपरेटिव स्टोर के जरिया सूं स्टोर आगा न सरकार खोलेगी, वीं के बाद मंहगाई बंद कर दी जावेगी । मुख्य मंत्री जी, कोपरेटिव री स्थिति, आज सहकारी भंडार........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने 'कोआॅपरेटिव' नहीं कहा । कहीं कोआॅपरेटिव पर बहस न करने लग जायं ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : उपभोक्ता भंडार कह्यो है साहब, आप संशोधन कर लेओ । म्हारो निवेदन है कि उपभोक्ता भंडार आज जगह जगह चाल रह्या है, वीं की स्थिति जानते हुए कि जनता ने वींसूं लाभ नहीं है, फिर भी उपभोक्ता भंडार का एलान करो हो और वीं लोगों ने मुगालतो दे रह्या हो और ईं तरह अस्थाई मंहगाई दी जा रही है, जो उपभोक्ता भंडार खोलने रे बाद बन्द कर दी जावेगी । मैं निवेदन करणो चाहूं, ईं वक्त मंहगाई रो बोलबालो है, और कितनी लम्बी मंहगाई, अब हर एक चीज की कीमत बढ़े, यह देखता हुआ पांच रुपया मंहगाई इसा आदमी ने देणो चावो, जो सुबह सूं शाम तक आप री हुकम-हुजूरी करे, जो फोर्थ क्लास आदमी है, जो कि आप पर ही निर्भर करे । तो मैं निवेदन करनी चाहूं कि इस तरह सेन्टर का भत्ता है वो भी मानणने तैयार कोनी । ५० परसेन्ट मंहगाई भत्ते में सेन्टर देवनी चावे तो भी मंहगाई नहीं देवनी चावो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इके साथ साथ मैं निवेदन करनी चाहूं के ५० परसेन्ट महंगाई वहां से मिलने पर पांच रुपया वढाना चावो तो पांच रुपया वढाने में जेडी स्थिति चल रही है आप लोग एक साधारण सी मंहगाई दे कर लोगां ने मुगालता में रखणा चाहो तो मैं मुख्य मन्त्री जी ने निवेदन करनो चाहूं कि कीमतां बढतीं जा रही है । आप जाणों हो

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

के लोग दुखी लोग ही होवेला और कम तनखा सु उणारो भरण पोषण नहीं वेला जरेइज कर्मचारी प्रदर्शन करेगा । आप देखियो २० हजार को जुलूस, दुखी हुया बिना कोई भी जुलुस में नहीं आवणी चावे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैंने पांच मिनट तो मिलना चाहिजे । पेली वार ही बोल रियो हूं ।

श्री अध्यक्ष : इणरी कसर मत काढ़जो आप ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जुलूस में औरतां और बच्चा भी आया और उणरे बाद में भी मुख्य मन्त्री जी की आंख नहीं खुली । वांने पांच पांच रुपया महंगाई देने मुगालते में रखनी चावे । आप केवों के बजट बढ जा रयो है । मैं यह कहूँ कि लाखों रुपया आप टी. ए. और डी. ए. में निकालो वे टी. ए. डी. ए. कम लेता । अपने वेतन बढाये हैं । मंत्रियों को दूसरे खर्चों में कमी करनी चाहिये । पेट्रोल कम बालो और गरीब कर्मचारियों के साथ सहानुभूति करो ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक बात के बारे में कहूँगा कि जयपुर के लोगों ने ही नहीं किया यह प्रदर्शन, मगर चारों तरफ लोगों ने प्रदर्शन किया है । आज कर्मचारी आगे प्रदर्शन करण रे वास्ते भी तैयार है । पांच रुपया आपने दिये हैं वे बहुत कम हैं । तो मैं चीफ मिनिस्टर से जिको कि हाउस रा सेणा आदमी है, भूखे और नंगे आदमी हैं उनकी मदद करें और सेन्टर के अनुसार देवण री चेष्टा करें ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जगह जगह पर आज मास्टर भूख हड़ताल पर बैठा है । आप उनकी सुणों नहीं । आपने हमारे साथ तो अपने बहुमत के जोर पर अन्याय किया मगर कर्मचारियों पर तो अन्याय नहीं करनो चाहिये । कर्मचारी बदल जावे तो आपके मुश्किल हो जावे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : इस पर जनरल बहस तो हो नहीं रही है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों को जो सदन के समक्ष रखी गई हैं उनको स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा । यहां पर कहा गया कि भारत सरकार ५० परसेन्ट रुपया सरकार को मंहगाई भत्ता बढाने की हालत में सबसीडी देने को तैयार हैं । मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह बात सही नहीं है । हमने लगातार इसके लिये प्रयत्न किये कि भारत सरकार की तरफ से हमको मंहगाई भत्ता बढाने में मदद मिले जिससे हमें आगे कार्यवाही करने में बहुत सहूलियतें मिले । मगर उसके बारे में उनकी तरफ से स्पष्ट तौर से कहा गया कि इस सम्बन्ध में, जहां तक भिन्न भिन्न प्रान्तों का प्रश्न है, वे कोई

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मदद नहीं करने वाले हैं। इसलिये यह, भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि वित्त मंत्री या भारत सरकार की तरफ से मदद का आश्वासन दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अनुशासन के सम्बन्ध में बात कही, वह मैंने कोई खुश होकर नहीं कही। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले जिस रोज प्रदर्शन हुआ मैंने इस सदन में कहा था कि इस प्रकार राज्य कर्मचारी लोगों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिये। उसके बाद फिर ६ तारीख को दूसरा प्रदर्शन किया गया। इसके लिये मुझे ८ तारीख को दिल्ली जाना था, लेकिन मैं इन्सट्रक्शन देकर गया था कि उनके प्रतिनिधियों को बुला कर कहा जावे कि मैं १३ तारीख को सदन में स्टेटमेंट इस सम्बन्ध में दूंगा। यह बात उनको कहला दी गई थी कि वे, प्रदर्शन में न पड़ें। उन्होंने इस बात के कहलाने के बाद भी प्रदर्शन करना पसन्द किया, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रदर्शन करना उनके लिये उचित नहीं था। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी इसको उचित नहीं समझेंगे। जब १३ तारीख को स्टेटमेंट देने की बात उनको पहुँचा दी जावे फिर वे प्रदर्शन करें, क्योंकि उन्होंने तय किया था, उससे जो असर पड़ता है उसके लिये स्वयं माननीय सदस्य अन्दाजा लगा सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह ८ तारीख को राज्य कर्मचारियों को बताने की बात कही गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिये ८ तारीख को राज्य सरकार यहां पर घोषणा कर सकती थी। अगर ८ तारीख को यहां पर इसके सम्बन्ध में कह दिया जाता तो पब्लिक और समाचार पत्रों में यह ६ तारीख को आ जाता। तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि यह प्रदर्शन नहीं होता। मगर अफसोस इस बात का है कि २६ तारीख को पहला प्रदर्शन हुआ। उस समय उपभोक्ता भंडार खोलने की बात कही गई। उसके बाद फिर काल अटेन्शन नोटिस आपके सामने आया। ८ तारीख को इस पर सदन में बहस हुई। उसमें चार बार मांग की गई। मगर सरकार ने एक बार भी यह नहीं कहा कि हम इसके लिये १३ तारीख को घोषणा करने वाले हैं। अगर उस दिन यह बात कह दी जाती तो मैं समझता हूं कि यह प्रदर्शन नहीं होता। अगर आप ८ तारीख को यह बात सदन में कह देते तो यह सरकारी कर्मचारियों का, प्रदर्शन नहीं होता। मैं यह कहूंगा कि यह सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन था और अगर उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया होता तो यह लाभ उनको नहीं मिलता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ८ तारीख को मुझे बताया गया कि हाउस एडजोर्न हो गया, इसलिये स्टेटमेंट नहीं दे पाये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं और एक्जीक्युटिव और एक्शन कमेटी के सदस्य हैं उन लोगों को प्रदर्शन करने के काफी समय पहले बतला दिया गया था और उनको सूचित कर दिया गया था। सदन में स्टेटमेंट हुआ हो या नहीं, मैं यह बात कह रहा हूं कि उनको सूचना पहुंचा दी गई थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उनको यह सूचना नहीं थी कि उनको मंहगाई भत्ता मिलेगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात को उन्हें नहीं कहा गया था कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ेगा, यह बात सच है । मगर जब यह बात कही जावे कि आपकी डिमान्ड के सम्बन्ध से १३ तारीख को सदन में वक्तव्य दिया जावेगा तो मैं समझता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों को समझ जाना चाहिये था । मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आज सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी के कर्मचारी नहीं हैं अगर वे इतनी बात जानने के बाद भी प्रदर्शन करते हैं तो मैं यह कहूँगा कि क्या हम इस बात को तरजीह देना चाहते हैं या उचित समझते हैं कि हम उनकी इस प्रकार की बातों को तरजीह दें । मैं यह कहूँगा कि आज डेमोक्रेसी में कोई भी सरकार हो, सरकार किसी की आ सकती है और जा सकती है लेकिन डिसिप्लिनरी तौर से वे चलते रहें । हर पार्टी का यह काम है कि वे इस पर ध्यान दें । वे पोलिटिक्स से दूर रह कर चलें जिससे इस प्रकार का मौका न आए ।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर इस बात को भी कहा गया कि हमने उनको जो कुछ दिया है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया है । मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि पर्याप्त मात्रा में जो हमारी आज सर्विसेज हैं खास तौर से मिनिस्टीरीयल सर्विसेज और दूसरों के लिये, मैं मानता हूं कि सही माने में जिसको क्रियान्वित कहें, नहीं है । मगर जो कुछ उनको दिया जा सकता है, अपने प्रान्त की केपेसिटी वित्तीय हालत को देखते हुए ही दिया जा सकता है । वरना कोई सिद्धान्त की रुकावट या नहीं देने की रुकावट हमारे सामने नहीं आती है । आज अगर हमारे पास वित्तीय साधन काफी हों और मैं इस बात को कहता रहा हूँ कि इनको देने के साथ साथ आम जनता का स्तर ऊपर उठा सकें उसके लिये हम कुछ रुपये रखें ताकि आगे जाकर स्टेट की केपेसिटी बढ़े और धन समन्वय का प्रश्न पैदा हो । इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें कार्य करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, यह भ्रम भी चलता है कि फाइनेन्स कमीशन ने लो पेड एम्प्लाईज़ के लिए हमको कोई ग्रान्ट दे दी है और उस ग्रान्ट को हम दूसरी तरह यूज कर रहे हैं, उनको उनका वाजिब हक नहीं दे रहे हैं । तो मैं यह कहता हूं कि यह भ्रम है । जो हमने ६२ में डी. ए. बढ़ाया और सूचना फाइनेन्स कमीशन को भेजी कि इसका फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन आने वाले वर्षों में ७ करोड़ होगा । डिटेल में १.७४ करोड़ हमारा डेफिसिट होगा, यह हमने उनको कन्वें किया और उन्होंने अपनी तरफ से क्या ज्यादा इन्कम हो सकती है, यह सब कर के १.३४ करोड़ डेफिसिट मान कर फाइनेन्स कमीशन ने सेंक्शन की है । उसमें ७ करोड़ रुपया ५ साल का ६५ के मार्च में सेंक्शन कर चुके हैं, उसका खयाल था कि उसमें ले लिया होगा, ऐसा प्रीज्यूम कर के चलते हैं पर जो हमें खर्च करना पड़ेगा, फाइनेन्स कमीशन में मैंने डिस्कशन भी किया है और मैंने कहा था कि आने वाले वर्षों में २० करोड़ रुपया हमको हमारे कर्मचारियों की वेतन वृद्धि में खर्च करना पड़ेगा, आधा

Page No. 52

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

फाइनेन्स कमीशन से हमें प्रावधान मिलना चाहिये, उसकी फाइनेन्स कमीशन ने सुनवाई नहीं की।

कुछ और कहा कि ऐसी हालात पैदा होती है कि फाइनेन्स कमीशन ने कमिट किया, वह हालात नहीं थीं तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से विचार करके, कैसे इस प्रकार के प्रश्न का हल किया जा सकता है. हमने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से निवेदन किया है, मीटिंग हुई उसमें हमने जोर दिया कि कोई उस धारा के नीचे ऐसी कोई ओथेरिटी, आवश्यक वित्त सहायता भारत सरकार हमको दे पर आज तक भारत सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं किया गया है और अभी तक कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। तो जो हमें फैसला करना पड़ रहा है, आज की जो हमारी परिस्थिति है, जो हमारे वित्तीय साधन हैं, उनको ध्यान में रख कर करना पड़ रहा है। आज जितने सरकारी कर्मचारी हैं, वर्क चार्जेज, कारपोरेशन, सभी आ गये, हमारे इस निर्णय से राजस्थान के दो लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचने वाला है। जो हमने निर्णय लिया है, इस निर्णय के लिए कहा गया कि आन्दोलन से पहले कह दिया जाता। जो उनके प्रतिनिधि मिलने आये उनको मैंने कहा। कैश में रिलीफ देते हैं, पूरा मिलेगा, कोई कहते थे कि पूरी चीजें वहां से नहीं मिलतीं, हमें बहुत सी चीजें बाजार से लानी पड़ती हैं, मैंने उनसे कहा था कि जो पोइन्ट आप कह रहे हैं उनको कन्सिडरेशन में रखते हुए किया जायगा ये उनके डेपुटेशन के सामने बातें हुई। आफीसर्स ने उनसे इस बात की चर्चा की, इसके बावजूद भी इस प्रकार का रुख अपनाने की बात समझ में नहीं आती। एक अफसर टीम को बाहर भेज कर जांच कराने की कोशिश की कि कितना जल्दी इस को कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अध्ययन से राज्य सरकार को अनुभव हुआ कि इस व्यवस्था को पूरी तरह जमाने में कुछ समय लग सकता है और राज्य के कर्मचारी और दूसरे व्यक्ति यह नहीं समझे कि हम उनको कुछ नहीं देना चाहते हैं, टालना चाहते हैं इसलिए हमने यह घोषणा करना उपयुक्त समझा।

मैं फिर अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों को और राज्य कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार अपने वित्तीय साधनों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार से मदद मिल सके तो उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे राज्य कर्मचारियों की मुश्किलों को हम समझते हैं इसलिए जो कुछ हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं। यहां के कर्मचारियों ने किया, दूसरों ने नहीं किया, यह मैंने राज्य कर्मचारियों में भेद डालने की दृष्टि से नहीं कहा। मेरा आशय इसके पीछे यह है कि जो लाखों आदमी इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हैं, उनको भी रिलीफ मिल रहा है, जो प्रदर्शन नहीं करते उनकी बहुत बड़ी तादाद है, लाखों व्यक्ति अपनी जगह बैठ कर काम करते है, उनको भी रिलीफ मिलने वाला है।

हमने गवर्नर की स्पीच से आज तक महंगाई के लिए, राजस्थान सरकार कुछ नहीं करना चाहती, यह नहीं कहा। बहस

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चलती थी तो यही कहते थे कि उपभोक्ता भण्डार जल्दी खोल सकते हैं या नहीं, उनसे किसको किस प्रकार का रिलीफ दिया जाय, यही बहस का विषय था। यह नहीं कहा कि रिलीफ नहीं देना चाहते और अब अचानक रिलीफ देने की घोषणा कर दी हो। रिलीफ तो देना चाहते थे, तरीकों के बारे में भेद की बहस थी, रिलीफ के बारे में सरकार ने कभी नहीं कहा कि हम उनको रिलीफ नहीं देना चाहते।

श्री अध्यक्ष : लाखेरी सीमेंट कम्पनी में जो स्थिति है. बोनस इत्यादि के सम्बन्ध में, श्रम मन्त्री जी इस बारे में वक्तव्य देंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जनलेखा समिति के लिए जो मैंने मनोनयन पत्र दिया था उसको वापिस लेता हूं।

श्री जोधसिंह चौहान : (गिरवा) : मैं भी अपना नाम वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : एक बजे तक का समय था, समाप्त हो गया....

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्री जी की घोषणा हो रही थी।

श्री अध्यक्ष : इस तरह वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है, जो पार्टीज के चीफ व्हिप हैं, वे अपना वक्तव्य दे दें।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, लाखेरी सीमेंट कम्पनी ने बोनस एक्ट के मातहत..........

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाडा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना नाम...

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, इस तरह लेने से कोई महत्व नहीं, आप अपने व्हिप महोदय से बात करें।

(१.०८ म० प०)

लाखेरी सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों को बोनस देने सम्बन्धी शासकीय वक्तव्य

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, लाखेरी सीमेंट कम्पनी में बोनस देने के सिलसिले में यह फैसला किया कि उन्होंने बोनस एक्ट के मातहत १५ परसेन्ट, जिसकी सेलेरी और वेज जो उस साल से मजदूर ने कमाई है, वह बोनस देने को तैयार है, इस शर्त पर कि जो मामले हाई कोर्ट के सामने अन्य प्राइवेट एन्टर-प्राइजेज ने उठाये हैं, उनका फैसला होने पर यह बोनस जो १५ परसेंट उन्होंने देने का फैसला किया है, वह एड्जस्ट कर लिया जायगा। इसके माने यह हुए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बोनस एक्ट के खिलाफ हो जाय तो १५ परसेंट लाखेरी के मजदूरों को जो दिया जायगा वह उन्हें वापिस देना पड़ेगा। या १५ परसेंट से कम है तो जो डिफरेंस होगा वह उन्हें अपनी तनख्वाह से वापिस देना पड़ेगा। इस प्रकार की कन्डीशन्स के साथ लाखेरी सीमेंट कम्पनी ने फैसला किया। हमारे श्रम विभाग ने लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों से बात की और उनको कहा कि यह उचित नहीं है, खास कर जब कि आपने, लाखेरी सीमेंट कम्पनी ने कोई रिट पिटिशन नहीं की, उसने की हो तो फिर भी समझ में आ सकता है पर दूसरों ने रिट पिटिशन की है, उनका फैसला होने

Page No. 54

(श्री मथुरादास माथुर)

तक आपने यह बोनस देने का फैसला किया है, वह कानून के खिलाफ है। ऐसी हालत में हमने उनको आदेश दिए, संविभाग ने नोटिस दिया कि १५ अप्रेल तक इस कन्डीशन्स को, नोटीफिकेशन को विथ्ड्रा कर लेना चाहिए। अब १५ अप्रेल परसों तक आ जायगी। हमने साथ ही साथ में मैनेजमेंट के प्रतिनिधियों को बुला रखा है और बातचीत कर रहे हैं। १५ अप्रेल तक अगर उन्होंने बोनस की अदायगी कानून के अनुसार जो करनी चाहिए वह नहीं की और जो कन्डी-शन्स डाली हैं वे विथ्ड्रा नहीं कीं तो बोनस एक्ट के अनुसार प्रोसीक्यूशन की जो कार्यवाही है वह संविभाग करेगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उनको सन्तोष होगा और बोनस दिलवाने के लिए राज्य सरकार पूरी तौर से तत्पर है।

श्री **हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : मुझे इस बात की खुशी है कि राज्य सरकार ने लाखेरी के मजदूरों के बोनस के मामले में सही प्रकार का निर्णय किया है किन्तु मुझे यह बताते हुए दुख है कि सरकार की आज्ञाओं का पालन मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। जैसे कि पहले सदन में बताया गया था कि उनको ३१-३-६६ तक बोनस दे देना चाहिये और अगर नहीं दिया गया तो सरकार उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करेगी। मुझे दुख है कि लाखेरी सीमेंट कारखाने की मैनेजमेंट ने अभी तक बोनस नहीं दिया है। इसके साथ जैसे आपने फरमाया कि अन्तरिम बोनस का नोटिस वापस ले लिया है। इसके बारे में भी सरकार को धोखा दिया है। उनके बोनस का नोटिस अब तक लागू है।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसको वापिस ले लिया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लड्ढा साहब ने कहा था।

श्री मथुरादास माथुर : अब १५ अप्रेल तक नहीं देंगे तो उनको प्रोसीक्यूट किया जायगा बोनस एक्ट के तहत....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उन्होंने अन्तरिम बोनस ही बांटा है। वह १५ परसेंट देना चाहते हैं, वह भी बिना डी० ए० के यह बोनस एक्ट के खिलाफ है। इस तरह से छोटे मजदूरों को बहुत कम बोनस पड़ता है और ज्यादा तनख्वाह वालों को ज्यादा पड़ता है। तो इस प्रकार भेदभाव की नीति मैनेजमेंट ने अपनाई। कल मैनेज-मेंट और यूनियन के प्रतिनिधि आ रहे हैं। उस पर गम्भीरता से विचार करें, नहीं तो जो वहां तारीख ११ को आम सभा हुई वहां की यूनियन ने नोटिस देने का निर्णय किया है जिसकी सूचना सरकार को दे दी है। खाली लाखेरी के ही नहीं हिंदुस्तान में जितने भी सीमेंट उद्योग के कर्मचारी हैं वे हड़ताल पर जाने वाले हैं। उनके साथ राजस्थान के मजदूर भी जाने वाले हैं। तो सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस पर कायम रहें, मैनेजमेंट के खिलाफ केस चलाए और सही निर्णय निकाले, जिससे संघर्ष आगे नहीं बढ़े।

(१.१३ म० प०)

बीकानेर जिले में अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य खुलवाने विषयक व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री हरिराम ने दी है जिसका संबंध अकाल ग्रस्त क्षेत्रों—बीकानेर की कुछ मांगों को लेकर भूख हड़ताल से है। इस प्रस्ताव की सूचना की नकल सरकार के पास भेज दी गई है और उसका उत्तर आने के पश्चात् उस पर निर्णय दिया जायगा।

आयुर्वेद सेवाश्रम, उदयपुर के मजदूरों द्वारा हड़ताल विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री मथुरादास माथुर : श्री विजयसिंह झाला ने स्थगन प्रस्ताव के सिलसिले में सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि आयुर्वेद सेवाश्रम के मजदूरों द्वारा २६ दिन तक जो हड़ताल चली थी और उससे मजदूरों में काफी अशांति फैली, इसके सिलसिले में मैं निवेदन करता हूं कि आयुर्वेद सेवाश्रम, उदयपुर के मजदूरों ने दिनांक ११-३-६६ से कुछ मांगों को लेकर हड़ताल करदी थी। इन मांगों पर समझौता अधिकारी, उदयपुर द्वारा समझौता वार्ता की गई और उसके असफल होने के बाद राज्य सरकार ने उन मांगों को दिनांक २५ मार्च १९६६ को इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिया। इसके पश्चात् भी कुछ दिनों हड़ताल चलती रही पर वह दिनांक ५-४-६६ को समाप्त हो गयी। सब मजदूरों को वापिस काम पर लिया गया है। अतः यह कहना गलत है कि कंपनी मजदूरों को काम पर रखने को तैयार नहीं है। इस समय वहां स्थिति सामान्य है और नियमित रूप से कार्य हो रहा है।

जिला जालोर के गांव गोथ में हुई घटना विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : सर्व श्री भगराज चौधरी, हरिराम व ज्वालाप्रसाद द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

सहायता एवं पुनर्वास

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री) : दिनांक २७-३-६६ को ६।। बजे शाम श्री भोपालचंद पुत्र हीराचंद, जाति गुरू, ने पुलिस चौकी उम्मेदपुरा में एक लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें यह कहा गया है कि मैं भोपाल चन्द व मोड़ा पुरोहित, मोड़ा दरोगा व गुलाब पुरी, बैरा-बागरियान से करीब ४ बजे शाम गांव की तरफ जा रहे थे कि सामने से (१) नाथूदान (२) गणेशनाथ, (३) भैरिया, (४) भंवरलाल (५) धरमा (६) सोमला (७) खसीया (८) खीमसिंह (९) खीमामाली, (१०) लछिया (११) गणेशदान (१२) बगिया भील व बहुत से आदमी आते दिखाई पड़े, उनके पास लाठी, धारिया व बन्दूक थी। गणेशदान ने कहा कि इनको मारदो जिन्दा मत छोड़ो। इस पर वे सब लोग हम पर टूट पड़े। बगिया भील ने मोड़ा पुरोहित पर धारिया से हमला किया। वह गिर पड़ा। हम लोग भागकर छिप गए।

उक्त रिपोर्ट लिखित रूप में चौकी उम्मेदपुरा में ६।। बजे शाम पेश होने पर एच० सी० इन्चार्ज चौकी घटना स्थल पर ७।। बजे पहुंचा। मोड़ा पुरोहित बेहोश पड़ा पाया गया, उसको वहां से अस्पताल ले जाया जा रहा था कि उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई।

Page No. 56

शव परीक्षण किए जाने पर मेडीकल आॅफीसर ने वजह मौत सिनकोप ड्यू टु एक्सेसिव हेमरेज होना बतलाया।

मोड़ा मृतक के केवल एक ही चोट धारिया से आना पाया गया। अन्य किसी व्यक्ति के कोई चोट नहीं आई।

तारीख २८-३-६६ को थाना जालौर में एच० सी० द्वारा सूचना भिजवाई जाने पर मुकदमा नं० १८ धारा ३०३।१४८। १४६।१४७ ता० हि० में पंजीबद्ध किया जाकर, एस० एच० ओ० बनिगरानी श्री राम देव, डी० एस० पी० जालौर, जितना अनुसंधान किया गया उसके फलस्वरूप १० मुल्जिमान जिनके नाम इस प्रकार हैं : (१) नाथूदान (२) गणेशनाथ, (३) भैरिया, (४) भंवरलाल, (५) धरमा, (६) सोमला, (७) खसीया (८) खीमसिंह (९) खीमामाली (१०) लछिया गिरफ्तार किए गए। बगिया व गणेशदान फरार हैं उनके बारे में वारंट जारी हो चुके हैं।

इस मामले में यह जरूरी समझा गया कि अब तथ्यों की जांच डी० आई० जी० रेन्ज से कराई जायगी। वे केवल तथ्य जानने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करेंगे। उनका सम्बन्ध अभी तक अनुसंधान से नहीं है। मुकदमे के मामले में तथ्यों पर ज्यादा प्रकाश डालना उपयुक्त नहीं है क्योंकि अनुसंधान जारी है।

इसमें अनुसंधान में हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों का कर्त्तव्य है कि विभाग सतकर्ता से काम करें। जालोर की क्राईम स्थिति के बारे में जो बात कही गई है उसके सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि इस वर्ष सबसे अधिक केस चालान किए गए यानि—

१९६३	१९६४	१९६५
२४८	२३८	२७७

कत्ल की घटनाएं इस वर्ष अन्य वर्षों से कम हैं जैसे—

२६	२१	२०

इस वर्ष बरामदगी पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ी है जैसे—

१९६४	१९६५
३२,४०४-१५	४५,८२१-१२

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है जालौर जिले में सुरक्षा व व्यवस्था की दृष्टि से स्थिति काफी सुधर रही है, यह बात सत्य से परे है। पहले एक एक्साइज इन्सपेक्टर एक गांव में गया और जाकर नाजायज शराब को अपने कब्जे में ले लिया। फलस्वरूप स्थिति बिगड़ गई। सरपंच और अन्य ४०-५० आदमियों ने अनलॉफुल असेम्बली बना कर उस पर हमला किया, शराब पीकर उनके ऊपर मारपीट की गई और पुलिस में मुकदमा हुआ। लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उस मामले को बिगाड़ने की नीयत से, हड़प करने की नीयत से, सी० आई० डी० को दे दिया।

(श्री भगराज चौधरी)

नतीजा यह हुआ कि जो मुकदमा आज चालू होना चाहिए था, जिससे सरकार के प्रति विश्वास पैदा होता, वह नहीं हुआ। सी० आई० डी० में जाकर मामला बिगड़ गया।

आज से ठीक एक महीना पहले एक आदमी को सड़क पर ४-५ आदमियों ने मिल कर तलवार की नोंक से उसकी आखें और नाक काट दी। पुलिस ने उन मुलज़िमानों को पकड़ने की कोशिश की लेकिन कुछ ऐसे बैड इलीमेंट्स हैं, जिनका पोलिटिक्स में असर है, तो लोकल पुलिस की कोशिश करने के बावजूद मुलजिम नहीं पकड़े गए। सी० आई० डी० क्या बला है? उसका काम है क्या, मुकदमे चलाना? पुलिस इन्टरेस्टेड हो अथवा मुलजिमान पकड़ने में नहीं आते हों अथवा सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से कोई बात हो तब सी० आई० डी० में मामला जाता है। लेकिन आज इसके विपरीत हो रहा है। सी० आई० डी० का रोल आज यह हो गया है कि मुकदमा बन गया है, मुलजिमान का चालान हो गया है तो उनसे मिलकर बिगाड़ दे।

आपने बताया कि ६॥ बजे कत्ल हुआ। वह ठीक नहीं है। ३ बजे कत्ल हुआ। चार आदमियों पर हमला किया। वे बेचारे डर गये। उन्होंने एक मकान में शरण ली। नौ घंटे वहां रहे। जब एक आदमी भाग रहा था तो एक आदमी को मार गिराया और चोट के कारण तीन घंटे अधिक खून निकलने से गिर पड़ा। वहां पर हैड कांस्टिबल और चार पांच आदमी और रहते हैं। जब उनको इसकी इतला दी गई कि इस प्रकार की स्थिति है और कत्ल हो जाने का डर है। लेकिन पुलिस ने कहा कि कत्ल होने पर ही जावेंगे। कत्ल होने का जैसे उनको मजा आता है। डी०-वाई० एस० पी० और एस० पी० मौके पर पहुँचे। १२ में से १० मुलज़िमान तो गिरफ्तार हो गये हैं। जो मुलजिमान इसमें अगुआ हैं उसमें एक सरपंच है जो बहुत बड़े बैड करेक्टर का है। उसको बचाने की दृष्टि से यह सारी कार्यवाही की जा रही है। दो आदमी फरार हैं। लेकिन पुलिस पकड़ने की कार्यवाही कर रही है, लेकिन कुछ आदमी पुलिस पर असर डाल रहे हैं और इसको बिगाड़ना चाहते हैं। सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। जनता के जान और माल की दृष्टि से, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कृपा कर इस प्रकार का हस्तक्षेप न करें और लोकल पुलिस को इस मामले में इन्ट्रेस्ट लेने दें। यदि लोकल पुलिस इन्ट्रेस्ट लेती है तो ऊपर से इन्स्ट्रक्शन्स जाने चाहिये, लेकिन लोकल पुलिस इन्ट्रेस्ट ले रही है और ऊपर से सी० आई० डी० को यह मामला दिया जा रहा है, उससे यह होगा कि गवाहों को भड़का कर इस मामले को हस अप कर दिया जाय। आज यह स्थिति है और सी० आई० डी० की यही मंशा है तो लोगों के जान-माल की कौन रक्षा करेगा? सरकार पर इसकी पूरी जिम्मेदारी है कि इस मामले में सी० आई० डी० को किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाय। एस० पी० की जिम्मेदारी है। एफ० आई० आर० में जो दर्ज है मुलजिम इनको पकड़ा जाय। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि यह मामला सी० आई० डी० को नहीं दिया जावेगा। मैंने स्थगन-

(श्री भगराज चौधरी)

प्रस्ताव इसी आशय से दिया था, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकार नहीं किया, यह उनके अधिकार की बात है। लेकिन मेरा निवेदन है कि जब वहां पर सही ढंग से काम हो रहा है तो फिर सी० आई० डी० को क्यों भेजा जा रहा है?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस जुर्म के इन्वेस्टिगेशन का सवाल है लोकल पुलिस वह कर रही है और उसमें किसी प्रकार का इन्टरफियरेन्स नहीं किया जा रहा है। यहां तो आई० जी० पी० ने यह जरूरी समझा था कि इस केस के बारे में क्या सोर्सेज ऑफ इन्फार्मेशन है। उन्होंने यह जरूरी समझा कि तथ्यों की जानकारी करना जरूरी है। उसको जानने के लिए क्राइम्स के एक आफिसर को लगाया गया। वह स्वतन्त्र रूप से जांच करके लावेगा और उससे केस इन्वेस्टिगेशन का कोई सम्बन्ध नहीं है। वह जरूरी था। प्रिवियस इन्वेस्टिगेशन में बरामद नहीं हुआ। जिनको गिरफ्तार करना है एफ.आई.आर. के मातहत वे गिरफ्तार नही हुए। इन्वेस्टिगेशन जब ही कम्पलीट होता है कि जब बयानात ले लें, मुल्जिम को एप्रिहेन्ड कर लें और विटनेस आफ आफेन्स के बयानात को कलम बन्द कर लें। उसके बाद जाब्ता फौजदारी की धारा १७० और १७३ के मातहत कोर्ट में चालान कर दें और क्रोर्ट धारा १६० के अन्तर्गत कान्जिेन्स आफेन्स का ले ले तब जाकर इन्वेस्टिगेशन कम्पलीट होता है। वह नहीं हुआ है और प्रोसेस में है। लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो कार्यवाही होगी वह की जावेगी।

श्री भगराज चौधरी : सी० आई० डी० के आदमी को फेक्ट्स की इन्क्वायरी करने के लिये भेज दिया गया। इससे स्पष्ट है कि उसमें पुलिस के अधिकारी हस्तक्षेप करना चाहते हैं जिससे यह मुकदमा बिगड़ जाय। बारह आदमियों में से दस आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। दो आदमी फरार हैं। जो रिकवरी हुई है वह उनसे कर ली जावेगी। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार का कमिटमेंट हाउस के अन्दर दे कि यह मामला सी० आई० डी० को नहीं दिया जावेगा और लोकल पुलिस इन्क्वायरी कर रही है उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जावेगा आप इस बारे में कमिटमेंट दे दीजिये। वरना यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जावेगा कि सरकार ने मुकदमे को बिगड़वा दिया। सरकार कमिटमेंट नहीं दे रही है इसीलिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया। सरकार को बिना संकोच यह स्टेटमेंट दे देना चाहिये कि सी० आई० डी० को वहां भेजा गया लोकल पुलिस एस० पी० और डी० वाई० एस० पी० से नहीं कराया गया। क्या सरकार इन्वेस्टिगेशन को बिगाड़ दिया गया तो एक्सन लेगी?

श्री अध्यक्ष : जिले में सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ होता है। फिर एक छोटे रैंक के अधिकारी को भेजना कहां तक उचित है?

श्री परसराम मदेरणा : फेक्ट्स के लिए भेजा है।

श्री अध्यक्ष : एस० पी० बैठा है, उनसे पूछ लीजिये। इसके सिवाय जोधपुर में डी० आई० जी० हैं।

श्री भगराज चौधरी : डी० आई० जी० को भेज दीजिए। सी० आई० डी० को क्यों

Page No. 59

(श्री मगराज चौधरी)

भेजते हैं ? क्या कारण है ? इसका कारण एक ही है कि मुकदमे को डिले करना चाहते हैं । वह मुलजिमों को कह देगा कि सच मत बोलना । पहले भी ऐसा हुआ है । एक साल पहले वाका हुआ था कमिटमेंट दे दिया कि सी० आई० डी० को नहीं भेजेंगे और बाद में भेज दिया । एक आदमी को मुकदमा दे दिया और सारे के सारे फेक्ट्स बदल दिये । देख लीजिये आप यह हालत है । पुलिस फर्जी धन्धा कर रही है । इससे लोगों की जान माल को खतरा पैदा होता है और पुलिस के अन्दर अविश्वास पैदा होता है । इसलिये सरकार इस प्रकार का आश्वासन दे दे कि लोकल पुलिस को ही इन्वेस्टिगेशन करने दिया जाय या डी० आई० जी० पी० को भेज दीजिये लेकिन सी० आई० डी० को नहीं भेजा जायगा । इसका मतलब यह हुआ कि क्या एस० पी० काबिल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : काबिल नहीं है तो बड़े अफसर को भेजिये ।

श्री मगराज चौधरी : सही फेक्ट्स मालूम करने के लिए तो डी०आई०जी० के लेवल के आदमियों को भेजिए । एस० पी० और डी० एस० पी० गलत करते हैं तो उनको सजा दीजिए वरना इस प्रकार आप हस्तक्षेप करते हैं सी० आई० डी० को भेजकर सुरक्षा बिगड़ती है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे ।

श्री मगराज चौधरी : संतरामजी शर्मा या और किसी बड़े अफसर को भेजिए जिससे जाने वाले में लोगों को विश्वास हो । भेज दीजिये घबराते क्यों हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं कतई तौर पर नहीं घबराता । न किसी को शील्ड करना है और न किसी मुलजिम को बचाने का प्रश्न है ।

श्री मगराज चौधरी : यही नीयत मालूम पड़ रही है ।

श्री परसराम मदेरणा : मुलजिम केस में आना चाहिये और बचना नहीं चाहिये । प्रिन्सिपल है क्रिमिनल लॉ का ।

यह देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टिगेशन जिसके द्वारा कराया जाय वह अधिकारी आई० जी० पी० को उन तथ्यों की जानकारी देगा । अब यदि जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा उसी रेंक का अधिकारी न जाकर उससे हायर रेंक का भेजा जाय तो डी० आई० जी० रेंक के अधिकारी को इस तथ्य की जानकारी के लिए भेजा जायगा ।

श्री मगराज चौधरी : हम सन्तराम शर्मा को चाहते हैं ।

(१.३१ म. प.)

निन्दा प्रस्ताव विषयक पूछताछ

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निन्दा का प्रस्ताव दिया हुआ है उसके बारे में क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से पूछ लीजिये बाद में की क्या व्यवस्था है ।

राजस्थान राज्य के १६६४-६५ के विनियोग लेखे

(सदन की मेज पर रखना)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान राज्य के विनियोग लेखे-
१६६४-६५

राजस्थान राज्य के वित्त लेखे-
१६६४-६५

१६६४-६५ के लेखाओं पर अंकेक्षा प्रतिवेदन।

श्री भैंरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : जो लेखे सदन की मेज पर रखे जा रहे हैं वे अंग्रेजी में हैं या हिन्दी में ?

श्री अध्यक्ष : बहुत समय पहले अंग्रेजी में आए थे, अब उनका हिन्दी में अनुवाद कराया जाकर प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री भैंरोंसिह : अब हिन्दी में आ गए हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : हिन्दी अनुवाद के साथ रखे जा रही है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में एक बार यह प्रश्न उठाया गया था और सरकार की ओर से कहा गया था कि ऑडिट रिपोर्ट एन्युअल बजट शुरू होने से पहले सदन की मेज पर रखी जायगी लेकिन इस साल इस से महरूम रखा गया। पिछले वर्ष भी यही शुरू हुआ हम ऑडिट रिपोर्ट का फायदा पहले भी नहीं उठा सके। बार बार इस बारे में निवेदन किया गया और आपने भी कई बार सरकार को सचेत किया कि बजट अधिवेशन की शुरूआत में ही ऑडिट रिपोर्ट सदन में पेश करदी जाय ताकि फाइनेन्सियल मेटर्स में हम सरकार को सुझाव दे सकें। लेकिन देखा यह गया है कि ऑडिट रिपोर्ट हमेशा सदन के समाप्त होने से एक दिन पहले या समाप्त होने वाले दिन रखी जाती है। मुझे जहां तक मालूम हुआ है अंग्रेजी में ऑडिट रिपोर्ट काफी अर्से पहले राज्य सरकार के पास आगई थी फिर भी उसको राज्य सरकार ने विधान सभा की मेज पर प्रस्तुत क्यों नहीं किया ? इससे सदन के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है इस बारे में सरकार के स्पष्टीकरण के बाद आपसे निर्णय चाहूँगा।

श्री बालकृष्ण कौल : १६६४-६५ की जो रिपोर्ट आयी है वह बहुत लेट आयी है। उसका अनुवाद कराने में समय लग गया, इसलिये उसको रखने में देरी हुई है। वैसे ही ऑडिट रिपोर्ट एक साल बाद की आती है। यह तो फिर बहुत जल्दी आयी है।

श्री भैंरोंसिह : आप डेट्स बता दें इंगलिश कॉपी आपको कब प्राप्त हुई ? हिन्दी ट्रान्सलेशन आपको कब मिला ? इनकी आप डेट्स बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : डेट्स अवेलेबल नहीं हैं।

श्री भैंरोंसिह : इस बारे में आपका निर्णय होना चाहिये कि यदि ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास बजट के शुरूआत में आ जाती है

(श्री भैरोंसिह)

तो ऑडिट अकाउन्ट्स को देखकर आगे आने वाले बजट पर हम अपनी राय दे सकते हैं, इससे हम हर साल महरूम रहते हैं। यह अगर आखिरी दिनों में प्रस्तुत की जाती है तो उसका लाभ नहीं मिल सकता।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न सदन में पहले भी उठा है। बजट के प्रस्तुत होने से पहले ऑडिट रिपोर्ट सदन के माननीय सदस्यों को मिल जाय तो बजट पर विचार करने में सुविधा रहती है इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को निवेदन किया गया और अकाउन्टेन्ट जनरल को भी कहा गया कि वे ऑडिट रिपोर्ट जल्दी से जल्दी भेज दें ताकि सदन में प्रस्तुत कर दी जाय।

इस बात को ध्यान में रखते हुए अकाउन्टेन्ट जनरल से हमारे सचिवालय का सम्पर्क था। उन्होंने सूचित किया कि ३१ दिसम्बर १९६५ को अंग्रेजी में ऑडिट रिपोर्ट भेज दी थी।

इसके बारे में सरकार से लिखा-पढ़ी चली, उन्होंने केबीनेट के सामने इस प्रश्न को रखा, क्या प्रक्रिया होनी चाहिये आदि में समय लग गया। अंग्रेजी रिपोर्ट ही प्रस्तुत करदी जाय या उसका हिन्दी अनुवाद करवा-कर दोनों को साथ प्रस्तुत किया जाय। इस संबंध में मेरे कक्ष में महालेखापाल, वित्त मंत्री, विधि विभाग के मंत्री आदि ने मिल कर यह तय किया कि जल्दी से जल्दी इसका हिन्दी अनुवाद करा कर उसका प्रारूप सदन में आ जाय ताकि माननीय सदस्य हिन्दी में भी उसको देख सकें और भविष्य के लिये यह प्रक्रिया बन जाय कि हिन्दी अनुवाद भी साथ साथ आ सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने अंग्रेजी में आयी हुई रिपोर्ट को देखनी चाही, इस सदन के समक्ष वह प्रस्तुत न होते हुए भी अनौपचारिक रूप से उनको दिखायी गई और उन्होंने चर्चा भी उठाई।

इसके अनुवाद में जो समय लगा है वह अधिक लगा है जिस अवधि में होना चाहिये उस अवधि में वह नहीं हो पाया है--मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। जो आश्वासन दिया था कि अमुक समय तक हो जायगा उससे ज्यादा समय लगा फिर भी यह पहला वर्ष था इसलिये अधिक समय लगा है। भविष्य में इस प्रकार की रिपोर्ट हो सदन में पेश होने से पहले काफी समय पहले अनुवाद होकर आनी चाहिये। हिन्दी और अंग्रेजी प्रतियां सदन के समक्ष काफी समय पहले आजायं तो बजट के समय माननीय सदस्य उनका उपयोग कर सकें।

राज्य सरकार के केन्द्रीय संगठन द्वारा स्टील फर्नीचर की खरीद विषयक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : नियम १२७ के अन्तर्गत चर्चा। श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम १२७ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्टील के फर्नीचर के खरीदने के सम्बन्ध में कुछ चर्चा सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने टेन्डर्स इनवाइट किये, उसके लिये एक टेन्डर

(श्री भैरोंसिंह)

नोटिस जारी किया। टेन्डर नोटिस के अनुसार ३० जून, १९६५ तक स्टील फर्नीचर मेन्युफेक्चरार से टेन्डर्स आमन्त्रित किये। उसमें ६ हजार फोल्डिंग चेयर्स, एक हजार टेबल्स, चार हजार छोटी आल्मारी, १२०० बड़ी आलमारियां, ५०० ग्लास डोर्स, ५०० केश बाक्सेज, ५०० कॉन्फीडेन्शियल बॉक्सेज, ४००० वकेट्स, १६ हजार लाइब्रेरी रेक्स–ये चीजें खरीदनी थीं; इसके लिये राज्य सरकार ने टेन्डर नोटिस दिया, उसमें दो बातें लिखी हैं, जिनका उल्लेख सदन में करना चाहता हूँ एक तो लिखा है :—

If raw material required for febrication has to be supplied by the Government."

दूसरे में लिखा है :—

"If the raw material required to be used for fabrication is arranged by the tenderer himself."

ये दो प्रकार के रेट्स अपने टेन्डर नोटिस द्वारा मांगे। एक रेट का मतलब साधा-सादा यह है कि सरकार कोटा देती है, उस हालत के अन्दर इन आइटम्स की क्या रेट होगी ?

दूसरे में अगर सरकार कोटे की व्यवस्था करे और वे अपनी व्यवस्था से सामान मेन्युफेक्चर करें और सरकार को सप्लाई करें तो उनकी रेट्स क्या होंगी ?

अध्यक्ष महोदय, आज कुछ ऐसा लगता है कि हमारी सरकार रा मेटीरियल के अभाव में ही सही, ब्लैक मार्केट को प्रोत्साहन देने को तैयार हो रही है। इसमें स्पष्ट रूप से तो इस बात का उल्लेख नहीं होता कि सरकार ब्लैक मार्केट के माल की जो रेट है उसको मांग रही है, लेकिन इसका अर्थ सीधा-सादा यह निकलता है कि सरकार के द्वारा दिया गया कोटा का माल जो है, उस की रेट एक होगी और अपनी ओर से व्यवस्था की जावे तो उसके आधार पर रेट अलग होगी। तो इसका मतलब यही है कि सरकार ब्लैक मार्केट से माल खरीदने को प्रोत्साहन दे रही है। व्यापारी अन्य प्रकार से कोटा खरीद कर उसके माल को मैनुफेक्चर करके सरकार को सप्लाई करता है तो उसकी रेट ज्यादा होगी।

जो सारे टेण्डर नोटिस निकाले और जो लोगों ने टेन्डर उन पर दिये उन सब में दो प्रकार की रेटें मेरी जानकारी के अनुसार दी गई। सरकार रॉ मैटीरियल देने का प्रबन्ध करती है तो रेट कुछ कम है और व्यापारी अगर अपने आप रॉ मैटीरियल प्राप्त करने की व्यवस्था करता है तो रेट अधिक है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि मैटीरियल जिस व्यक्ति को ब्लैक मार्केट के आधार पर उपलब्ध हो जावे, उससे बनाये गये माल की रेट ज्यादा दी जावेगी और इस तरह से इनडाइरेक्टली सरकार ने उससे माल खरीदने का काम करके ब्लैक मार्केट को एन्करेज किया है और ज्यादा कीमत देकर इसकी पुष्टि भी कर दी। यह तो हुआ टेन्डर देने का प्रश्न।

मेरी आगे की जानकारी के अनुसार, अध्यक्ष महोदय, लगभग ८० फर्मों ने टेण्डर दिये। उनमें सभी ने दोनों प्रकार की

(श्री भैरोंसिंह)

लगभग रेटें कोट कीं। और उनके साथ साथ अपने अपने स्पेसिफिकेशन्स भी दिये।

राजस्थान सरकार की पर्चेज कमेटी ने अपने स्पेसिफिकेशन्स भी रखे हैं और साथ साथ टेन्डररों ने जो रेटें कोट की हैं उनका एक तुलनात्मक विवरण भी रखा है।

फिर इसके बाद जिनका सामान खरीदा गया उस सारी खरीद को देखने से ऐसा लगता है कि हमारी राज्य सरकार ने जो लोएस्ट टेन्डरर था उसके टेण्डर को स्वीकार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं समयाभाव के कारण उन सारी रेटों को तो यहां कोट नहीं करना चाहूंगा लेकिन मार्केट रेट और टेण्डर में जो लोएस्ट रेट कोट की गई हैं और जिनकी रेटों पर टेण्डर स्वीकार किये गये हैं उनमें अन्तर है मार्केट रेट से २२ लाख १३ हजार के करीब यह सामान होता है और यदि सरकार के द्वारा रॉ मैटीरियल का कोटा दिया जाकर मैनुफेक्चर किये माल की रेट होती तो अनुमानित कीमत सारे माल की १७ लाख होती है, पर जो मन्जूर किये हैं टेण्डर उनकी रेट से केलकुलेट किया जावे तो कुल जोड़ ३० लाख ५३ हजार तक की आती है। इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट रेट जो प्रिवेल करती है उसको ध्यान में रख कर चलते हैं तो हमारी सरकार ने इन चीजों पर ८ लाख का नुकसान सरकार को होने की स्थिति पैदा कर दी।

मैं कुछ गलत कह गया, पहले वाले में ८ लाख का डिफरेन्स है। सरकारी कोटे से मैन्युफेक्चर करते तो उसके आधार पर कुल १३ लाख का डिफरेन्स आता। ये १३ और ८ लाख के डिफरेन्स इस बात का संकेत करते हैं कि राज्य सरकार ने रॉ मेटीरियल सप्लाई नहीं किया इसलिये १३ लाख का घाटा हुआ। और मार्केट प्राइस से भी अधिक कीमत के टेण्डर स्वीकार किये इसलिये आठ लाख का घाटा हुआ।

इसी प्रकार से जो लोएस्ट रेट का टेण्डर था उसके आधार पर सारी कीमत का कैलकुलेशन किया जावे तो राज्य सरकार को दस ग्यारह लाख के बीच घाटा हुआ। ये तीन प्रकार के घाटे राज्य सरकार ने इन सारी परचेजेज में बर्दाश्त किये हैं।

मेरा केवल क्वश्चन यह है कि रॉ मेटीरियल का बंटवारा भी राज्य सरकार के हाथ में है। वह स्वयं उसका डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टरी वालों को, इन्डस्ट्री वालों को करती है तो इसके साथ वह इस बात की भी एन्ट्री कर सकती थी, कि उन टेन्डरों में जिस सामान की मांग की गई वह सामान सरकार दे देती और उन्हीं रेटों पर टेण्डर स्वीकार करती। पर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि कुछ को यह जानकारी रहती है कि अमुक पीरियड में कितने सामान का अलॉटमेन्ट रॉमैटीरियल के रूप में मिलने वाला है और कुछ को यह जानकारी नहीं रहती। आज जिन लोगों ने अपनी व्यवस्था के नाम पर जिन टेण्डरों में मैन्युफेक्चर किये माल की सप्लाई करने की रेट कोट की हैं, अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा बुरी बात यह है कि उन लोगों को भी कोटे का माल मिल गया था। एक तरफ सरकार को

Page No. 64

(श्री भैरोंसिंह)

यह कहकर कि कोटे की हम व्यवस्था करेंगे रेट अधिक दी गई, और अपनी व्यवस्था के नाम पर उनको मन्जूर करवाया गया और दूसरी तरफ उस काम के लिये सरकार से ही कोटे का माल प्राप्त कर लिया। अब उसमें से माल बनाकर सप्लाई करेंगे इस रेट पर जो अपनी सुविधा के नाम पर अपनी व्यवस्था के नाम पर ऊंचे दर पर ली है। तो इन्होंने तो दो तरफ से लाभ कमा लिया एक तरफ बिक्री के माल में घाटा होता उसका मुकाबला कर लिया और दूसरी तरफ अधिक रेट कोट करके अपनी व्यवस्था के नाम पर, सामान सरकार को सप्लाई करने के काम में मुनाफा कमा लिया।

इतना ही नहीं, इस सारे मामले में एक और विशेष बात आती है। वह यह कि राजस्थान के इन स्टील मेन्यूफेक्चररों ने एक एसोसियेशन बनाई। मेरी जानकारी के अनुसार इसमें लगभग ११ सदस्य हैं। उन्होंने यह तय किया कि सरकार ने जो रेट मांगी हैं हम आपस में सब मिलकर इस प्रकार की रेट दें कि सरकार को मजबूर होकर हमारी रेट स्वीकार करनी पड़े। यह निर्विवाद सत्य है और हर पर्चेज करने वाली सरकार यह मानकर चलती है कि रेट कोट करने वाले यदि रेट के मामले में एसोसियेशन बनाकर सारी रेट को पूल करके एक रेट कोट करके सरकार को घाटा पहुंचाने की नीयत कर लें तो उनको टेण्डर देने से और कम्पीटीशन करने से डिसक्वालिफाइ करना चाहिये। राजस्थान सरकार ने इस आधार पर आज तक कई लोगों को डिसक्वालिफाई किया है। पर यहां पर एसोसियेशन ने इस प्रकार की रेट मिल जुलकर कोट करके अपनी रेट को मन्जूर करवाने की स्थिति पैदा की। राजस्थान सरकार को मैन्यूफेक्चररों की एसोसियेशन के नाम से चिठ्ठियां लिखी गईं। राज्य सरकार यह कहकर नहीं चल सकती कि कोई एक यूनीफाइड रेट तै करके दे रहे हैं इसकी जानकारी उसको नहीं थी? थी जानकारी। इसके बावजूद भी उस एसोसियेशन के लोगों के टेण्डर मन्जूर करना यह साबित करता है कि राज्य सरकार अप्रत्यक्ष रूप में इस को भी प्रोत्साहन करना चाहती है कि आपस में मिलकर एक ही प्रकार की रेट तै करके कोट करते हैं तो उसे सरकार एन्करेज करती है।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसमें भी जलालत की चीज हुई। इन ११ लोगों ने जो रेट कोट की उनमें से भी आठ आदमियों के टेण्डर स्वीकार किये गये। इनमें से भी ३ को किसी मापदण्ड के आधार पर रिजेक्ट कर दिया, आठ को रक्खा और तीन को रिजेक्ट कर दिया।

अब इस स्थिति में भी निवेदन करूंगा कि जिनको रिजेक्ट किया गया वे ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान की सरकार को राजस्थान के हॉस्पिटल के कार्यालयों में एक बार नहीं अनेकों बार कई प्रकार का फर्नीचर सप्लाई किया है, जिनकी मैन्यूफेक्चरिंग के बारे में राजस्थान में एक प्रकार की धाक है। स्टील मैन्यूफेक्चरिंग इन्डस्ट्री डवेलप करती जा रही है। राजस्थान सरकार उसको एनकरेज करना चाहती है या नहीं, यह अलग बात है पर जब सामान खरीदती है तो इन्डाइरेक्टली उसे एनकरेजमन्ट मिलता है:

(श्री भैरोंसिह)

राजस्थान की हुकूमत ने जिनके टेण्डर मन्जूर किये हैं उनमें ज्यादा माल सप्लाई करने के आॅर्डर जो मैन्यूफेक्चर नहीं करते, अब तक उनको दिये हैं और अगर वे मैन्यूफेक्चर करते हैं, तो राजस्थान में नहीं करते, राजस्थान में अगर कोई कुछ करता है, तो मैन्यूफेक्चर नहीं होगा, असेम्बलिंग करता होगा माल कहीं से बन कर आता है, असेम्बलिंग कहीं होती है । इस प्रकार से माल सप्लाई करने वालों के इस सरकार ने टेण्डर मन्जूर किये हैं । या जो बाहर की फर्म मैनूफेक्चर नहीं करती, पर अपने नाम से माल सप्लाई करती है उनके मन्जूर कर लिये । ऐसी फर्म्स अपना माल बेच गई, जिनके बारे में तथा कथित एसोसियेशन ने कहा कि उनका माल ठीक है । मैनुफेक्चरिंग सिस्टम उन्होंने बढाया है । राजस्थान के अन्य विभागों में भी सप्लाई किया है तो यह तो नहीं कह सकते कि इस तरह के कारणों से उनको हटाया गया । उनके टेण्डर मन्जूर नहीं किये गये । पर अब यह कहा जावेगा कि स्पेसिफिकेशन्स उनके जो दिये थे, उन्होंने, डिफेक्टिव थे । मैं नहीं समझता कि जो चीज पहले खरीदी जावे उस स्पेसिफिकेशन की पहले सप्लाई की जावे और बाद तक भी राजस्थान की हुकूमत उस स्पेसिफिकेशन के आधार पर उसकी जिनुआइननैस को डाउट नहीं करे, स्पेसिफिकेशन लम्बाई, चोड़ाई, डाइमीटर को छोड़कर स्टील की क्वालिटी मैटिरियल की क्वालिटी एक हो, इसके बाद जब वे लोग माल सप्लाई कर चुके, पेमेन्ट मिल गया माल, जिनुआइन है उनको सर्टीफिकेट मिल गया वे ही व्यक्ति इस टेण्डर में रेट कोट करते हैं तो यह कैसे माना जावे कि उनका माल रद्दी था । क्या वे माल रद्दी देकर अपना बिजनैस करना नहीं जानते वे ही ८ जानते हैं, ये तीन नहीं जानते, क्या वे अपने माल को सेल नहीं करना चाहते ? स्पेसिफिकेशन देते समय तो ऐसा लगता है कि और भी अच्छा सामान देते । पर आज सरकार यह कहकर चले कि स्पेसिफिकेशन ठीक नहीं थे । हमारी हाई पॉवर कमेटी थी । उसने इन सारे स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर निर्णय लिया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने स्पेसिफिकेशन्स के आधार पर निर्णय लिया है, यह काफी डिफेक्टिव है ।

एक अलमारी के १२ हजार आइटम खरीदे जावेंगे, उसके जो स्पेसिफिकेशन दिये गये और जिनको रिजेक्ट किया गया उनके स्पेसिफिकेशन देखे जावें, आज भी तो जिनकी रेट मन्जूर की गई है उनके स्पेसिफिकेशन के सामान से वह सामान कितना बढिया है ।

अब १२ हजार आलमारियां ली जावें तो इसका मतलब यह है कि कुछ ही फर्मों को सरकार एन्करेज करना चाहती है । राजस्थान का वास्तविक इन्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट हो और सबके साथ समान न्याय हो, समान एन्करेजमेन्ट सबको मिले, सबको बराबर एन्करेजमेंट दिया जाय, ऐसी स्थिति नहीं है । इस खरीद से राजस्थान सरकार ने यह सारी स्थिति पैदा की और सरकार को काफी घाटा हुआ है । इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा और सदन से किवेदन करना चाहूँगा कि जो मसला इस सारी पर्चेजेज के अन्दर है वह कोई इस मतलब से नहीं है कि राज्य सरकार की केवल आलोचना की जाये लेकिन इस मतलब

Page No. 66

(श्री भैरोंसिंह)

से है कि राज्य सरकार ने थोड़ी सी असावधानी के कारण बहुत बड़ा घाटा खाया है और इसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए और इसी व्यवस्था के प्रश्न को लेकर मैंने यह मसला आपके सामने प्रस्तुत किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : इस पर और नहीं बोलेंगे। मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : स्टील फर्नीचर की खरीद के बारे में नोटिस तो मैंने भी दिया है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपके नेता ने कह ही दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर देख लेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दा सामने रखा है उस मुद्दे की बहस पर सरकार क्या कहने जायेगी वह भी उन्होंने अपने आप ही प्लीड कर दिया। मैं इतना इसमें निवेदन करना चाहता हूं कि जो आर्गेनाइजेशन है, इस खरीद–फरोख्त की उसका काम जितने टेन्डर्स आते हैं, टेन्डर्स जिन जिन स्पेसिफिकेशन्स के होते हैं, वह उसको देने का होता है। टेन्डर्स आना और उनको खोलकर देखना और रेट कॉन्ट्रेक्ट उसका बताना, यह इस कमेटी का काम है। इस कमेटी का काम सिर्फ किसी माल को खरीदने में कौन सा माल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से ठीक है, कौन सा माल टैक्नीकल पोइन्ट ऑफ व्यू से ठीक है यह इस कमेटी का काम है। 'खरीदना माल का' यह इस कमेटी का काम नहीं है। इसलिए जो टेन्डर्स दिए गए उसमें पूरी डिटेल के उसके स्पेसिफिकेशन्स थे और साथ ही साथ फिर इस कमेटी ने यह मुनासिब समझा कि इसके सेम्पल्स भी मंगा लिये जायें, क्योंकि जब तक सैम्पल्स नहीं देखे जायेंगे तो यह नहीं मालूम हो सकता कि वह माल किस किस्म का तैयार शुदा है। इसलिए उनके सैम्पल्स मांगे गए जिन्होंने टेन्डर्स में चीजों के हवाले दिए थे। इस बार सवाल यह उठाया कि टेन्डर्स दो किस्म के मांगे गये। एक तो इस किस्म के कि जिसमें कच्चा माल अगर सरकार दे तो क्या रेट्स हैं, एक इस किस्म का मांगा गया कि कच्चा माल खुद ही अपने आप टेन्डरर दे तो क्या रेट्स होंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दोनों में फर्क पड़ जाता है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : फर्क तो है ही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे बोलने देंगे तो होगा ही। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह दो चीजें टेण्डरर्स से मांगी गई। अब यह सवाल माननीय सदस्य ने उठाया कि अगर सरकार खुद यह जिम्मेदारी लेती कि कच्चा माल दिया जायेगा, तो उसमें कुछ लाखों का उन्होंने बताया कि

(श्री बालकृष्ण कौल)

फायदा हो सकता था। एक तरफ माननीय सदस्य ने जो बात रखी सुनने से ठीक मालूम होती है लेकिन यह फैलेशियस है।

श्री भैरोंसिंह : क्या कहा मैलेशियस है या फैलेशियस है !

श्री बालकृष्ण कौल : फैलेशियस। मैं यह निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि यह माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि यह कच्चा माल, जो कमेटी है यह हाई पॉवर कमेटी है, इसका उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। दूसरे जितने प्रान्त में मेनुफेक्चरार्स हैं, हर किस्म के, उनके लिए हमारे पास ७००-७५० टन माल आता है, अगर सरकार अपने फर्नीचर के खातिर वह सारा माल करीबर ६००-६५० टन था, वह उनका काट ले, जिसके ऊपर इनका व्यापार चल रहा है तो मेनुफेक्चरार्स का कितना नुकसान हो जायगा। इसलिए सरकार ने अपने काम के लिये जो एक लिमिटेड क्वान्टिटी का माल आता है वह अपने ही लिए इस्तेमाल करे, वह यह गैर मुनासिब समझती है। लेकिन क्योंकि मेनुफेक्चरार्स है, उनको अधिकार है कि वह इस माल के लिए जो उनको मिलता है वह उसे देखते हुए हमको टेन्डर्स दें, तो ज्यादा अच्छा है। उसकी जिम्मेदारी हमरे ऊपर नहीं होती। वह उस माल को इस्तेमाल कर लें सरकारी चीज को बनाने में यह ख्याल रखते हुए कि जो सरकारी माल उनको मिल रहा है उसको यूज करें। इसलिए हमने दो रेट्स मांगी थीं। श्रीमान् इससे यह अनुमान लगा लेना कि हम ब्लेक मार्केटिंग को प्रोत्साहन देते हैं तो यह अनुमान ही है। माननीय सदस्य मेरे कहने के बावजूद अनुमान लगायें तो लगा सकते हैं वह अनुमान ही है, फैक्ट नहीं है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई फैक्ट्स हों कि जिससे मालूम हो कि हमारी कमेटी ने कुछ टेन्डर्स को मन्जूर करने में गोलमाल किया है, पैसा खाया है, बेईमानी की है तो मैं उनको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं इसकी तहकीकात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसी कमेटी, जिसके लिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य खुद यह मानेंगे कि इससे अच्छी, निष्पक्ष कमेटी, समझदार कमेटी और जिसकी इन्टीग्रिटी में माननीय सदस्य को कोई शक नहीं हो सकता, इस किस्म की कमेटी पर, सिर्फ रेट कॉन्ट्रेक्ट को देखने के लिए कि कौनसे हमको रेट रखने चाहिए और उस पर यह अनुमाम लगायें कि कुछ गोलमाल है या ब्लेक मार्केटिंग है, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उस कमेटी के के साथ न्याय नहीं करते हैं। मैं इतना और निवेदन कर दूं श्रीमान् कि यह कहा गया कि जो स्पेसीफिकेशन्स है, कुछ स्पेसिफिकेशन्स होते हुए भी माननीय सदस्य ने कहा कि लोएस्ट टेन्डरर्स का भी माल एक्सैप्ट नहीं किया यह ठीक है। बाज जगह ऐसा हुआ है और क्यों हुआ है--मुझे जो मालूम है उसके आधार पर निवेदन कर दूं क्योंकि वहां पर जो टेक्निकल एडवाइज देते हैं उन्होंने माल के फिनिश को ठीक नहीं माना, रंग रूप को ठीक नहीं माना। खाली स्पेसिफिकेशन ही नहीं देखा जाता है। उन्होंने कहा कि यह चीज ठीक नहीं है इसलिये कमेटी ने उसको एप्रूव नहीं किया और हायर रेट में भी उनको लेना पड़ा। यह ऐसी चीजें हैं कि जिनके ऊपर मैं अपनी राय नहीं दे सकता क्योंकि जहां टेक्निकल ओपोनियन आ

(श्री बालकृष्ण कौल)

जाती है-जब तक उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक एलीगेशन्स नहीं हों तब तक कोई भी कार्यवाही मुमकिन नहीं होती। माननीय सदस्य ने एक एसोसियेशन का जिक्र किया जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, अभी मालूम हुआ है कि उस एसोसियेशन ने पूल कर लिया। मैं रोक तो सकता नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि १०, ११ आदमियों की ऐसी एसोसियेशन है। हो सकता है, हर दुनियां में जहां टेन्डर्स मांगे जाते हैं वहां पूल हुआ है लेकिन हम क्या करें? हमारे सामने दिक्कत यह है कि कोई ऑक्शन कहीं भी हो वहां पूल कर लेते हैं, तो हम क्या करें लेकिन यह मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारी जो यह हाई पावर कमेटी है उसके सामने मैं यह मसला रखूंगा ताकि वह भी इस चीज को जाने कि पूल करने से उसको क्या नुकसान हो सकता है।

(२ म० प०)

और आयन्दा के लिए किसी किस्म के कदम उठाए जा सकते हैं या नहीं इस पर विचार करेंगे। लेकिन इस वक्त कुछ नहीं कर सकता जो पूल कर सकते हैं उनके खिलाफ। इतना ही निवेदन करना है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन,....

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात निवेदन कर दूं उसके बाद आप क्लेरीफिकेशन कर लेना।

माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में कैसे नहीं आया यह तो दुर्भाग्य की बात हैं। स्टील मेन्युफक्चरिंग एसोसियेशन जयपुर का जो लेटर है उसकी पांच लाइनें ही मैं पढ़ कर सुनाना चाहूँगा, उसके अन्दर एक फर्म का टेन्डर रिजेक्ट किया जाता है जिसने अपनी रेट ३००) रु० दी और जो जयपुर से बाहर की फर्म थी उसने ३३५) की रेट दी और जिसके अगेंस्ट राज्य सरकार ने ३५०) रु० का माल एक आउट साइड की फर्म का मंजूर किया, उसके लिए एसोसियेशन क्या लिखती है :

"We have no hesitation in saying that their quality.......

मतलब किसी फर्म के बारे में यह लिख रहे हैं :

"........is the best in all of us. The sample of glass door almirah and library shelf is best amongst all."

उस एसोसियेशन ने लिखा है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उस एसोसियेशन जिसका माल मंजूर हुआ, उसी आइटम के मंजूर हुए वह दूसरी फर्म के माल के अनुसार थे। उसमें कौनसी टैक्निकल एक्सपर्ट की खामी है क्या मेन्यूफैक्चरिंग की कमी है क्या वजह है जिनकी वजह से उसके माल को मंजूर नहीं करके दूसरी रेट के माल को मंजूर किया, यह समझ में नहीं आता। जहां तक मंत्री महोदय ने कहने की चेष्टा की है कि जो हाई पॉवर कमेटी बनी है उसकी इन्टीग्रिटी को डाउट किया है। यह डाउट इन्टिग्रिटी का नहीं है या मेलांफाइडी इंटेशन का नहीं है, उस समय यदि

(श्री भैरोंसिंह)

राइटली जजमेंट किया जाता तो राज्य सरकार को अच्छा माल कम कीमत पर मिल सकता था, यदि उस समय सावधानी बर्ती जाती तो निश्चित रूप से फायदा हो सकता था। इन्टीग्रिटी और मेलाफाइडी ही घाटे का कारण नहीं है, इनएफिशियेंसी भी घाटे का कारण हो सकती है। मैं ऐसा समझता हूं कि सारे मामले को राज्य सरकार को दुबारा देखना चाहिये और मेरी ऐसी मान्यता है कि यदि इसको लोअर रेट के आधार पर मंजूर किया जाय तो सरकार को बहुत बड़े घाटे से बचाया जा सकता था।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इतना निवेदन....

श्री अध्यक्ष : इस विषय पर और कोई माननीय सदस्य नहीं बोल सकते।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो रेट कोंटेक्ट मंजूर किया गया, वह किसी एसोसियेशन का नहीं किया गया। जिसका भी किया गया वह इण्डीवीजुअल मेन्यूफैक्चरर का किया है।

श्री भैरोंसिंह : एसोसियेशन के नाम से आपने रेट्स दी हैं और उस एसोसियेशन में माननीय उपमंत्री श्री चन्दनमलजी वैद के छोटे भाई की जो जय इण्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन है वे भी इसके अन्दर शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : इस बात को बीच में लाने का क्या मतलब है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मै इतना कह दूं....

श्री अध्यक्ष : कोई कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने का मतलब यह है कि उनसे भी पूछा जा सकता है, इसी प्रकार की एसोसियेशन बनी हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि किसी एसोसियेशन का टेण्डर स्वीकार नहीं किया गया है, केवल व्यक्तियों के टेण्डर मंजूर हुएहैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने अर्ज किया कि व्यक्तिगत टेण्डर ही एक्सेप्ट हुए हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्रीज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं जो अर्ज कर रहा हूं उससे फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी बहुत काम बाकी है।

(२.०६ म० प०)

जनलेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति के निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष : मुझे जन लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के चुनावों के संबंध

(श्री अध्यक्ष)

में सर्व श्री रामप्रसाद लड्ढा, मानसिंह महार, सतीशचन्द्र अग्रवाल और मोहनलाल सारस्वत ने लिखकर दिया है कि निम्न सर्व सम्मत निर्णय लिया गया है जो नाम दिए गए हैं उनके अतिरिक्त जो उम्मीदवार हैं वे ऐसे मान लिये जायं कि उन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया है। सामान्य तौर पर इस सम्बन्ध में प्रक्रिया भिन्न रही है, लेकिन चूंकि एक सर्व सम्मत निर्णय लेने के लिए प्रयास किया जा रहा था इसलिए मैं जिन नामों को पढ़कर सुनाता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सदन भी उसको स्वीकार करेगा, इन व्यक्तियों को चुना हुआ घोषित किया जाय :—

जन लेखा समिति

(१) श्री फूलचन्द जैन
(२) श्री रघुनाथ विश्नोई
(३) श्री गिरधारीलाल व्यास
(४) श्री गोविन्दसिंह
(५) श्री अल्दाराम
(६) श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
(७) श्री मानसिंह महार
(८) श्री दिग्विजयसिंह
(९) श्री भैरोंसिंह शेखावत

दसवीं जगह है उसे खाली रखी है।

प्राक्कलन समिति

(१) श्री मोतीलाल चौधरी
(२) श्री गणपतिलाल वर्मा
(३) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

श्री अभयसिंह (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना नाम विथ्ड्रॉ नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष : मतलब यह है कि जो आपके व्हिप ने लिख कर दिया है उसको आप नहीं मानते।

श्री अभयसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सोच-समझ कर बात कहें, क्योंकि जो सदन की कार्यवाही चलती है वह पार्टी सिस्टम के आधार पर चलती है। जब तक वे किसी पार्टी के सदस्य हैं उनके आधार पर उनकी पार्टी की तरफ से जो कुछ लिख कर दिया जाता है उसमें यही माना जायगा कि जो उनकी तरफ से बात कही गई है उसे उस पार्टी के सभी लोग चाहते हैं। इस तरह की परम्परा अब तक रही है। अब यदि माननीय सदस्य इस तरह की बात कहते हैं तो जो परम्परा है, जो प्रक्रिया है, उसको ही बदलना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के व्हिप हैं, नेतागण हैं वे अगर कोई बात लिख कर देते हैं तो यह मान लेते हैं कि सभी सदस्य इसको स्वीकार करके चलते हैं। इसलिए माननीय सदस्य इस बात पर पुनः विचार करें और यदि वे इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं यही आज्ञा दूंगा कि इनका चुनाव किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समितियों के चुनावों की प्रक्रिया में, दलों के व्हिपों के आश्वासन पर जिस प्रकार की सुविधा दी है, उसके लिए तो हम आपके आभारी हैं। माननीय सदस्य

(श्री भैरोंसिंह)

ने जो अभी प्रश्न उठा दिया है कि उनको पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी का मेम्बर बनना ही है और उस हालत में माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था में किसी प्रकार की रुकावट पैदा होती है तो मैं नही चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई बात हो। यदि वे आना ही चाहते हैं कमेटी में तो मैं अपना नाम वापिस लेता हूं, वे अपना नाम एड्जस्ट करा लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का आखिर निर्णय क्या है ?

श्री अभयसिंह : I am standing.

श्री अध्यक्ष : माननीय सयस्य अपना नाम वापिस नहीं लेना चाहते। आपका नाम रख लिया जाय तो आपको मन्जूर है ?

श्री अभेयसिंह : अध्यक्ष महोदय का हर निर्णय मुझे मन्जूर होगा।

श्री अध्यक्ष : तो क्या यह माना जाय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर दूं। आपने सदन में नाम पढ़ कर सुना दिए और उस पर सदन ने कह दिया कि उनको निर्णय मंजूर है कि पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी में जो व्यक्ति सदस्य होंगे उनके नाम आपने पढ़ दिए और प्रक्रिया में यह नहीं होते हुए भी आपने सभी दलों के व्हिप्स के लिखकर देने पर यह अनुमति प्रदान कर दी कि इस प्रकार से चुनाव कर लिए गए माना जाय। सब दलों की सहमति से सदस्यों की लिस्ट सब्मिट कर दी गई, आपकी अनुमति से वह पढ़ दी और उसके बाद वह सारा प्रश्न खतम हो गया। पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी के मेम्बर्स की लिस्ट सुना दी गई और प्राक्कलन समिति के नामों को पढ़ना शुरू कर दिया, तो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के बारे में आपका निर्णय पूरा हो चुका और अब जब कि इनको अध्यक्ष का निर्णय स्वीकार है तो उसको बदलने का प्रश्न नहीं है।

(श्री अभयसिंह द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई)

श्री अध्यक्ष : मैं प्राक्कलन समिति के नाम फिर पढ़ देता हूँ :—

(१) श्री मोतीलाल चौधरी
(२) श्री गणपतिलाल वर्मा
(३) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
(४) श्रीमती सुमित्रा
(५) श्री रविशंकर याज्ञनिक
(६) श्री पोहूमल ईसरदास
(७) श्रीमती नगेन्द्रबाला
(८) श्री ललितमोहन
(९) श्री मजलिसखां
(१०) श्री मानधातासिंह
(११) श्री चौसरसिंह बाबेल
(१२) श्री फतहसिंह
(१३) श्री जयनारायण सालोदिया
(१४) श्री हरिप्रसाद शर्मा
(१५) श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

जनलेखा समिति के सभापति के स्थान पर मैं श्री फूलचन्द जैन को बनाता हूँ।

प्राक्कलन समिति के सभापति श्री मोतीलाल चौधरी होंगे।

अब वित्त मंत्रीजी एक वक्तव्य देंगे।

(२.१२ म० प०)

वित्त मंत्री महोदय द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : श्रीमान्, गुजिश्ता २६ मार्च को, विनियोग विधेयक पर बहस के दौरान, किशनपोल से आनेवाले माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंह शेखावत ने, मेरे खिलाफ फिर वही बातें दोहराईं, जिनका जवाब मैं दे चुका था। लेकिन फिर भी, मैंने चुप रहना ठीक न समझा और उनके आक्षेपों के बारे में खुलासा बयान दिया। मेरे इस बयान के बाद जब वह माननीय सदस्य पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने लगे, तब उन्होंने मेरी पी. ए. के साथ मेरे सम्बन्ध का जिक्र करते हुए ये शब्द कहे थे––"(प्रतिभा देवी मेरी बहन है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन सदन में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बहन को मैं इस × × × × के चंगुल से निकाल कर रहूंगा। इस पर मैंने बीच में टोक कर यह सवाल किया था––"मैं यह जानना चाहता हूं कि उस बहिन ने, उनसे कभी शिकायत की या उसकी माँ ने, उसके बाप ने, किसने शिकायत की है ?" इसके जवाब में माननीय सदस्य ने कहा था–– "मुझको उसकी माँ ने, या बहन ने या बाप ने नहीं कहा, बल्कि मुझे तो उसके पति ने कहा है"। "उसके पति ने कहा कि इससे × × × × उसको निकालूं।")

बावजूद ऐसें मुद्दों के, जिनका जिक्र इस सदन की मर्यादा व अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, मैं माननीय सदस्य के इस जवाब के सिलसिले में, एक तार पढ़ कर सुनाना चाहता हूं, जो प्रतिभा के पति श्री जयकिशन रोहतगी ने, काबुल से मेरे नाम भेजा है :––

"Kaul, Finance Minister, Jaipur. Jana Sangha Member not know to me. I wrote no letter, his statement utter lie for selfish motive. No objection his placing my letter before the House."

यानी इस तार में श्री रोहतगी ने कहा है कि मैं जनसंघ के सदस्य को जानता तक नहीं। उन्हें मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। उनका बयान बिल्कुल झूठ और स्वार्थ सिद्ध करने की नियत से दिया गया है। अगर मेरा कोई पत्र है तो उसे सदन की मेज पर रख सकते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है।

तो, अध्यक्ष महोदय, इस तार से तो इतना दिन की तरह रोशन है कि माननीय सदस्य ने सफेद झूठ बोलकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। उनकी यह कार्यवाही कितनी शर्मनाक और सदन की मर्यादा से कितना मेल खाती है, यह आपके और सदन के गौर करने की चीज है। मैं तो इस बारे में सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य इस मुकद्दस सदन में ऐसी बेहूदा गलत बयानी की जुर्रत कर सकते हैं उनके मोटिव्ज का अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

श्री रोहतगी के तार की नकल में इस सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी

× × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री भैरोंसिंह)

है कि मेरी इस आलोचना के कारण माननीय मंत्रीमहोदय ने श्रीमती प्रतिमा के पति के द्वारा कम से कम लिखित रूप में इस बात का तो × × × × × ×....

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी बातें इस सदन के अधिकार क्षेत्र में नहीं और आप इसका निर्णय दें कि इस किस्म की बातें यहां करना मुनासिब हैं या नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सम्बन्ध रह सकता है.......

श्री भैरोंसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी बात नहीं रखता जो आपत्तिजनक हो। एक–एक शब्द के बारे में निर्णय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, ने माननीय सदस्य ने एक निश्चित बात कही थी उसको गलत बताने की नीयत से वह बात कही है। वह विचार का विषय तो है नहीं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझ पर मोटिव्ज़ इम्प्यूट किये हैं। Who is Mr. Jaikrishan to impute motives against me? The man must be called her.

अभी हुआ क्या है, अध्यक्ष महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो अभी वक्तव्य दिया है, मैं इसीलिए पहले जानना चाहता था कि यह वक्तव्य किस किस्म का है....

श्री बालकृष्ण कौल : पर्सनल एक्स्प्लेनेशन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पर्सनल एक्स्प्लेनेशन करके दिया है इसमें आपत्ति न आपको है और न मुझे हो सकती है। पर रूल के हिसाब से मैं आपको पूछना चाहता हूं कि पर्सनल एक्स्प्लेनेशन की बात थी तो पर्सनल एक्स्प्लेनेशन उस दिन दे सकते थे जिस दिन कि यह मामला उठा था। आपने एक्स्प्लेनेशन दिया है। उस एक्स्प्लेनेशन देने के बाद में उस चेप्टर को माननीय मंत्री महोदय ने फिर से यहां पर रीओपन किया है, आपके ताल्लुकात की बात है उस चेप्टर को रीओपन किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें आगे क्या मसला आयेगा और बात होगी वह सारा का सारा चेप्टर खोलना होगा। वह नहीं खोल सकते हैं जो कि वित्त मंत्री जी चाहते हैं, इस हाउस में नहीं खोल सकते हैं।

जो तार इस हाउस में प्रोड्यूस किया गया है वह तार किसी पत्र के जवाब में आया है, इसलिए हाउस का मानस तब तक नहीं बन सकता कि आखिर यह किसका जवाब है। एक रिटन स्टेटमेंट जो अदालत में पेश होता है वह तब तक समझ में नहीं आ सकता जब तक कि यह समझ में न आये कि दावा क्या है। जब तक दावा हाउस के समझ में नहीं आयेगा तब तक

× × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जवाब दावा समझ में नहीं आयेगा। जो काबुल चिट्ठी लिखी गई है वह हाउस में पेश करनी चाहिये, तब समझ में आ सकता है कि उस चिट्ठी के जवाब में क्या है। जब तक इनका पत्र ओरीजिनल या उसकी कॉपी जो इनके पास है, जो कि काबुल उसके पति को लिखी गई है उसको पढ़ने की जरूरत होगी। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा और, अध्यक्ष महोदय, आपसे व्यवस्था चाहूंगा कि ऐसे इनकम्प्लीट डॉक्युमेंट, जो किसी डॉक्युमेंट का जवाब है, वह हाउस की मेज पर नहीं रखा जा सकता है, हाउस उसकी कॉग्नीजेन्स नहीं ले सकता है जब तक, हाउस अपना मानस नहीं बना सकता जब तक कि वह डॉक्युमेंट दूसरा जिसका कि वह जवाब है वह सामने नहीं आये। रिटन स्टेटमेंट एक वेस्ट पेपर है जब तक कि वह लेटर, उस पत्र की प्रतिलिपि जो प्रतिभाजी जो आपकी पी० ए० हैं, × × × × के सम्बन्ध में आरोप लगाया है, जिसके प्रतिवाद के लिए पत्र लिखा है उनके पति को जिसका कि उत्तर प्राप्त हुआ है, जिसको कि आप सदन में पेश करना चाहते हैं, उसके लिए आपने जो मूल पत्र लिखा है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कह दिया। अव्वल तो इस सारे प्रश्न के उपर कि मैंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मगर अध्यक्ष महोदय की तरफ से प्रतिभादेवी के पति के पास कोई सूचना जाती और उस सूचना के आधार पर वह कोई उत्तर लिखते तो उस उत्तर का काग्नीजेन्स हो सकता है कि जिसके ऊपर विचार किया जाय। आज तो यह मानने की स्थिति में नहीं हैं कि यह तार जेनुइन हो या किसी को बनवा कर मंगवाया गया है। आखिर राजस्थान के वित्त मंत्री हैं, इनके बड़े लम्बे हाथ हैं। वे इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं कि काबुल से कोई व्यक्ति इस प्रकार का तार दे। और इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक पति को इस प्रकार का तार या इस प्रकार के प्रसंग में चिट्ठी लिखी जाय तो ऐसा कौनसा × × × पति होगा कि वह तार देकर स्वीकार करे कि मैंने जो आरोप लगाया है वह सही है। इस प्रकार से एक पति कोई इस प्रकार से नहीं लिखता है। यह स्वाभाविक नहीं है कि पति इस प्रकार की बात लिखता है कि जो कहते हैं सही है। तो कम से कम उन श्रीमान् जी को इस हाउस में बुलाया जाय और उनसे यह पूछा जाय कि × × × ×

(सदन में कोलाहल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनके ऊपर आरोप न लगाये जायं जो सदन में आये नहीं।

श्री भैरोंसिंह : एक चीज और पूछना चाहता हूं ......

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय अध्यक्ष, पोइंट एट इश्यू क्या है ? माननीय सदस्य ने यह कहा था कि मुझे उसके पति स्वयं ने कहा है पोइंट एट इश्यू यह है.......

× × × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री भैरोंसिंह : I am in the possession of the House.

श्री बालकृष्ण कौल : कौल साहब से क्या ताल्लुकात हैं और क्या नहीं, यह पोइंट एट इश्यू नहीं है। माननीय सदस्य ने गुमराह किया था इस हाउस को यह कह कर कि उनके पति ने इनको कहा है। इसके ऊपर आप बहस कर लें। इसलिए मैं निवेदन कर कहा हूं कि इसकी जो बहस यह कर रहे हैं वह साइड ट्रैक करना चाहते हैं इश्यू को। उसको कन्फ्यूजन करना चाहते हैं। यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है कि माननीय वित्त मंत्री जी इसको पोइंट एट इश्यू नहीं बनाना चाहते हैं।

(सदन में भारी शोरगुल एवं कोलाहल)

श्री बालकृष्ण कौल : आपने कहा है कि प्रतिभा के पति ने कहा है उस सम्बन्ध में बताया गया है, वह पोइंट एट इश्यू है।

श्री भैरोंसिंह : इस समय आप क्यों उछल रहे हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : उछल नहीं रहा हूं मैं जानता हूं कि........

(विपक्ष की ओर शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रतिभा देवी के पति को यहां पर बुलाया जाय और उनसे पूछने के बाद इस बात का निर्णय किया जाय कि उन्होंने बात कही है वह सही है या नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने एक कागज इस हाउस में रखा उसको रखने का उनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इसके सम्बन्ध में मैं दो कागज सदन में रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वे किस मसले पर हैं ?

श्री भैरोंसिंह : इसी मामले के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : मामला बड़ा लम्बा है।

श्री भैरोंसिंह : नहीं साहब, बहुत छोटा है। एक कागज यह है कि मैंने जो यह कहा कि इनके पास जो टेलिग्राम आया है वह जेनुइन नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में एक कागज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह कागज यह है–

Copy of Office Memorandum No. F. 4 (2) G. (C. C. 15) 57 dated the 28th January, 1957 from the Joint Secretary to the Government of India, Ministry of External Affairs, New Delhi.

"Sub: Matters affecting the foreign relations of the Government of India- Channels of communication.

Instructions regarding the channels of communication between the Government of India and the State Government on the one hand and Foreign Governments, Foreign Missions in New Delhi, Heads of Indian Missions abroad and International Organisations on the other have

(श्री भैरोंसिंह)

been laid down in Appendix VI of the Manul of Office Procedure 1956. Cases have recently come to the notice of this Ministry where these instructions have not been followed. All Ministries of the Government of India and all State Governments are requested to follow these instructions in their dealings with foregin Governments, Foreign Missions in New Delhi, Indian Missions abroad and International Organisations. "

अब इसके बाद राज्य सरकार ने जो आदेश निकाला है वह पढ़ कर सुनाता हूँ :

Endorsement No. F. 1 (9) G. A. D. /A/57 dated the 12.2.1958,

"Sub: Instructions regarding the channels of communication between the State Government and Government of India, Foreign Governments, Foreign Missions in New Delhi, Indian Missions abroad and International Organisations etc.

Attention of the Secretaries to Government is invited to this Department endorsement No. F. 1 (9) GA/57 dated 12.2.58. forwarding copies of instructions received from the Government of India, Ministry of External Affairs vide their Memo No. F. 4 (2) G. (CC. 15)/57 dated 28.1.57.

Inspite of these instructions a case has recently come to the notice of the Government where instructions on the subject have not been followed while addressing communications to Foreign Missions in New Delhi.

All official communications between the State Government and Foreign Missions in India, Foreign Governments and Indian Missions in Foreign Countries should normally be addressed by the State Government to the Government of India, Ministry of External Affairs.

It may, therefore, be enjoined upon all Heads of Departments etc. that the instructions mentioned above should be invariably followed in future and no direct communication should be made to the Missions referred to above."

Then G. A. D. (A) Deptt. Circular No. F. 1 (58) GA/A/57 dated 27.3.1958,

"Sub: Channel of correspondence by the State authorities with Foreign Agencies.

Inspite of repeated instructions having been issued on the subject cited above, an instance has come to the notice whereunder the Medical Directorate requested the World Health Organisation to help them in drawing up the statistical scheme. There is already a Directorate of Statistics in Rajasthan and assistance should have been obtained from it for the purpose."

सुन लीजिये मन्त्रीजी :

(श्री भैरोंसिह)

"It is therefore again made clear that in future no department of the State Government shall, without the previous approval of the Government, contact foreign agencies for any statistical guidance"

आपने पहले तो टेलिग्राम दिये वे रूल्स के खिलाफ दिये, अभी पत्र लिखा होगा जिसके जवाब में पत्र आया वह रूल्स के खिलाफ आया। मन्त्रीजी ने मेरे खिलाफ जो बातें कही थीं उनको कहने के बाद सदन में मर्यादा का प्रश्न उठाना चाहते हैं। मैं समझता हूं इन्सानियत के नाते मन्त्री जी को इस बात का नाम नहीं लेना चाहिये था। आपने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार का आरोप मेरे आचरण पर लगाया, मां बहिन तक को नहीं छोड़ा उसके लिये और कोई चारा किसी इन्सान के लिए नहीं है, मैंने संयम रखा। यदि इस प्रकार की भाषा मन्त्रीजी सड़क पर और गली में कहते तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नहीं आता बल्कि हालत मन्त्रीजी की कुछ और ही होती। मैंने सदन की मर्यादा रख कर मां बहिन की बात सुनी। आज जो शख्स मां बहन की बात कहे वही मर्यादा की बात करे इससे बढ़ कर शर्म की कोई बात नहीं हो सकती, मर्यादा की कोई बात नहीं हो सकती। हाउस में उनका फुल कन्डेम्नेशन होना चाहिये था....

श्री अध्यक्ष : इन सब की चर्चा करने से क्या मतलब है ?

श्री भैरोंसिह : मैं छोटा सा पत्र और रख दूं। यह पत्र अजमेर के पत्रकार संघ की तरफ से माननीय गृह मन्त्री जी भारत सरकार को लिखा गया है, वह भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह इस प्रकार है :

अजमेर जिला पत्रकार संघ
पृथ्वीराज मार्ग अजमेर

माननीय गृह मन्त्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली
(कैम्प अजमेर में प्रेषित)

महोदय, हम अजमेर जिला पत्रकार संघ की ओर से आपकी सेवा में निम्न तथ्य जो भ्रष्टाचार के जीते-जागते उदाहरण हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं :-

(१) राजस्थान के वित्त मन्त्री, बाल कृष्ण कौल ने जुलाई सन् १६६५ में अपने अधीन कार्य करने वाली एक महिला कर्मचारी को काबुल से जयपुर बुलाने के लिये भारत सरकार के गृह और विदेश मन्त्रालय की आज्ञा के बिना हमारे काबुल स्थित राजदूत एवं दूतावास के कर्मचारियों से सीधा टेलीफोन किया तथा तार भिजवाये और इन सबका भुगतान सरकारी कोष से कराया।

श्री बालकृष्ण कौल : On a point of order....

श्री भैरोंसिह : यह सर्व विदित है कि श्री कौल के × × × × ×

कुछ माननीय सदस्य : (एक साथ) बैठ जाओ, बैठ जाओ !

(शोरगुल)

× × × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री हरिकिशन शर्मा (राजगढ़) : सारे राजस्थान को गन्दा कर दिया। बाजार में, सदन में, कोने कोने में × × ×

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं ....

श्री भैरोंसिंह : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के लिए रूल बतलाइये, किस रूल में कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सुन लीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : वह इनसे इन्सपायर्ड है जिनसे चिट्ठी लिखाई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैंने जो प्रश्न उठाया है उससे इसकी क्या रिलेवेन्सी है....

(शोरगुल, मेज थपथपाना)

शोर मचाने से कुछ नहीं होता, गुण्डागर्दी दिमाग में है....

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय यह जानना चाहते हैं कि इस पत्र से इस प्रश्न का क्या सम्बन्ध है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिए बताता हूं कि ऐसी ही शिकायत अजमेर के पत्रकार संघ ने भारत के गृह मन्त्रीजी को दी है जिसमें ये बातें लिखी हैं। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है। ऐसे मसले पर मन्त्रीजी फिर गलती कर रहे हैं। काबुल की एम्बेसी से उन्होंने डाइरेक्ट कोरेस्पोन्डेन्स की है। इसमें आगे लिखा है :

क्या राज्य का एक मन्त्री बिना भारत सरकार की स्वीकृति के विदेशों में भारतीय दूतावासों से सम्पर्क कर सकता है ?

(२) राजस्थान के वित्त मन्त्री श्री बालकृष्ण कौल ने रिश्वत लेकर अजमेर में डेढ़ लाख रु० की लागत का एक मकान बनाया है इसमें भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। यह जमीन १०।, दस रुपया प्रति वर्ग गज के हिसाब से मेयो कॉलेज का अनुदान रोक कर अनुचित दबाव डाल कर खरीदी गई है। वित्त मन्त्री ने इस मकान के निर्माण के लिए अपनी पत्नी श्रीमती विष्णुमाया कौल को सरकारी नियमों में जान-बूझ कर संशोधन करके ३०,०००) (तीस हजार) रुपये का कर्ज दिया है।

(३) अजमेर नगर परिषद के अध्यक्ष ने दिनांक ३१–७–६५ को महासमिति की सभा में प्रस्ताव संख्या १० के द्वारा बिना एक पुलिया के निर्माण के लिए १०,७३०) रुपये के भुगतान का मामला प्रस्तुत किया। महासमिति ने इस प्रस्ताव को डिलीट कर दिया। बिना किसी अधिकार के ही अध्यक्ष ने इस बिल का भुगतान कर दिया। राज्य विधान सभा में कांग्रेसी विधायकों की ओर से यह प्रश्न उठाया गया तो जांच कराने का आश्वासन दिया है........

आगे लिखा है:—

आपसे प्रार्थना है कि इन मामलों की जांच करने के आदेश देकर भ्रष्टाचार

× × × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No. 79

(श्री भैरोंसिंह)

उन्मूलन के आपके नारे को दृढ़ बनावें। हम आपको व जांच कमेटी को सब प्रकार से सहयोग देने को सदा तैयार हैं।"

अजमेर जिला पत्रकार संघ पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर ने यह पत्र माननीय गृह मन्त्रीजी भारत सरकार को दिया है मामला अन्डर इन्क्वायरी है। इस समय मन्त्रीजी यह कहें कि मेरे पास इस प्रकार का तार आया है। किस भूमिका के आधार पर तार आया है? वे कहते हैं कि माननीय सदस्य जयपुर से आये हैं उन्होंने ऐतराज किया है कि तार की कॉपी सदन की मेज पर नहीं रखी जाय, लेकिन मैं तो यह निवेदन करता हूं कि इस तार को भी सदन की मेज पर रखा जाय और मैं भी ये दोनों पत्र सदन की मेज पर रखता हूं। पर्सनल आक्षेप के रूप में इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, अध्यक्ष महोदय, भारतीय संस्कृति के अनुसार जिस महिला को मैंने बहिन स्वीकार किया है उस बहिन से मेरा क्या मोटिव इम्प्यूट हो सकता है? जिस मोटिव के नाम पर वे आनन्द उड़ाते हैं उससे मोटिव इम्प्यूट करने की बात करते हैं, यह मेरे आचरण सम्बन्धी मामला है, मेरे आचरण पर आघात पहुंचाया है, विशेषाधिकार का मामला है। रोहताजी को सदन के सामने बुलाया जाय और किस आधार पर मेरे खिलाफ बात कही जाती है।....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने इस सदन में दो बार कौल साहब के पी. ए. × × ×

(विराम)

के सम्बन्ध में गर्मागर्म बहस सुनी, मेरे ख्याल से ऐसी बात है, इसमें जो सदन की परम्परा के लिए शोभनीय नहीं है। माननीय जनसंघ के नेता हैं उनके विचारों के प्रति मैं कद्र करता हूँ....

श्री भैरोंसिंह : मुझे विरोधी दल के नेता क्षमा करें, उस दिन की डिबेट को आप देखें, अध्यक्ष महोदय देखें, सदन का कोई भी माननीय सदस्य देखे, मैंने केवल तार के प्रश्न को लेकर रिपीट किया था, कोई ऐसी बात नहीं कही थी जिसको लेकर मन्त्री महोदय इस प्रकार के अपशब्द कह कर आरोप लगाते। कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य उस सारे भाषण को पढ़ ले और बतावे कि कौनसी आपत्तिजनक बात थी जिससे चिढ़कर उन्होंने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया और ये यदि करते हैं तो इसके लिए सदन की व्यवस्था है........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनसंघ के माननीय नेता ने जो कहा, मेरे ख्याल में, एक हद तक ठीक है। लेकिन वह तो दो हाथों से ताली बजती है। एक तरफ आरोप होंगे तो दूसरी तरफ उस पर काउन्टर आरोप होंगे। तो मेरे ख्याल में सदन के स्तर और प्रतिष्ठा के प्रतिकूल ही कार्यवाही मैंने देखी। जो सदन में विचार व्यक्त किये गये, तैश में आकर जो बातें रखी गईं, वह मेरे ख्याल में कौल साहब के लिये भी

× × × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अशोभनीय हैं। तो स्पष्टीकरण के रूप में जो कुछ भी कहा वह भी, हमने सुना और जनसंघ के माननीय नेता ने जो कुछ कहा वह भी हमने सुना। मैं तो दोनों पक्षों की बात को सामने रख कर करबद्ध निवेदन करता हूं कि वाशिंग ऑफ डर्टी लिनेन में रखा क्या है। कोई सरकार के विरुद्ध आरोप हों, कोई तथ्य हों, कोई आर्थिक बात हो, कोई नुकसान–लाभ की बात हो तो वह सदन में उठायें, तो ठीक बात है। लेकिन पर्सनल और व्यक्तिगत आचरण के बारे में सदन में बात करना मेरे ख्याल में सदन की प्रतिष्ठा के लिये उचित नहीं है। बहुत जमाने पहले फ्रांस में एक किंग हुआ करता था मिस्टर मिसया क्लामांसो, उन मिस्टर मिसया क्लामांसों के लिये कहा जाता था–लिटिंग, दी टाइगर आफ फ्रांस। सारा फ्रांस जानता था कि मिस्टर मिसया क्लामांसो गैबर्ड हैं। मिस्टर मिसया क्लामांसो के गैबर्ड होने के नाते उनके प्रति जिसको जो कुछ विचार अपने मन में रखने थे वह रखा करते थे, लेकिन मेम्बर ऑफ डिपुटीज एण्ड सीनेट के अन्दर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई कि गैबर्ड क्या करते हैं, × × × × × × कौन है, पी. ए. कौन है। अगर कौल साहब ऐसी बात करते हैं कि जो आर्थिक रूप से या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक रूप से आपत्तिजनक है तो जनसंघ के माननीय नेता उसके बारे में एक दफा छोड़ कर दस दफा आक्षेप लगायें, और जो उन्होंने खतों-किताबत के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है, उस पर वे बराबर प्रकाश डालें। लेकिन 'तैं तैं, मैं मैं' मेरे ख्याल में, सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली बात नहीं है। इसलिये मैंने जो कहा, इसे मानो या न मानो इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन असहय वेदना कभी कभी मुझे होती है और इसके फलस्वरूप मैं दोनों तरफ करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस लेजिस्लेचर की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुये, कोई कौल साहब ऐसी बात न करें जो कि जनसंघ के माननीय नेता को अखरे। जनसंघ के माननीय नेता कोई आरोप लगायें यदि वह तथ्यपूर्ण हो तो, यह उनका अधिकार है। आखिरकार हमारे पास है क्या ? विरोधी पक्ष का यह तो है कर्तव्य, उसको पूरा करें। लेकिन पर्सनल, व्यक्तिगत आचरण और प्राइवेट लाइफ इसके अन्दर मेरे ख्याल में खदेड़ना, यह तो मेरे ख्याल में अच्छी चीज नहीं है। बस इतना ही मेरा निवेदन है और दोनों पक्षों से करबद्ध मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस मामले को किसी तरह सुलझाना है तो सुलझा दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं! विरोधी पक्ष के नेता ने जो बात कही वह महत्वपूर्ण और बुनियादी बात है कि सदन में इस प्रकार के चार्जेज लाये जा सकते हैं या नहीं लाये जा सकते हैं। सदन के माननीय विपक्षी नेता ने यह भी कहा कि किसी भी सम्बन्ध, किसी भी स्थिति से अगर सरकार को आर्थिक हानि हुई है या नियमों का उल्लंघन किया गया है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई बात गलत हुई है तो उसके बारे में चर्चा हो, जैसी स्वयं उनकी शर्त है कि ऐसे मामले एक दफा नहीं दस दफा उठाये जा सकते

× × × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री अध्यक्ष)

हैं। लेकिन व्यक्तिगत सम्बन्ध, व्यक्तिगत आचरण की बात उन्होंने कहा कि कहां तक ठीक है कि सदन में उठायें। ऐसी बातें सदन में नहीं होनी चाहिये क्योंकि एक चीज शुरू होती है तो आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं। और इससे यदि किसी की हानि होती है तो वह सदन की प्रतिष्ठा को हानि होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, इस बात को माननीय सदस्य, जो दोनों तरफ बैठे हैं, गौर से सुनेंगे–जो उन्होंने कहा है। और जो अभी तक चर्चा हुई है, यदि सदन की अनुमति हो तो मैं प्रासीडिंग्स को देख कर, कोई बात इस तरह की जहां आई हो, उसको निकालने की सदन की अनुमति चाहता हूं। और भविष्य के लिये आपसे विश्वास चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो व्यक्तिगत आरोप हों उनको सदन में नहीं उठाया जाय। किसी के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से कोई गलत बात हुई हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप की प्रक्रिया चलती रही, तो मैं समझता हूं, सदन की कार्यवाही नही चल सकेगी और ऐसा वातावरण पैदा हो जायगा जो हमारे लिये अशोभनीय होगी इसलिए इन शब्दों के साथ में जो व्यवस्था है, जो बहस हुई है, किसी ने कुछ भी कहा इसको मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। और भविष्य के लिए भी जो विशेषाधिकार प्रश्न आये हैं, एक कौल साहब ने दिया है, एक भैरोंसिहजी ने भी दिया है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी दिलचस्पी दिखाई है। उन सबको भी मैं इसी दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ। श्री कौल साहब ने एक प्रश्न का जो जवाब भेजा है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी ऐसी कोई मन्शा नहीं थी। और माननीय सदस्य ने भी कहा कि उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप बात कही, क्योंकि कोई बात कही गई, कोई बात उठाई गई इसलिये नाराजगी में...........

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने चार्जेज लगाये उसमें मैंने कोई बात ऐसी नहीं कही। आप मेरी प्रासीडिंग्स देख लें कि उसमें कहीं कोई असंसदीय आरोप हो या कोई पर्सनल मैटर हो। लेकिन जो तार दिये थे वह राजस्थान सरकार के खर्च से दिए थे, इसलिए उस मामले को मैंने उठाया और उस मामले को उठाने के बाद जो उन्होंने प्रत्या-रोप में बातें कहीं, उनके कारण यह सारी स्थिति उत्पन्न हुई।

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि इसी प्रकार आप फैसला कर रहे है तो आप सारी स्पीचेज पढ़ लीजिये, जो आपने चार्जेज लगाये हैं और जो मेरे जवाब हैं उनको पढ़ लीजिये और उसके बाद में जो कसूरबार हो, उसको आप जो दण्ड देना चाहें वह दण्ड दे दीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, चोर को मारें तो चोर की मोसी को क्यों नहीं मारें? और आप असंसदीय बातों के बारे में फैसला करें तो यह फैसला क्यों नहीं कर दें कि जो × × × × × ×

× × × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

Page No. 82

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! फिर गलत बात कही । इस प्रकार की चर्चा से सारी स्थिति बिगड़ जाती है । यह फैसला करना न तो उचित है और न आवश्यक है । और माननीय सदस्यों को इस तरह की बात उठाना अच्छा नहीं है । क्योंकि इस तरह की बात शुरू हो गई तो सब तरफ से सही और गलत आरोप आयेंगे । इसलिए बेहतर बात यह है कि सदन की परम्परा, सदन के नियम–सबके हित में यह है कि इस तरह की परम्परा को हमेशा के लिए कायम न किया जाय । और जो आज तक बहस के अन्दर इस तरह की बातें आई हैं–उनको देख कर मैं इस तरह की व्यवस्था करना चाहता हूं कि ऐसी बातों को निरस्त कर दिया जाय । और इस प्रसंग को यहीं समाप्त कर दिया जाय और भविष्य के लिए मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य इस तरह की बात न उठाएं । और आप जिसे प्रशासनिक चीज बनाना चाहते हैं तो अवश्य बनाइये, उसको किस तरह से बनाना है इस पर हम स्वयं विचार करके मदद देंगे । लेकिन कोई गलत चीज नहीं होनी चाहिए । लेकिन यदि व्यवहार और भावना पर चलने लगे तो सदन में एक विषम स्थिति पैदा हो जायगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फर्माया, मैं समझता हूं कि सदन सहमत होगा कि जो इस पहलू पर आपने फर्माया कि जो बहस हुई है, जो उसमें ऐसी बातें हैं जिन्हें आप सदन की प्रतिष्ठा के उपयुक्त न समझें, तो मैं समझता हूँ कि उसे निकाल कर जितना रहे वह वाजिब हो । यह आपने जो इच्छा प्रगट की है, हमसे जो आशा की है, मैं सोचता हूं कि सदन को एतराज नहीं है क्योंकि यह रिकार्ड हमेशा के लिए रहता है, यह रिकार्ड ऐसा बनता है कि जो सदन की प्रतिष्ठा को नीचे गिराता है, तो मैं सोचता हूँ कि सदन की प्रतिष्ठा का चिन्तन इस सदन में बैठे सब माननीय सदस्यों को है । इसलिए जो आपने हमसे आशा की है, उस पर हम अनुमति देना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय.......

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आसन ने जो सुझाव दिया है उसे सदन को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये और सदन की कार्यवाही से ऐसी बातें जो जरा भी भद्दी हों उनको निकाल देना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक असंसदीय शब्दों का प्रश्न आता है किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि उन शब्दों को प्रोसीडिंग्स से नहीं निकाल दिया जाय । लेकिन कुछ तथ्य प्रोसीडिंग्स में हैं जिनके निकालने के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किस प्रकार के तथ्यों को सदन की कार्यवाही से निकालना चाहते हैं, उनको जरूर निकालें लेकिन उसके पहले जिनके द्वारा वे कही हुई बातें हैं–उनको आप निश्चित रूप से कन्सल्ट करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह क्या कन्डीशन खड़ी की है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि प्रश्न तथ्य का नहीं है । तथ्यपूर्ण होते हुए भी असंसदीय हो सकता है और असंसदीय न होते हुए भी अनुपयुक्त हो सकता है । इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मान-

(श्री अध्यक्ष)

नीय सदस्य से विचार कर लिया जायगा इस विषय में। लेकिन केवल इन बातों को सदन की कार्यवाही से निकालने की बात से समस्या हल नहीं होगी आप **लोग** अपने मन में से निकालें तब होगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ कि यदि सरकार के सामने ऐसे प्रश्न के ऊपर सरकार के ऊपर आरोप लगाये जायं और उसके बाद सरकार की ओर से गलत प्रत्यारोप लगाये जायं तो उन दोनों को इक्वेट् करके उन्हें प्रोसीडिंग्स में से एक्सपंज कर दिया जाय तो इसका एण्ड नहीं होगा और इससे एक गलत परम्परा उल्टी पड़ेगी और एक परम्परा को पनपाने के लिए एक गलत परम्परा को प्रोत्साहन देंगे कि तथ्यपूर्ण हो या गलत हो - उनको प्रोसीडिंग्स से एक्सपंज कर दिया जाय। इसलिए जैसा आपने कहा है, अगर कोई बात गलत हो तो आप उसको निकालने का आदेश दें–उसमें मुझे आपत्ति नहीं है, और इसी प्रकार माननीय वित्त मंत्री को भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन यह अजीब स्थिति है कि मैंने एक आरोप लगाया और उस पर वह प्रत्यारोप लगायें, जब कि विरोधी दल का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होता, विरोधी दल के हाथ में हुकूमत नहीं है उस स्थिति में विरोधी दल के किसी सदस्य के खिलाफ सरकार या पुलिस अधिकारी कार्यवाही कर सकते हैं, कोर्ट में घसीट सकते हैं, जेल खाने में रखे जा सकते हैं–जिसके हाथ में कुछ नहीं है उसके ऊपर आरोप लगायें, और जो सरकार अपने ऊपर लगाये हुये आरोपों से प्रत्यारोप लगा कर बचना चाहे–ऐसी सरकार के हाथ में आपने ऐसा डंडा दे दिया तो उसका दुरुपयोग सरकार करेगी और विरोधी दल के हर मेम्बर के खिलाफ उस डंडे का प्रयोग सरकारी पक्ष द्वारा किया जा सकता है। इसलिए मै समझता हूँ कि इससे गलत परम्परा का निर्माण होगा।

मैंने जैसा निवेदन किया कि जिन तथ्यों को आप बुरा समझते हैं कि भई, इन तथ्यों का सदन की कार्यवाही में होना जरूरी नहीं है तो उसके सम्बन्ध में आप हमसे पूछें, इनसे पूछें–और उसके बाद में उन तथ्यों को या उन शब्दों को आप निकाल सकते हैं–इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार की एग्रेसिव टोन के अन्दर इस प्रकार की स्थिति क्रियेट करके अपोजीशन का मुंह बंद किया जाय–इस स्थिति के सामने मैं कन्सीड करने को तैयार नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैंने सदस्यों से कोन्टेक्ट करने की बात तो प्रारम्भ में ही स्वीकार कर ली थी। माननीय सदस्य यह तसल्ली चाहें कि जो बात तथ्यपूर्ण हो उसको नहीं निकाली जावे और उस पर विचार करें। प्रश्न यह है कि कौनसी बात हमारे कार्य क्षेत्र में है और किन चीजों को हम नियमों के अनुसार उठा सकते हैं तथ्यों के सम्बन्ध में नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं माननीय सदस्यों को विश्वास में लेकर ही करूंगा। इसके लिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूँ।

आगे की कार्यवाही !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि मन से ऐसी बातों को निकाल दी जावे। ये कैसे निकल सकती है ?

श्री अध्यक्ष : आप अपने मन से निकाल दें और दूसरे भी निकाल देंगे।

(२.४१ म. प.)

नाथद्वारा मन्दिर (द्वितीय संशोधन विधेयक, १६६६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६ को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

माननीय सदस्यों को विदित ही है कि आज हमें तीन विधेयकों को पारित करना है । जो माननीय सदस्य इस पर बोलें तो इस पर जो संशोधन हों उस पर ही अपना भाषण सीमित रखें ।

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

(१) **श्री गोविन्द सिंह** (पिड़ावा)
(२) **श्री चौसर सिंह** (बेंगू)
(३) **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द)
(४) **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेडा)
(५) **श्री गोकुलप्रसाद शर्मा** (मांडल)
(६) **श्री मान्धातासिंह** (महुआ)

नाथद्वारा मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६ को तीन माह (एक माह) तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परि—चालित किया जावे ।]

श्री गोविन्दसिंह (पिडावा) : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६ विचारार्थ हमारे सामने प्रस्तुत है । अध्यक्ष महोदय, जहां तक नाथद्वारा मन्दिर का प्रश्न है यह १६५६ में बना था और ३० मार्च, १६५६ में लागू हुआ । यह नाथद्वारा एक्ट हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया गया और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया । सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और उन्हीं जजमेंट के आब्जर्वेशन के लिहाज से कुछ इसमें संशोधन किये जावें । यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा गया इसी कारण संशोधन किए जा रहे हैं । यह बताया गया कि इस असें में भारतवर्ष से कई भागों से लिखा हुआ आया कि आप ऐसा करिये । जहां तक मेरा ख्याल है इसमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संशोधन ला रहे हैं । आपने यह फर्माया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की लाइट में और हिन्दुस्तान से दूसरे लोगों ने लिख कर दिया इन्हीं कारणों से संशोधन पेश कर रहे हैं । उसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें बताया गया है कि इसमें ६ सदस्य, एक एक्स ऑफिसियो गोशाईजी होंगे और दूसरे कलेक्टर उदयपुर होंगे जो रोजाना की कार्यवाही को तय करेंगे । आपने यह किया है इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जहां तक कलेक्टर का प्रश्न है । आपने लिखा है कि उदयपुर के कलेक्टर इसके सदस्य होंगे, आपने कलेक्टर उदयपुर को रखा है वह हो सकता है कि वैष्णव धर्म का अनुयायी न हो और किसी दूसरे धर्म का मानने वाला हो सकता है । वह कलेक्टर उसमें आवे या नहीं आवे या कितना उत्साह लेगा । मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें कलेक्टर को रखने की क्या जरूरत है । आपने आगे फर्माया है कि वाइस—प्रेसिडेन्ट को गवर्नमेंट नोमीनेट करेगी । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप नाथ द्वारा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संशोधन लाना

(श्री गोविन्दसिंह)

चाहते है तो फिर गवर्नमेंट को नोमीनेट किसी को क्यों करना चाहिए। मैं इस संबंध में आप से निवेदन करूंगा कि आप इसके लिए एक ट्रस्ट क्यों नहीं बना देते हैं ; इससे जो प्रोपर्टी है उसका विश्लेषण हो जावेगा और सामान आता है उसकी देख-रेख करने का राज्य सरकार का जो कर्तव्य है और फर्ज है वह भी हो जायेगा। इसलिए बजाय इसके कि गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में ले, मैं यह निवेदन करूंगा और मेरा यह सुझाव है कि आप इसके लिए एक ट्रस्ट क्यों नहीं कायम कर दें। आज नाथद्वारा मन्दिर को सारे हिन्दुस्तान के लोग मानते हैं। इसलिए आप इसके लिए एक ट्रस्ट बना दें। इसलिए मैंने, अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन रखा है कि इसको दुबारा जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जावे। हो सकता है कि जनता को फिर इसके किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में जाने की आवश्यकता पड़े और फिर स्टे हो जावे।

मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है। वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी बहुत सारी ऐसी मस्जिदें, मकबरे जो बहुत पुरानी और खण्डहर हो चुकी थीं उनकी मरम्मत हुई है। अभी गागरोन में मिठे साहब का उर्स है यह डिस्ट्रिक्ट कोटा में है। ख्वाजा साहब अजमेर से दूसरा नम्बर उसको दिया जा रहा है। जब ख्वाजा साहब के उर्स होते हैं तो मिठे साहब के उर्स हों। जब वहां पर इसी २३ तारीख को उर्स हैं और अजमेर के ख्वाजा साहब के दरबार से प्रतिनिधि जा रहे हैं। आज वक्फ के लोग उसमें बड़ा इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं और फकरुद्दीन अहमद जो सिंचाई के भारत सरकार में मन्त्री हैं उनको वहां पर बुलाया जा रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि वे अपने धर्म के लिए कितने जागरुक हैं। लेकिन जहां तक मन्दिरों का प्रश्न है राजस्थान सरकार उनके बीच में आ जाती है। एक तरफ हम यह कहते हैं कि किसी धर्म में हम हस्तक्षेप नहीं करते यहां पर सेकूलर स्टेट है। मगर फिर भी हम नाथद्वारा के बीच में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या आदेश हुए हैं।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि कोटा में मथुराधीश जी का मन्दिर है वहां पर मूर्ति थी उसका झगड़ा पड़ा और उस मूर्ति को वृन्दावन वाले लोग ले गये। अभी कुछ दिन पहले मैं भिनाय गया वहां का मंदिर वहां के राजा साहब ने बनाया था और उनका जब स्वर्गवास हो गया तो उस मूर्ति को किशनगढ़ ले गये क्योंकि किशनगढ़ वाले राठोड़ों में हैड हैं। द्वारिकाधीश व नवनीत प्रियाजी का मन्दिर झालरा पाटन में है वहां के जितने कर्मचारी हैं उनको, अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान बना उस समय मन्दिर को हमारी सरकार ने अपने अधिकार में नहीं लिया और सेल्फ सपोर्टिंग मान लिया। मैं यह कहूंगा कि आज उनके कर्मचारियों को ३१ मार्च तक चार चार रुपये तक तनख्वाह दी जा रही थी। वहां पर २८ कर्मचारी हैं। उनको चार चार रुपया तक मिल रहा है। वहां पर वे लोग ४) से ३६) रु० तक में काम कर रहे हैं। जहां तक उनकी तनख्वाह बढ़ाने का प्रश्न है आप उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी आपने कुछ आदमियों की तनख्वाह बढ़ाई है। और ३६) कर दिये हैं। मगर मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने वहां से ६ आदमियों को नौकरी से १–४–६६ को अलग कर दिया है। न

(श्री गोविन्दसिंह)

तो आपने उनको नोटिस दिया है और बगैर नोटिस ही आपने उनको नौकरी से अलग कर दिया। जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। तनख्वाह तो जो बढ़ेगी वह बढ़ेगी लेकिन अभी आपने छः छः आदमियों को नौकरी से निकाला है जिनकी आज ३० वर्षों से ज्यादा की सर्विसेज है। उनको झालावाड़ सेक्रेटेरियेट रूल्स के अनुसार पेन्शन देनी चाहिये थी मगर आपने उनके लिये कुछ नहीं किया है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक मन्दिरों का प्रश्न आता है राजस्थान सरकार को सतर्क होकर काम करना चाहिये। ऐसा न हो कि कोई ऐसा प्रश्न आ जाए या कोई दूसरा प्रश्न बन सकता है।

(२.४८ म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जहां तक द्वारिकाधीश व नवनीत प्रियाजी के मन्दिर का सम्बन्ध है मैं यह कहूंगा कि आपने जयपुरिया पार्टी को ३०,०००) ब्याज पर दे रखे हैं। आपने मन्दिर की प्रोपर्टी है उसकी एक पार्टी को रकम उधार दे रखी है और वहां पर उनकी सेवा पूजा करने वाला भूखों मर रहे हैं। उसको चार रुपये तनख्वाह मिलती है। मथुराधीशजी का मन्दिर है वह बहुत प्राचीन है। उनकी मूर्तियों को उठा कर वृन्दावन वाले ले जावें और अभी यह सुना है कि एक कमेटी बनाई गई है वह कोटा में प्रोपर्टी बेच रही है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जहां पर भी ये मन्दिर है उसके लिये आप ध्यान दें। एक तरफ हम यह कहते जाते हैं कि हमारी सेकूलर स्टेट है। मैं समझता हूं कि जब हमने कॉन्स्टीट्यूशन में घोषणा कर दी है तो आपको उन मन्दिरों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है। बहुत से ऐसे मन्दिर हैं जहां पूजा नहीं होती। मन्दिर में पुजारी नहीं है आपने यह कर दिया कि जिस मन्दिर के पीछे जितनी भूमि थी उसको एक व्यक्ति के खाते में मांड दी है। भूमि के लालच से लोग उस मन्दिर की पूजा किया करते थे। वह जमीन आपने खातेदारी राइट में घोषित कर दी। वह आदमी उसको बेच कर चला जावेगा तो पूजा कौन करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जिन मन्दिरों में पूजा के लिये सामान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये वहां आज किस प्रकार की सामान की व्यवस्था हो रही है। उसे देखते हैं तो हृदय को बड़ा आघात पहुँचता है। जहां एक किलो चीज होनी चाहिये वहां केवल एक छटांक चीज रखी जाती है। यह एक धार्मिक

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रश्न है इसलिये इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। सब की भावना की कद्र करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आब्जर्वेशन की कद्र करते हुए इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आज के कार्यक्रम में चूंकि ३ बिल हैं इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो-दो, तीन-तीन मिनट ही बोलें।

श्री चौसरसिंह बाबेल (वेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि भारत एक धर्मप्रधान देश है और इसमें दो करोड़ से अधिक व्यक्ति वल्लभ संप्रदाय के मानने वाले हैं। उन सब की यह ख्वाहिश थी कि यह बिल पहले लाया गया

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

था उसी समय स्वीकार किया जाय। भारत के कौने कौने से आपके पास और मन्त्री महोदय के नाम लाखों तार आये कि इसको पारित किया जाय। पर विरोधी पक्ष की ओर से वह बिल आया था, मेरे प्रस्ताव पर उसे प्रवर समिति को भेजा और प्रवर समिति ने जैसा वह था वैसा ही पास करने की सिफारिश की पर दुःख का विषय है कि उसको उस समय पारित नहीं किया गया। आज उसी रूप में इसे सरकार की ओर से लाया गया है इसकी तो खुशी है पर यह एक बड़े दुःख की बात है कि विरोधी पक्ष की ओर से उसे लाया गया तो नहीं लिया गया और अब सरकार उसी रूप में लाई है तो इसे लिया जा रहा है।

इसके अलावा मैं, इसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई है उसके सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। महाराज श्री के प्रति जहां जहां इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किये हैं, जैसे "गोस्वामी बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा, यदि वह अन्यथा निर्योग्य न हो और इस रूप में काम करने के लिये इच्छुक हो।" तो यहां होगा के स्थान पर होंगे. वह की जगह वे और हो की जगह "हों" का प्रयोग किया जाय तो। इसी तरह आगे के शब्द हैं निर्योग्य हो गया है निर्योग्य शब्द ठीक नहीं है। जो लोगों की उनमें श्रद्धा है उसको निहगा में रखना चाहिये, मन्दिर का और उनका पीढ़ियों का सम्बन्ध है।

सरकार ने जो किया है उसकी और और बातों की मैं कद्र करता हूं, हिन्दू या इस धर्म के मानने वाले होंगे उनको इसमें रखा जायगा। कलेक्टर के लिये यह नहीं रखा है हालांकि होना तो चाहिये था कि वह हिन्दू ही हो पर हिन्दू नहीं हो तो भी क्योंकि हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले हैं, इसका विरोध नहीं करते।

मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि धर्म के मामलों में और और जगह भी सरकार को निगाह रखनी चाहिये। अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि सबने इससे सर्व सम्मति से पास करने का निर्णय लिया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे पारित किया जावे और जनमत जानने हेतु प्रसारित करने का जो मैंने प्रस्ताव रखा था उसको मैं वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने विथड्रा कर लिया ?

श्री चौसरसिंह बाबेल : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह मंशा है कि इन्हें अपना प्रस्ताव विथड्रा करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई

श्री चौसरसिंह बाबेल : मैं अपना प्रस्ताव विथड्रा करता हूँ।

श्री गोविन्दसिंह : मैं भी अपना प्रस्ताव विथड्रा करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी विथड्रा करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मुझे बोलना है।

यह जो बिल लाया गया है इसके सम्बन्ध में कुछ शंकाओं का निवारण करना चाहता हूँ। बोर्ड का गठन किया गया है इसमें गोस्वामीजी महाराज को पदेन अध्यक्ष माना है और कलेक्टर को सदस्य माना है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

और उसके अन्दर उपाध्यक्ष को और पदेन रखा है और उसको एग्जीक्युटिव ३ आदमियों को बनाने का अधिकार दिया है और उन तीन आदमियों का बना हुआ एग्जीक्युटिव के द्वारा वहां पर जो मंदिर का कार्य है उसकी देख-रेख होगी और उन लोगों की जुरिस्डिक्शन होगी, तो यह दो प्रकार की जुरिस्डिक्शन जो आपने दे दी है, एक तो महाराजश्री को पदेन अध्यक्ष होने के नाते मंदिर के काम को सम्पादन करने के पॉवर्स दिये हैं और दूसरा वहां पर जो एग्जीक्यूटिव है, वहां पर जो उपाध्यक्ष बनेगा वह कार्य का सम्पादन करेगा। तो भिन्न भिन्न अधिकार अलग अलग व्यक्तियों में आपने निहित किये हैं उसमें कांट्रे डिक्शन नजर आता है और इस प्रकार की बात नजर आती है कि यह जो व्यवस्था आप बिठा रहे हैं उसमें थोड़े दिनों के बाद एक इख्तलाफ आयेगा और उनके कार्य-क्षेत्रों में भिन्नता पैदा हो जायेगी। इसलिये कार्यकारिणी का गठन जो सेक्शन १८ से आप कर रहे हैं उसमें मुझे मतभेद नजर आता है और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने ऐसी कैसी व्यवस्था की कि जिससे भिन्न भिन्न अधिकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों को दिये ? इससे ठीक प्रकार से व्यवस्था चलेगी या नहीं ?

इसी प्रकार मुखिया, भीतरिये और अन्य व्यक्ति जो मन्दिर में काम करने वाले हैं उनकी अपोइन्टमेंट और दूसरे जो प्रश्न हैं पहले तो रजिस्ट्रार से होते थे और गोस्वामीजी से परामर्श ली जाती थी, लेकिन अब तमाम अधिकार गोस्वामीजी महाराज को दिये हैं। तो जैसे मैंने ऊपर वर्णन किया, कुछ अधिकार एग्जीक्युटिव को दिये हैं और अपोइन्टमेंट के अधिकार गोस्वामीजी महाराज को दिये हैं, तो यह अलग अलग तरीके से अधिकार अगर विस्तृत रूप से देखे जायें तो अलग अलग सेक्शन्स में जो हमने अलग अलग अधिकार अलग अलग व्यक्तियों को दिये हैं, जब कि कार्य क्षेत्र एक है, तो इन सेक्शन्स में मतभेद नजर आता है। तो इससे कार्य का ठीक प्रकार से सम्पादन नहीं होगा और जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके अन्दर भी आपस में मतभेद पैदा हो सकते हैं। इसलिए जो प्रोवीजन इसमें दिये हुए हैं उनसे कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो भविष्य में, उसके लिए मन्त्री महोदय बताए।

इसके अलावा जो भी नौकर यहां अपोइन्ट किये जायें उनकी सर्विस कंडीशन्स और दूसरी बातें किस प्रकार से होंगी, किस प्रकार से उनको वेजेज़ वगैरह मिलेंगी, इसके बारे में इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है और न ही इसके सम्बन्ध में पहले कोई प्रावधान है। इस वजह से बहुत से लोग बहुत ही लो पेड हैं और उनका भरण-पोषण उन वेजेज से नहीं हो सकता है, इसलिये यह आवश्यक है कि वहां पर जो लोग लगाये जायें, जो लोग नौकर रखे जायें उनकी वेजेज इतनी हों जिससे उनका भरण-पोषण ठीक प्रकार से हो सके और सुचारु रूप से वे मन्दिर का काम कर सकें। इन बातों पर मैं मंत्री महोदय से क्लेरीफिकेशन चाहूंगा और अगर मुझे सन्तोष हो गया तो मैं अपने संशोधन को वापिस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरसिंह !!

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री गोकुल प्रसाद !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माडल) : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा टेम्पल बिल के जरिये, नाथद्वारा में जो तिलकायत महाराज के न पधारने से अव्यवस्था हो रही थी, वहां पर उनको पधारने की जो व्यवस्था की गई है उसके लिये तो मैं सरकार को बधाई देता हूँ, और पुष्टीमार्गीय वल्लभ सम्प्रदाय के लोगों के अन्दर जो क्षोभ लगा हुआ था कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है उनकी शंका कुछ कुछ मिट गई। लेकिन महाराजश्री को जो आपने अधिकार दिये हैं वे सम्पन्न नहीं हैं अपने आप में–यह मेरी शिकायत है। महाराजश्री पदेन अध्यक्ष रहेंगे इसके बजाय यह होना चाहिये कि महाराजश्री जिस प्रकार से सेवा की व्यवस्था करना चाहें, जिन मुखियाओं को रखें, जिन भीतरियों और बाहर सेवा वालों को रखें यह उनकी इच्छा पर निर्भर हो। वल्लभ सम्प्रदाय में वहां पर कोई श्रीनाथजी का मन्दिर नहीं है, वह श्रीनाथ जी की हवेली कहलाती है। हमारे यहां तो जहां तिलकायतजी विराजते हैं वही श्रीनाथ जी का मन्दिर कहा जाता है। भगवान का स्वरूप है वैसे का वैसा ही आचार्य का स्वरूप है यह मनुष्य का रूप नही है पर परमात्मा, ईश्वर का रूप है और उनको भगवान से कम नहीं मानते।

महाराजश्री को श्रीनाथजी की प्रतिमा की सेवा का जो अधिकार दिया हुआ है वह है दान। दान से दाता को बड़ा मानते हैं। तो जो सेवा का अधिकार तिलकायतजी को मिला हुआ है, सेवा जो है वह पूजा नहीं है, पूजा तो पुजारी करते हैं, हम तो सेवा करते हैं, तो जिनको तिलकायतजी महाराज सेवा के योग्य मानें उनको सेवा के लिए कहें। प्रत्येक दिन सात समय सेवा होती है और हर समय महाराजश्री से आज्ञा लेनी पड़ती है कि पधारो, तो वे कहते हैं कि तुम पहुंचो। तो अब आप जो कमेटी बनायेंगे, सेवा करने का सारा इन्तजाम करने का जो अधिकार है वह उस कमेटी में रह जायेगा।

कमेटी के मेम्बर्स का जो सरकार ने सुझाव दिया है उसमें कलेक्टर भी रहेंगे। पहले जो वहां कलेक्टर थे और बाकी के अवैष्णव थे पर अब के सदस्य वैष्णव ही रहेंगे इसके लिए बधाई है सरकार को। पर जब किसी दूसरे धर्म में या धार्मिक सम्पत्ति में हस्तक्षेप नहीं करती तो वैष्णव सम्प्रदाय के साथ और हिन्दू धर्म के साथ इस प्रकार से सौतेला व्यवहार आज राज्य सरकार और भारत सरकार कर रही है वह ठीक नहीं है।

आज देवस्थान डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। जयपुर में तीस मन्दिर हैं जिनको देवस्थान विभाग चलाता है और उनकी स्थिति किस प्रकार की है यह देख लिया जाये। एक भी वल्लभ सम्प्रदाय का पुजारी आपको वहां नहीं मिलेगा। वहां जितना भोग का इन्तजाम किया जाता है, डिपार्टमेंट के अधिकारी उसको अपना ही मानते हैं। डिपार्टमेंट के अधिकारी यह समझते हैं कि ये मन्दिर तो यों ही हैं। वहां पर काम करने वाले जो आदमी हैं उनके ऊपर अपने को ऑफिसर समझते हैं और उनको अपने घर के काम में लेते हैं।

(३.०० म० प०)

Page No. 90

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मैं मन्त्री महोदय से पहले भी निवेदन कर चुका हूँ। यहां के जयपुर शहर के देवालयों में करीब ४० आदमी सरकारी अधिकारियों के घरों में काम करते हैं और ये दूसरे संप्रदाय के मन्दिर होते तो उस पर ऐसी बात नहीं हो सकती थी। देवस्थान विभाग को अपने आप सुधार करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, वक्फ कमिश्नर ने ऐसा काम किया है कि राजस्थान भर की जो जायदाद हैं उनकी सूची तैयार की है, १००-१०० पेज की कॉपियां हैं, लेकिन सरकार ने यह नहीं किया है। सरकार ने जो देवालय अपने कब्जे में लिए हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है।

राज्य सरकार दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती तो हिन्दू धर्म में ही ऐसा क्या रह गया कि हर बात में बीच में अडंगा लगाती है। वह सिखों के गुरुद्वारे नहीं चला सकती। आपने मुसलमानों की किसी मस्जिद में हस्तक्षेप किया? तो फिर हमारे मन्दिरों में आपके आफिसर्स क्यों खड़े हो जाते हैं कि हम आफिसर्स हैं। आप बीच में क्यों पड़ते हो? कार्तिक के दिनों में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने जाते हैं। रामचन्द्र के मन्दिर में १७ व्यक्ति हैं, इनको पैसे तो सरकार के खजाने से मिलते हैं बाकी सब अधिकारियों के घरों में काम करते हैं। जनता समझती है कि ये मन्दिर राज्य के हैं, हमें क्या अधिकार है और सरकार समझती है कि हमारा धर्म-निर्पेक्ष राज्य है। इस प्रकार आप देवस्थान विभाग को मत बनाओ।

मानक चौक के पास एक मन्दिर है मेहता बिहारी का, उसमें ७-८ दुकानें हैं। कहीं कहीं तो ५०-५० रुपया किराया आता है और कहीं एक-एक और दो-दो रुपये में बंगले दिए जाते हैं, इनको अगर आज जयपुर शहर में किराए पर दिया जाय तो ३०-४० रुपये के बिना नहीं मिलेंगे। इसकी आय को पूरा बढ़ाएं। आज रामचंद्र और भगवान के मन्दिर में जो जाते हैं वे सब सरकार की निन्दा करते हैं, सरकार को कोई लेना-देना नहीं है। सरकार वैसे ही बदनाम होती है। मन्त्री महोदय ने कभी आदेश नहीं दिए कि अधिकारियों के घरों में जाकर काम करो। बेईमानी कोई करता है, बदनाम कांग्रेस पार्टी होती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने कभी भी नहीं कहा कि मन्दिरों में इस प्रकार की व्यवस्था हो।

आप इन मन्दिरों को छोड़ दीजिए। गोवर्धनदास मन्दिर में चंद्र मोहन महाराज का हजारों आदमी प्रवचन सुनने जाते हैं। आपके अधिकारी जो मन्दिरों में चले जाते हैं उससे कांग्रेस की बदनामी होती है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने कर रखा है। जो अधिकारी ऐसी बात करता है उसको सजा दिलाएं! अगर वे व्यवस्था नहीं करते हैं तो आप उनकी तरफ ध्यान दें। इन मन्दिरों की इतनी सम्पत्ति है। आप हर जिले में एक हाल बना दें जहां हर संप्रदाय के लोग आएं, धर्म और नैतिकता का उपदेश सुनेंगे तो नैतिकता बढ़ेगी।

राजस्थान में संस्कृति और धर्म की कमी नहीं है, आप देवस्थान की व्यवस्था ठीक करें। आपने कमेटी बनाई, एक दिन भी मीटिंग नहीं हुई, आपने ऐसे लोग लगाए जो धर्म को मानते ही नहीं। ओसवाल,

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

वगैरह ऐसे आते हैं जो हिन्दू धर्म के मन्दिरों को मानते नहीं है उनके मन्दिर अलग हैं। आप जैन मन्दिर नहीं ले सकते । आज राजाओं के धोखे की वजह से हम आपत्ति में पड़े हुए हैं। इन सारी बातों की व्यवस्था आपको करनी चाहिये। इनकी आमदनी बढ़ाए। आपने जो एक-एक, दो-दो रुपये में दुकान किराये पर दी है उनके २००)-२००) रुपये आ सकते हैं। मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप वक्फ की सम्पत्ति को लें।

लेकिन हमारे ये अधिकारी जो अपने आपको हिन्दू कहते हैं इन हिन्दू धर्म और मंदिरों की संपत्ति को अपने घरों में काम में लेने में हलाल समझते हैं, हराम नहीं। लेकिन मुसलमान उसको हराम मानता है। मुसलमानों ने लिस्ट बढ़वा ली। इन अधिकारियों से काम नहीं चलेगा । ये अपना धन्धा करते हैं। प्रान्त भर की आप एक कमेटी बना दीजिये। राजाओं के वक्त में भी व्यवस्था थी। श्रीनाथजी के लिये मैंने बताया कि उनको ज्यादा अधिकार मिलने चाहिये।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : इस नाथद्वारा संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक गत सेशन के अन्दर प्राइवेट मेम्बर्स बिल के रूप में इस सदन में प्रस्तुत किया गया था। उस वक्त उस बिल में प्राइवेट मेम्बर्स बिल में वे ही प्रावधान थे जो इस नये बिल में सरकार ने रखे हैं। एक प्रावधान यह था कि तिलकायजी महाराज को अध्यक्ष बनाना और दूसरा मुखिया द्वारा सेवा पूजा का कन्ट्रोल करना। लेकिन इस बात का अफसोस है कि सरकार ने उस बिल को मंजूर नहीं किया केवल इसी कारण से कि सरकार की ओर से बिल नहीं लाया गया था। अब केवल उन्हीं विषयों को लेकर सरकार ने यह बिल प्रस्तुत किया है। यदि सरकार उस चीज को वाजिब मानती थी तो पहले ही उस चीज को प्राइवेट मेम्बर्स बिल के रूप में आयी तो सरकार ने उसको क्यों नहीं मंजूर किया? यह सरकार की हठधर्मी है। कोई वाजिब चीज विरोधी पक्ष से आती है तो सरकार को उसी तरह से मंजूर करना चाहिये परन्तु वह न करके सरकार अपनी ओर से आज वही चीज सदन में ला रही है।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस बिल के अन्दर एक एक्जीक्युटिव कमेटी और एक वाइस प्रेसिडेन्ट की नियुक्ति का प्रावधान है। पहले इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कई फैसले हो गये हैं कि सेवा पूजा गोस्वामी तिलकायतजी के ही अधिकार में रहनी चाहिये। इस सम्बन्ध में कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वह मैं निवेदन करूंगा।

"We may, however, mention that we would have felt happy and satisfied if the Goswami who occupies such an exalted and venerable position in the eyes of his followers should have been made the president of the Board. We may mention that the learned Solicitor General also shared our feelings and undertook to advise the Govt. to set the matter right.'

(श्री मानधातासिंह)

एक और इसी कोर्ट के यह रूलिंग थी :

"The board will act reasonable and fairly with the Tilkayat and nothing will be done to impair his authority over the servants of the temple in so far as they are concerned with the religious part of the wordship in the temple.'

यह जो एक्जीक्युटिव कमेटी और वाइस प्रेसिडेन्ट की नियुक्ति है उससे तिलकायतजी को प्रेसिडेन्ट बनाया उनमें और इस एक्जीक्युटिव कमेटी में आगे चल कर मतभेद हो सकते है। यह एक उपयुक्त चीज नहीं है। जब तिलकायतजी को अध्यक्ष बना दिया गया तो कुल अधिकार उनके अन्दर ही रहने चाहिये और हाई कोर्ट्स के फैसले के अनुसार भी उनकी एक्जाल्टेड पोजिशन है उसको मान्यता देनी चाहिये। यह तो एक हाथ से एक चीज़ देना हुआ और दूसरे हाथ से उसको लेना हुआ। इस दृष्टि से वाइस प्रेसिडेन्ट और एक्जीक्युटिव कमेटी की नियुक्ति तिलकायतजी के अधिकारों पर हस्तक्षेप है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

अभी जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि केवल हिन्दू धर्म ही सरकार को एक ऐसा धर्म दिखाई देता है कि उसमें हर तरह से सरकार हस्तक्षेप करती है, बाकी के धर्म हैं, इस्लाम धर्म, जैन धर्म आदि उनमें सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। केवल हिन्दू मन्दिर के लिये ही बोर्ड बनाना यह एक डिस्क्रिमिनेशन है जब कि आर्टिकल २५ ऑफ दी कान्स्टिट्यूशन के अन्तर्गत हर शख्स को अधिकार है अपने प्राइवेट रिलीजन को प्रोफेस करने का। उसमें सरकार कोई दस्तन्दाजी नहीं करेगी। इस दृष्टि से नाथद्वारा मंदिर के मामले में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना कतई वाजिब नहीं है। नाथद्वारा मंदिर एक हवेली के रूप में है। तिलकायतजी महाराज की प्राइवेट प्रोपर्टी है उसमें हस्तक्षेप करना कतई उचित नहीं है।

एक निवेदन यह है कि वल्लभ सम्प्रदाय में तिलकायतजी ही सेवक हैं, यह सब ही जानते हैं। उनको भगवान् के रूप में माना जाता है श्रीमद्भागवत में लिखा है आचार्यम् भागवत जानयेत आचार्य को भगवान जानो। वल्लभ सम्प्रदाय के आचार्य तिलकायतजी महाराज हैं। उनकी इस तरह से एक्ज़ॉल्टेड पोजिशन है। सामवेद में गुरू के लिये कहा "वयोवेक्यम। गुरू में वय का कोई फर्क नहीं है। तिलकायतजी को प्रेसिडेन्ट बनाया गया। दूसरे वाइस प्रेसिडेन्ट की नियुक्ति कर दी गयी। वह उनकी एक्ज़ॉल्टेड पोजिशन के बराबर नहीं है। सरकार को यह इसमें से डिलीट कर देना चाहिये। कुल अधिकार तिलकायतजी महाराज के हाथ में रखने चाहिये।

एक निवेदन और कर दूं कि अभी नाथद्वारा में एक जलसा हुआ। श्री तिलकायतजी महाराज वापिस पधारे थे। अर्से से नाथद्वारा के बाहर थे और वापिस आने पर उनका एक धार्मिक वेलकम किया जाना चाहिये था, धार्मिक रूप से, लेकिन इसको

(श्री मानधातासिंह)

एक पोलिटिकल रूप दिया गया और कई मिनिस्टर वगैरह वहां पर पहुंचे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उनका स्वागत नाथद्वारा के नागरिकों ने किया था। न तो उसका धार्मिक स्वरूप था और न हीं राजनैतिक स्वरूप।

श्री मानधातासिंह : जो लोग तिलकायतजी महाराज में श्रद्धा रखते हैं उनको ही बुलाया जाना चाहिये था, केवल वैष्णवों को ही बुलाया जाना चाहिये था। लेकिन उसको एक पोलिटिकल रूप देना, मिनिस्टरों को बुलाना, सौदे बाजी करना, कतई उचित नहीं था।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कोई सौदेबाजी का सवाल नहीं था।

श्री कौसरसिंह बाबेल : आप ही चाह रहे थे।

श्री मानधातासिंह : पहले प्राइवेट मेम्बर्स बिल आया था उसी रूप में आया है तो उसको ही मंजूर करना चाहिये इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है। अब अधिक निवेदन नहीं करते हुए यह निवेदन करूंगा कि सरकार के देवस्थान डिपार्टमेंट का इन्चार्ज भी ऐसा ही शख्स होना चाहिये जो धर्म में विश्वास रखता हो। परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके जो मिनिस्टर इन चार्ज हैं उनको धर्म में कोई श्रद्धा नहीं है। उनके प्रति ऐसे लान्छन लगाये गये हैं जो कि अन्य मंत्रियों के विषय में नहीं लगाये गये। विजिलेन्स कमीशन में जो हलफनामा प्रस्तुत किया गया है उसका कुछ भाग में पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री मानधातासिंह : इसका सम्बन्ध देवस्थान से है। ऐसे मंत्री के द्वारा यह इन्ट्रोड्यूस नहीं होना चाहिये × × ×

श्री उपाध्यक्ष : Then I would be required to expunge them.

श्री मानधातासिंह : अगर उपाध्यक्ष महोदय, इसको पढने की अनुमति नहीं देते हैं तो मैं इसको सदन की मेज पर रख देता हूं।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि यह डिपार्टमेंन्ट ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिनके विरुद्ध विजीलेन्स कमीशन के सामने आचरणहीनता के इल्जाम हैं, कई स्त्रियों के साथ बुरे काम करने के बारे में इल्जाम हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल राज्य सरकार की तरफ से नाथद्वारा मन्दिर के लिये रखा गया है मैं उसका स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूं, इस बिल को लाना बहुत आवश्यक था। इस बिल को लाकर उस आवश्यकता की पूर्ति की गई है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सवाल है उसको देखते हुए जहां वैष्णवों में असन्तोष था उसको देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक था। गवर्नमेंन्ट ने इस बिल के इन्ट्रोडयूस करने के दो कारण बताये–सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में पुष्टिमार्गीय वैष्णवों ने मुद्दे उठाये उनमें जो असन्तोष था उसको

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री विजयसिंह झाला)

रिप्रेजेन्टेशन के रूप में तारों के रूप में गवर्नमेन्ट के समक्ष रखा। उसी के कारण सरकार द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। इन सब बातों को देखते हुए इस प्रकार का बिल लाया जाना बहुत आवश्यक था।

जहां तक सुप्रीम कोर्ट के ओबजरवेशन का सवाल है उसमें यह है कि महाराज श्री का धार्मिक अधिकारों पर पूर्ण कन्ट्रोल होना चाहिये जितने भी रिलीजियस मेटर्स हों उनमें सुप्रीमेसी महाराज श्री की होगी। और दूसरे सीकुलर मेटर्स होंगे वे टेम्पल बोर्ड के अधीन होंगे। मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बोर्ड के अधिकार में होने चाहिये इसमें केवल महाराज श्री को अधिकार नहीं होना चाहिये। ऐसी स्थिति में पुराने बिल में जिसके अनुसार रिलीजियस मेटर्स में टेम्पल बोर्ड को अधिकृत कर सकते थे मौजूदा बिल में उस सम्बन्धी रेस्ट्रिक्शन लगाये गये है महाराज श्री की सुप्रीमेसी होगी सीकुलर मेटर्स में टेम्पल बोर्ड को अधिकार होगा मैं इस व्यवस्था का स्वागत् करता हूँ। इसके साथ साथ सुप्रीमकोर्ट के फैसले में पुष्टी मार्गीय वैष्णवों की माँग के अनुसार महाराज श्री को टेम्पल कोर्ड का पदेन सदस्य बना देना चाहिये। इस बिल के अनुसार पदेन अध्यक्ष बनाया गया है उसका मैं स्वागत् करता हूं। इससे पहले केवल सदस्य रह सकते थे उनको हटाया जा सकता था। मैं समझता हूँ गोस्वामी होने के नाते पूर्णतया अध्यक्ष बनाने का प्रावधान किया गया है इसका मैं स्वागत् करता हूं।

इसके साथ साथ एक्जीक्युटिव कमेटी जो बनायी गयी है उस एक्जीक्युटिव कमेटी का विशेष महत्व नहीं। जो कोई प्रस्ताव बोर्ड में पास होता है उसको एक्जीक्यूट करने वाली कमेटी होगी उसके पॉवर कमेटी को दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में एक्जीक्यूटिव ऑफिसर को जो पॉवर होते है वह एक्जीक्यूटिव कमेटी को दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में चाहे गवर्नमेन्ट द्वारा नियुक्त हो या अन्य के द्वारा हो एक्जीक्यूटिव कमेटी किसी प्रकार भी महाराज श्री के पॉवर्स में आघात नहीं करेगी, इस प्रकार की बात नहीं। इस तरह से एक्जीक्यूटिव कमेटी की जो बात कही गई है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं देवस्थान मंत्रीजी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूँ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ओबजरवेशन्स हैं उसके अनुसार इस एक्ट में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं–भविष्य में रूल्स बनाने का ख्याल रखना चाहिये कि जो सदस्य टेम्पल बोर्ड के हैं उनके लिये पुष्टि मार्गीय सम्प्रदाय के मानने वाले सम्प्रदाय के ही हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह था कि हिन्दू होने के साथ साथ पुष्टि मार्गीय सम्प्रदाय का मानने वाला होना चाहिये। इसी के साथ में इस प्रकार का प्रावधान हो जाता तो ठीक रहता। भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायगा। रूल्स में इस प्रकार का प्रावधान कर देंगे "आ" शब्द जो प्रयोग किया गया उसका मतलब "औ एन्ड" है। हिन्दू होना चाहिये और वह भी पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय को मानने वाला होना चाहिये।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा में अभी जो फंक्शन हुआ उसको पोलिटिकल फंकशन

(श्री विजयसिंह भाला)

की संज्ञा दी गई उसका मैं विरोध करता हूँ। उसमें सबको आमन्त्रित किया था और जो जो भी आये उनका स्वागत् किया गया। महाराज श्री के नाथद्वारा आने के बाद में नाथद्वारा नगर का विकास हुआ है। १५ अक्टूबर १९५५ में महाराज श्री ने नाथद्वारा छोड़ा था। उनके जाने के बाद नाथद्वारा का पूरी तौर से निर्माण रुक गया था। नाथद्वारा के निर्माण में गवर्नमेन्ट का सहयोग नहीं रहा। पुष्टिमार्गीय वैष्णव सम्प्रदाय के लोगों का उसके निर्माण में पूरा योग रहा है। महाराज श्री के नहीं रहने की वजह से बाहर के लोग जो आते थे उनका आना कम होगया था। ऐसी स्थिति में वहां का आर्थिक ढांचा बिगड़ गया था। नाथद्वारा का विकास नाथद्वारा मन्दिर से सम्बन्धित है उसमें एक प्रकार की कमी आयी है। अब इस विधेयक द्वारा महाराज श्री के पदार्पण के बाद उसका विकास होना फिर से प्रारम्भ होगया है। उसके सम्बन्ध में मैं उदाहरण दूं तारीख ३० को नाथद्वारा में महाराज श्री पधारे उस समय विभिन्न स्थानों पर रहने वाले पुष्टिमार्गीय वैष्णव लोगों ने यह एलान किया कि एक करोड़ रुपया नाथद्वारा नगर में संस्कृत विश्व विद्यालय बनाने के लिये देंगे। इस प्रकार भविष्य में यह विश्वास करके चलते हैं नाथद्वारा नगर का विकास महाराज श्री में इस प्रकार विश्वास रखने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा होगा। आपने उन लोगों के असन्तोष को मिटाने के लिये जनता की मांग को स्वीकार करते हुए यह बिल लाये हैं उसका हम स्वागत् करते हैं। आशा करता हूँ यह बिल अनकण्ट्रोवर्सियल है इसको तुरन्त पास करेंगे।

श्री **दामोदरलाल व्यास** (देवस्थान मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में जो बहस हुई उसको देखते हुए इस सम्बन्ध में ज्यादा समय लेना उचित नहीं होगा। कुछ खास मुद्दों को ही मैं लूंगा। तिलकायतजी महाराज को जो मुखिया के पॉवर्स दिये, डिसक्रीशनरी पॉवर्स दिये हैं उससे बोर्ड के पॉवर्स में कन्ट्राडिक्शन हैं। इसकी वजह से बोर्ड के मेम्बरों में और तिलकायतजी में आपस में परस्पर विवाद हो सकता है। इसमें परस्पर विवाद होने का सवाल नहीं। दोनों के फंक्शन्स एक दूसरे से सेपरेट हैं।

सेवा पूजा सम्बन्धी धार्मिक सेरीमनी सम्बन्धी फेस्टीवल सम्बन्धी जितने भी मामले हैं उनका ताल्लुक गोस्वामीजी से है।

और जो सीकुलर फंक्शन्स ऑफ दी टेम्पल होंगे प्रोपरटी आदि का मेनेजमेन्ट आदि सब बोर्ड के अधिकार में होगा। रहा सवाल सेवा पूजा आदि का उसके बारे में एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेम्बरों में और तिलकायतजी में डिसप्यूट हो सकता है यह जो उनका एप्रीहेन्शन है वह ठीक नहीं है। जो कमेटी बनेगी वह डे टू डे वर्क को देख सकेगी ऑर्डर्स देगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। बोर्ड तो हर वक्त मिल नहीं सकता। बोर्ड तो पोलिसी ले डाउन करेगा मेजर पोइन्ट के सम्बन्ध में अपने फैसले देगा। वर्किंग कमेटी में नोमीनेशन के गवर्नमेन्ट ने इसी लिये पॉवर्स लिये हैं कि बोर्ड में शुरू में ही ऐसे एलीमेन्ट इलेक्शन के न आने पाये जिसमें आपस में द्वेष भाव पैदा हो। मिल जुलकर एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे इसलिये नोमीनेशन के पावर्स गवर्नमेन्ट ने अपने हाथ में लिये हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि गैर सरकारी बिल आया था उसी को स्वीकार कर लेना चाहिये था। मैं अर्ज करूंगा आप उस बिल को देखें और इस बिल को भी देखें आपको पता चलेगा कि वह बिल किसी भी तरह से मुकम्मिल नहीं था जो स्वीकार किया जा सकता हो।

अब रहा सवाल इस बात का कि इसको लाने की आवश्यकता क्यों पैदा हुई। वह सबको मालूम है कि नाथद्वारा का इतिहास क्या है? नये सिरे से उस इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं।

पर यह सही है कि गोस्वामी जी आ गए तो पुष्टिमार्गीय लोग सन्तुष्ट हो गये जो चाहते थे कि वे वापिस नाथद्वारा आवें। और उनका ख्याल है, जैसा कि भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय में सेवा पूजा का सम्बन्ध सीधा गोस्वामी जी से है। उनकी आज्ञा से ही वह हो सकता है। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि सेवा सम्बन्धी जितने कर्मचारी हैं वे एक्सक्लूजिवली गोस्वामी जी के कन्ट्रोल में रहें। इसलिए भीतरी मुखियाजी और दूसरे जिनका सम्बन्ध सेवा-पूजा से है उन पर एक्सक्लूजिवली कन्ट्रोल उनका रखा है। यह व्यवस्था पुष्टीमार्गीय लोगों के अनुकूल ही है।

इस बारे में बहुत सा सुप्रीम कोर्ट में डिसकशन हुआ था। कमिटमेंट भी हुए हैं। गोस्वामी जी को चैयरमेन बनाने की बात हुई है। तो वहां के उस डिसकशन को आधार लेकर आम वैष्णव लोग हिन्दुस्तान के हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुष्टीमार्गीय टीनेन्ट की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए उनको सन्तोष हो, सेवा-पूजा का इन्तजाम हो, प्रोपर्टी में गड़बड़ी न हो। इन सब बातों का ध्यान रख कर यह बिल लाया गया है।

मैं समझता हूँ कि इसमें यह भावना कतई नहीं है कि चूंकि गैर सरकारी बिल था इसलिए मन्जूर नहीं किया। पर वह मुकम्मिल नहीं था किसी हालत में। आखिर इसका फैसला करने में भी समय लगा। टेम्पल बोर्ड की मन्जूरी से चलना पड़ा, उसके मेम्बरों से भी बात करनी पड़ी, तिलकायतजी से बात करनी पड़ी। सदन के सदस्यों से भी बात करनी पड़ी। तब फैसले पर आये। इसलिए किसी मोटिव इम्प्यूट करने की आवश्यकता नजर नहीं आती।

श्री चौसरसिंह बावेल : जल्दी पास करिये न आप तो। ज्यादा क्यों बोलते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य जब बहुत जल्दी की बात कह रहे हैं तो सदन का समय न लेकर जिन्होंने अमेन्डमेंट पेश किए हैं उनको विथड्रा करने के लिए निवेदन करके इस बिल को पास करने की प्रार्थना करता हूँ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : मैं वापिस लेता हूँ।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द) : मैं भी वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री मानधातासिंह।

श्री मानधातासिह : कमीशन में उनके विरुद्ध हलफनामा प्रस्तुत हुआ उसके ऊपर प्रकाश डालें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री मानधातासिह ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

नाथ द्वारा मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ पारित हुआ।

(विराम)

नैक्स्ट।

(३.३४ म. प.)

उदयपुर विश्वविद्यालय संशोधन)

विधेयक, १९६६

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

मैं इस प्रस्ताव को रखने के साथ माननीय सदस्यों को दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

विश्व विद्यालय उदयपुर का जो अलग इस सदन के द्वारा बनाया हुआ कानून है उसमें एक छोटा सा संशोधन इस विधेयक के जरिये प्रस्तुत किया मैं।

इसकी मशा वही है जो सदन की हमेशा से रही है सदन का इस बात पर जोर रहा है कि हमें सहकारिता के स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिये और सहकारिता के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिये फाइनेन्स की जरूरत है।

इस धारा के जरिये मैंने जो संशोधन कानून पेश किया वह यह है कि विश्वविद्यालय उदयपुर को इस बात की छूट हो कि जो अब तक कानून में पाबन्दी थी कि वह अपना अकाउन्ट यानि लिक्विड फण्ड जो सिर्फ शिड्यूल बैंक में रख सकते थे वे अपने उस फण्ड को चाहें तो कोआपरेटिव स्ट्रक्चर के अपेक्ष बैंक या सेन्ट्रल बैंक में लिक्विड फण्ड के रूप में डिपोजिट के रूप में रख सकें।

Page No. 98

(श्री नाथूराम मिर्धा)

मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा विवाद का विषय हो नहीं सकता क्योंकि इस सदन की यह मन्शा है कि सहकारिता के ढाचे को बढावा दिया जावें और सहकारिता के ढांचे को बढावा देने के पूंजी जो हम सहकारिता के नीचे रखते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बढोतरी हो यह इस संशोधन से हो सकता है। इसलिये इसमें जो सुझाव जनमत जानने के लिये या प्रवर समिति के लिये आया है मैं चाहता था कि बहस लम्बी करने की आवश्यकता नहीं है बिवकुल छोटा सा सुझाव है और इस सदन की नीति से मेल खाता हुआ है। इसलिये इस पर ज्यादा सदन का समय मैं नहीं लूंगा। यह सोचा था कि शुरु में स्कोप के बारेमें स्पष्टिकरण कर दूं तो शायद है ज्यादा बहस न हो और सदन तुरन्त ही इसे पास करदे। इसलिये ये चन्द शब्द मैने कहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

(इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

(१) **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) :

(२) **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसींद) :

(३) **श्री सम्पतिलालबोहरा** (मावली) :

(४) **श्री राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) :

(५) श्री **मानसिंह महार** (आमेर) :

(६) **श्री जयकृष्ण शर्मा** (थानागाजी):

(७) श्री **विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा):

(८) **श्री कोसरसिंह बाबेल** (बैंगू) :

१. उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६६ को तीन माह। एक माह। तीन माह। एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

१) **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) :

(२) **श्री गोविन्दसिंह** (पिडावा) :

२. "उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १६६६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन तीन दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"]

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल व्यास।

आप बोलेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींन्द) : जी हाँ। दूसरे बोलेंगे तो जरूर बोलूंगा,

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : वे नहीं बोलेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नहीं बोलेंगे तो बन्द करता हूँ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : जरूर बोलूंगा साहब।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वे बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पांच-पांच मिनट, जिनके संशोधन आये हैं, वे बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय........ अच्छा पांच मिनट हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दस मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट तै हुए है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अच्छा साहब, पांच मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा स्पष्टीकरण देते हुए इस विधेयक को पारित करने के लिये सदन को कहा गया है और जिस भावना ने प्रेरित होकर यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है तो मैं मन्त्री महोदय से एक बात यह पूछना चाहता हूँ कि अगर आप सहकारिता के क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो राजकीय कोष को भी इसमें क्यों नहीं जमा कराते ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न इस वजह से उठता है कि इस पर पहले रोक थी, हमने उसको हटाया है। हम विश्व विद्यालय वालों को भी कोई मजबूर नहीं कर रहे हैं कि वे इसमें जमा करावें ही। उनकी भी इच्छा थी कि यह रोक हट जाय। तो हमने ऐसा किया है। दूसरी जो नगरपालिकाएं हैं, पंचायतें हैं, उनमें भी यह आपशन दिया हुआ है कानून में। तो ऐसा ही इनके लिये किया है। इससे अधिक कुछ नहीं है। अब सरकार के पास जितने साधन हैं और रकम है वह यथा साध्य इनमें रखती ही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं तो यह कह रहा हूं कि जो ओटोनोमस बॉडी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, रोडवेज है और दूसरे सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं अगर वे भी अपना पैसा कोऑपरेटिव बैंकों में जमा करा दें तो कोऑपरेटिव का ज्यादा विस्तार हो सकता है और उनका काम अच्छा चल सकता है।

पर जहां तक मेरी जानकारी है जो भी सरकार से पैसा लेने वाली संस्थाएं हैं वे ट्रेजरी से ताल्लुक रखती हैं और जब वे ट्रेजरी से ताल्लुक रखती हैं तो उन्हीं बैंक्स में इनका पैसा जमा हो सकता है जिसको कि गवर्नमेंट ट्रेजरी का काम सुपुर्द करे। इस वजह से यह अमेंडमेंट मेरे ख्याल से ठीक प्रतीत नहीं होता। हालांकि मैं यह नहीं कहता कि कोऑपरेटिव बैंक्स को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए या कोऑपरेटिव बैंक्स को उसकी वजह से कोई नुकसान होगा। हम सभी चाहते हैं कि कोऑपरेटिव को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले लेकिन इन तरीकों को एडॉप्ट करके अगर सहकारिता के क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं तो वह ठीक नहीं जंचेगा। सहकारिता के क्षेत्र को बढ़ाना है तो आपका सहकारिता के क्षेत्र में ही ज्यादा से ज्यादा काम करके उसका विकास करना होगा न कि विश्वविद्यालय के अकाउन्ट्स को उनके बैंक्स में जमा करके सहकारिता के क्षेत्र को प्रोत्साहन दे सकते हैं। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है—क्योंकि यह शिक्षा से ताल्लुक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

रखता है बिल, तो शिक्षा के सम्बन्ध में भी मैं निवेदन कर दूं कि आज जिस प्रकार की यूनीवर्सिटी के अन्दर व्यवस्था है.......

श्री उपाध्यक्ष : It is beyond the scope of the Bill.

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो कुछ तो कहना पड़ेगा शिक्षा के लिए, क्योंकि यह यूनीवर्सिटी का सवाल है और यह बिल यूनीवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो जमा कराने वाली बात है, उसके बारे में कहना हो तो कह दें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : जब हमने प्रस्ताव रखा है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये तो इस बिल के बारे में तो बोलेंगे ही।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जैसी रूलिंग आपने मेरे लिए दी है, वही फिर दूसरों के साथ भी लागू होनी चाहिए।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, जब यूनीवर्सिटी बिल के ऊपर बोल रहे हैं तो उसमें जो गड़बड़ी है, घोटाले हैं तो उनको प्रकाश में तो लाना ही पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पांच–सात मिनट में समाप्त कर दें लेकिन रिलेवेन्सी के बारे में जरूर ध्यान रखें।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : हमारा कहने का मतलब यह है कि बिल अपूर्ण है और इसमें जो कमियां है वह बताना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब भारतवर्ष को आजाद हुए इतने वर्ष हो गए, राजस्थान में हमने हिन्दी को मान भी लिया है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिन्दी में ही सब काम होने चाहिये लेकिन मुझे बताते हुए आश्चर्य है कि हमारी उदयपुर यूनीवर्सिटी का सारा काम अंग्रेजी में होरहा है। जब डा० करणीसिंहजी आये तो वह अपना भाषण हिन्दी में लिखकर लाये थे, लेकिन उनको फोर्स किया गया कि वे अंग्रेजी में बोलें, और भी सभी लोग अंग्रेजी में बोले। हमारे राज्यपाल महोदय भी वहां गए थे और उनको भी कहा गया कि आप भी अंग्रेजी बोलें, लेकिन उन्होंनें उसको एग्री नहीं किया और इसलिए उन्होंने अलग से ही हिन्दी में भाषण किया। सिर्फ राज्य–पाल महोदय ने ही हिन्दी में भाषण दिया, बाकी सबने अंग्रेजी में भाषण किया। एक तरफ हमारी नीति है कि हमारे सब काम हिन्दी में हों और दूसरी तरफ यूनीवर्सिटी में सभी लोग अंग्रेजीदां हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हमारी उदयपुर यूनीवर्सिटी ने एक नोटीफिकेशन निकाल कर यह कह दिया कि कोई हिन्दी का सब्जेक्ट कम्पलसरी नहीं है और उसके नम्बर भी सब्जेक्ट में नहीं जुड़ेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था अभी की है, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप इस यूनीवर्सिटी को आगे की यूनीवर्सिटी बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हिन्दी को प्राथमिकता दी जाये और वहां पर सारे काम हिन्दी में किए जायें और सारे सब्जेक्ट्स की हिन्दी में पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। उपाध्यक्ष

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

महोदय, यही नहीं आज हमारी यूनीवर्सिटी सिर्फ ऑफिसर्स प्रड्यूस कर रही है ।

आज देश में अन्न संकट है और आवश्यकता इस बात की है कि हम किसान पैदा करें । उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जो फार्म पर काम करते हैं, अच्छा हो वे किसानों के घर जायें और किसानों के खेतों पर जायें और वहां उनको किसानों के साथ में ट्रेनिंग दी जाये । यह उनके खेतों पर काम करे और उनको बतायें कि किस प्रकार का प्रोग्राम दिया जा सकता है, किस तरह से खेती की तरक्की जा सकती है । ये विद्यार्थी किसानों के घर रहकर काम करेंगे तो इसमें दोनों को लाभ होगा हमें आज अच्छे किसानों की आवश्यकता है । यहीं नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जो आज हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो विद्यार्थी पैदा कर रहे है वह बहुत कम हैं । आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान जो खेती करता है, जो उपज करता है उसको जल्दी से जल्दी थोड़े से समय के अन्दर किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा सकती है इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए और किसानों में सामूहिक ट्रेनिंग या गांव गांव में जाकर, किसानों के खेतों पर जाकर डवेलपमेन्ट की स्कीम बताई जाये और काम किया जाये—इस प्रकार की व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए । जब तक यह नहीं होगा हमारी शिक्षा का जो कार्यक्रम है वह सफल नहीं हो सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हमारी युनीवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन कितना खराब हो गया है । एक विद्यार्थी जो एन० सी० सी० की लड़की थी उसको जब कि यूनीवर्सिटी का कानून है....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि सब्जेक्ट के बाहर न जायें ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं मन्त्री जी को बता रहा हूँ । जब एडमीशन उसका नहीं हो सकता था, उसको एडमीशन अक्टूबर में दिया गया और उसके बाद जब मालूम हुआ कि वह लड़की फर्स्ट ईयर पास नहीं थी तो भी उसको सैकिण्ड ईयर में एडमिशन दिया गया....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि यहां की परम्परायें अपन ही बनाने वाले है अगर हम रिलेवेन्सी सब्जेक्ट पर रखेंगे तो तथ्यातथ्य बिलकुल सामने आकर उसके ऊपर अंश-आउट हो सकते हैं । यह तो एक तरह से बजट डिबेट हो गई या फिर जैसे एजूकेशन की डिमाण्ड पर डिस्कशन होता है उस तरह का हो गया । लेकिन इस बिल के अन्दर इतना सरसरी तौर पर कह दें कि यह बिल इतना ही नहीं आना चाहिए था । लेकिन आप सारी यूनीवर्सिटी की पॉलिसी के ऊपर नहीं जा सकते ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : i will finish it within three minutes तो इस प्रकार से वहाँ पर पार्शियलिटी होती है । उस लड़की का फर्स्टईयर का और सैकण्ड-ईयर का दोनों का इम्तिहान एक साथ ही ले लिया ।....

श्री उपाध्यक्ष : सबसे मोटी मुश्किल तो यह है कि स्कोप के बाहर बहस कर रहे हैं । आप कुछ मुद्दे उठाते हैं जिनकी तुरन्त जान-

(श्री उपाध्यक्ष)

कारी माननीय मन्त्री महोदय को नहीं हो सकती ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मुद्दा उठायेंगे तो मुझे उसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जायेगा ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : दो मिनट में

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी हालत पर तो आप विचार करो ।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Minister will not be able to do justice to it.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जानकारी नहीं कर सकता । मैं आपको उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता । एक तरफ आप कहे तो उसका असर नहीं होता ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अगर जवाब नहीं मिले तो कोई बात नहीं है लेकिन आप को बातों की जानकारी तो हो जायेगी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मुझे पहले ही जानकारी दे सकते थे मैं तो यहाँ ही बैठा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : you will be restricted.

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात बताना चाहता हूँ कि वहां पर जो गर्ल्स कालेज है होम साइन्स का उसके बारे में यूनीवर्सिटी ने दो कमेटियां बैठाई थीं । पहली कमेटी ने साधारणतया उस कॉलेज को मान लिया दूसरी कमेटी ने मान लिया लेकिन उस कॉलिज़ को यूनीवर्सिटी अपने में नहीं ले रही है और यह सोच रही है कि एक नया कॉलेज खोला जाये । आज होम साइन्स के लिए जबकि लड़कियां नहीं मिलतीं और स्टाफ नहीं मिलता तो यह वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर को समाप्त किया जाये और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बिल लाया गया है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि इससे कोई खास नुकसान नहीं हैं तो फायदा भी नहीं है लेकिन इस बिल को लाने के पहले सारी बातों को देखा जाता और यूनीवर्सिटी में जो कमियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाती तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा होता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल ।

श्री चौरसिंह बावेल (बैंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक हमारे सामने है उसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये....

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल के लिए कहा है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पहले आप को बोल लेने दिया जाये । मैं इनके बाद बोलूंगा ।

श्री चौरसिंह बावेल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सहकारी संघों में बहुत घोटाले होते हैं और उनकी वजह से रकम को भी खतरा होता है तो मन्त्री महोदय को मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे पहले वहां के घोटालों का इन्तजाम करें । शायद बैंकों में ऐसा नही होता होगा

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

लेकिन सरकारी जगहों में तो घोटालों की बातें होती हैं और इसी तरह के मामले सदन के सामने भी आते हैं । अगर खाता नया खोलते हैं तो अच्छी बात है लेकिन यह बिल क्यों लाया गया है इसका कोई कारण नहीं बताया है । तो इसकी आवश्यकता तो ठीक है और बिना आवश्यकता के लाया गया है तो कोई खास जरूरत नहीं है कि सहकारिता को पनपाने के लिए ऐसा किया जाये और ऐसे काम होते हैं तो वह उनमें भी होते रहें तो ठीक है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का सारा काम हिंदी में होना चाहिए लेकिन मैंने देखा है कि हिन्दी के बारे में प्रेम नहीं है यहां तक कि हमारी सरकार ने समिति बनाई थी जिसमें यहां के ऑफिसर्स बहुत थे जिनके नाम बताये थे और जिनका काम था कि वह सलाह दें लेकिन वह सलाह देने तक नहीं पहुंचते । जो माननीय सदस्य ने पहले कहा मैं उसके बारे में ज्यादा लम्बा नहीं जाऊंगा और सब काम-काज हिन्दी में हो तो अच्छा है । मैं निवेदन करता हूं कि इसमें चालाकी नहीं है और खाता खोलने की बात है तो कोई ऐसी बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित है, वह वैसे तो साधारण है । लेकिन अच्छा होता कि यह इस प्रकार का नियम बनाने के सम्बन्ध में संशोधन हमारे सहकारी मन्त्री जी की ओर से आता और जितनी भी संस्थायें हैं राजस्थान में चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों या अन्य संस्थायें हों, उन लोगों के लिये छूट हो जाती कि वह अपने हिसाब कोऑपरेटिव बैंक में खोल सकते हैं । अब यह संशोधन माननीय खाद्य मन्त्रीजी की ओर से जो कि उदयपुर विश्वविद्यालय के मिनिस्टर इन्चार्ज हैं, प्रस्तुत किया गया । इसलिए एक सोचने की बात बन गई है कि जो कुछ बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया है वह आया इस विश्वविद्यालय के हित में या सहकारी आन्दोलन के हित में है । यदि विश्वविद्यालय अपना आर्थिक काम जो जिस बैंक से करता आया है उससे अगर ज्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं; विश्वविद्यालय के लिए या जो खाद्य मंत्रीजी हैं उनके लिए यह गौण बात है कि वह अपना हिसाब कहां रखें । अगर जिस बैंक से चाहे वह स्टेट बैंक हो, राजस्थान बैंक हो या और कोई बैंक हो, उसमें अगर कोई हिसाब रखने में गड़बड़ की बात है और उससे विश्वविद्यालय सुचारु रूप से नहीं चल सकता है तो ऐसी व्यवस्था हमारे कृषि मंत्रीजी को करनी चाहिये थी । लेकिन अगर ऐसी कोई शंका वहां विश्वविद्यालय में प्रकट नहीं की गई और उनको किसी प्रकार की आशंका नहीं है कि उनके हिसाब के अन्दर कोई गड़बड़ होगी तो उनको इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिये था । यह ध्यान सहकारिता के प्रसार के लिए, सहकारिता मन्त्रीजी को अगर आवश्यकता होती तो वह इस ओर ध्यान देते और वह सभी संस्थाओं को एक प्रकार का समान रूप देने की बात होती ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सहकारिता आन्दोलन को प्रसारित करने का सम्बन्ध है,

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

हम उसको अच्छा समझते हैं और उसके लिए विश्वविद्यालय की बचत का रुपया काम में आ सके तो इसका तो स्वागत ही करते हैं। जहां ऐसा नहीं है, उन सहकारी बैंकों में जो रुपया जमा कराया जावे वहां अव्यवस्था हो और यूनिवर्सिटी को रुपया प्राप्त न हो सके, या जिस तरह से बैंक डेट्स और ओवर ड्राफ्ट चलते हैं उसमें उस बैंक की स्थिति खराब हो, बैंक उसको अच्छी तरह से डील नहीं कर सके और इससे यूनिवर्सिटी के आवश्यक काम में विपरीत असर पड़ता हो तो इस पर विचार किया जा सकता है और इन बातों की सम्भावनाओं पर भी विचार करके चलना चाहिए। इसलिए यह बिल वैसे महत्वपूर्ण न होते हुए भी जिस दृष्टिकोण से यह विधेयक लाया गया है उस पर जरा शंका होती है और इसलिए इस पर और इसके साथ ही दूसरी अन्य बातों पर विचार करने के लिए यदि यह बिल जनमत जानने के लिए प्रसारित कर दिया जावे तो अच्छा ही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही जो बिल जिस रूप में आया है उसके साथ जो आवश्यक बातें हैं उनको भी अगर माननीय मंत्रीजी इस बिल में शामिल कर सकें तो ज्यादा उत्तम हो। हमारा देश और हमारा राज्य कृषि–प्रधान है और हमारे कृषि मंत्रीजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि राजस्थान के अन्दर खाद्यान्न का उत्पादन जितना हो रहा हैं उससे दुगुना उत्पादन जल्दी से जल्दी करने का प्रयत्न करें। वह इस बात में प्रयत्नशील भी हैं लेकिन जिस तेजी से और सतर्कता से यह काम होना चाहिए उसमें शायद कमी अवश्य है। या तो विभागीय अधिकारियों का आलस्य है या अन्य किसी प्रकार से····

श्री सम्पतिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

(समय ३.५६ म. प.)

(गण-पूरक घण्टी के पश्चात् :)

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है उसमें बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जो विकास विभाग द्वारा पंचायत समितियों के द्वारा खेती का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है और इसमें कृषि विभाग की ओर से जो कुछ भी किया है वह उतना संतोषप्रद नहीं है जितना कि होना चाहिए। इसका कारण यह है कि जो उन लोगों में सुपरवाईजर स्टाफ है उसका काम असतर्कता का रहा है। वह अपने टार्गेट्स चाहें रिपोर्टों में, कागजों पर पूरा करलें मगर मौके के स्थान पर पूरे नहीं हो रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी खेती करने वाले हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को जो नए विकसित ढंग हैं खेती के उनकी शिक्षा दें और उनमें उनको प्रवीण करें जिससे वे अपने खेतों में अच्छी उपज पैदा कर सकें, अधिक अन्न उत्पादन कर सकें। लेकिन विश्वविद्यालय जो कि एक सीमित संख्या में छात्रों को शिक्षा देते हैं उससे हमारा हमारा यह लक्ष्य पूरा होना सम्भव नही है। इसके साथ ही जो उन लोगों की भावना निर्माण हो जाती है कि वहां से डिग्री पास

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

करके निकल जावें और उनको कहीं पर सर्विस मिल जाय और उस सर्विस के द्वारा वे केवल उसी प्रकार के वातावरण में रहना पसन्द करते हैं जो अभी तक बना हुआ है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वे अपने आपको राज्य के अन्दर अन्न-उत्पादन बढ़ाने में अपने आपको खपा दें और उसके लिए आवश्यक है कि उनका मानस इस प्रकार का बने कि वे खेती के उत्पादन में अपने आपको इतना योग्य और व्यवहारिक बना लें और वहां की जो जमीन है, वहां की मिट्टी है उसकी हालत को पूरी तरह से समझने लगे, उसकी उपज बढ़ाने में किन किन बातों की आवश्यकता है, उनका विश्लेषण कर सकें और व्यवहारिक ज्ञान भी उनको हो और उस व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर काश्त की वृद्धि कर सकें। लेकिन आज होता क्या है कि केवल उनको थ्योरिटिकल ट्रेनिंग दी जाती है, प्रेक्टिकल ट्रेनिंग उनकी नहीं होती और इसलिए आवश्यक है कि उनको जगह जगह पर तहसील हैडक्वार्टर पर, डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। केवल ट्रेनिंग देकर ही समाप्त नहीं कर देना चाहिए बल्कि उनको किसानों के साथ जॉइन्ट करके, उनका परस्पर सहयोग प्राप्त करके उनको दिखाना आवश्यक बनाना चाहिए कि जिस खेत में पहले जितना उत्पादन होता था उससे डेढ़ा, सवाया उत्पादन अपने परिश्रम से, अपनी जो कुछ जानकारी है उसके आधार पर प्राप्त किया है। इस तरह से जब वे अपना जो कुछ अनुभव, जो कुछ भी ज्ञान यूनिवर्सिटी में प्राप्त किया है उसको खेतों पर जाकर दिखायें तो उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। इस प्रकार से केवल यूनिवर्सिटी के छात्रों को यह थ्योरिटिकल शिक्षा और साधारण प्रेक्टिकल की शिक्षा देकर जो अपना टार्गेट है उत्पादन बढ़ाने को, उनको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए उनको व्यवहारिक ज्ञान देकर और उस व्यवहारिक ज्ञान को कार्य रूप में परिणित करने का और उसका परिणाम दिखाने के लिए मौका देने की व्यवस्था करनी चाहिए, और जिस तरह से इंजीनियरिंग की क्लासेज की शिक्षा देते हैं और उसमें पोलिटेक्निक क्लासेज़ चलाते हैं, उसमें छोटी शिक्षा देते हैं उसी प्रकार राज्य सरकार को इस विश्व-विद्यालय कानून में अमेंडमेट के द्वारा इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिए कि छोटे-छोटे स्थानों पर, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल हैडक्वार्टर्स पर कृषि की ऐसी शिक्षा देने की व्यवस्था यूनिवर्सिटी के एग्जमिनेशन्स के द्वारा और प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के द्वारा हो ताकि अधिक से अधिक जो किसान लोग हैं, उनके बच्चे हैं उनको काश्त की शिक्षा दी जा सके और उनको व्यवहारिक शिक्षा दी जाय। और जैसे गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, दो-तीन महीने की जो छुट्टियां होती हैं, उसमें यह अनिवार्य कर दिया जाय कि वह आषाढ़-श्रावण में जब भी आवश्यकता हो खेतों पर जाकर वहां अपने ज्ञान को कार्य रूप में परिणत करके दिखावें और उसके परिणामों के द्वारा यह जनता को दिखा सकें कि जो लोग इस विश्वविद्यालय में शिक्षा पा रहे हैं वे विश्वविद्यालय के छात्र कृषि-उत्पादन में महत्वपूर्ण योग दे रहे हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था यह जो संशोधन विधेयक जिस रूप में लाया गया है वह

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

अपूर्ण है और माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अधिक जनता के भी जानकारी प्राप्त करना चाहें तो इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित करने की सहमति उन्हें दे देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री जयकृष्ण !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसिंह !

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट लाया गया है इसका तो मैं स्वागत करता हूं। परन्तु कृषि मंत्रीजी को निवेदन करना यह है कि राजस्थान में दो विश्वविद्यालय और हैं, एक राजस्थान विश्वविद्यालय और एक जोधपुर विश्वविद्यालय और हैं इनके लिए भी हम अमेंडमेंट ला सकते हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि सहकारिता का जो काम हैं वह हमारे हित में है। यह जो प्रस्ताव लाया गया है वह भी हमारे हित में है लेकिन अभी दो विश्वविद्यालय और है जो छूट गए। इस वास्ते मैं कृषि मंत्रीजी को निवेदन करूंगा और अब तो वे केवल कृषि मंत्री ही नहीं हैं वे डिप्टी लीडर हैं, अब अगर आप फरमायेंगे तो लो उनके मिनिस्टर इंचार्ज हैं वे भी अमेंडमेंट ला सकते हैं और इस तरह का प्रावधान इन दोनों विश्व-विद्यालयों पर भी रखना चाहिए।

(४.०० म. प.)

दूसरी बात मुझे खास तौर से निवेदन करना यह है कि जहां तक सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का प्रश्न है हमको यह खयाल रखना चाहिए कि सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक की पोजीशन ऐसी खराब न हो कि पब्लिक की धारणा खत्म हो जाये और उसमें पैसा लगाना न चाहें। एक प्रश्न झुंझुनू बैंक का है। झुंझुनू बैंक में लाखों रुपयों का एम्बेजलमेंट हुआ है। वहां की जांच हो रही है। अब वहां पर खाता-वही बन रहे हैं।

इसके बारे में मेरा एक निवेदन और है। वह छोटा सा निवेदन है कि जितना भी स्टेट ट्रेज़री का ट्रान्जेक्शन होता है अभी वह स्टेट बैंक ऑफ जयपुर एण्ड बीकानेर से होता है। अगर हम इतने प्रगतिशील होना चाहते हैं और आप सहकारी बैंकों को प्रिफरेन्स देना चाहते हैं तो मेरा खास तौर से निवेदन है कि जितने स्टेट के ट्रेजरी ट्रान्जेक्शन्स होते हैं वे सहकारी बैंकों की मारफत होने चाहिए। यह मेरा एक खास तौर से निवेदन है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा अपनी बहस में उसके जवाब में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

यह उदयपुर यूनिवर्सिटी शुरू शुरू में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रूप में हमारे राजस्थान में एक्सिस्टेन्स में आई थी। बाद में इस युनिवर्सिटी का स्वरूप बदला और उदयपुर के जितने भी शिक्षा के संस्थान हैं वह भी इस यूनिवर्सिटी के अंग बने। इस दृष्टिकोण से इसको एक जनरल युनिवर्सिटी का रूप दिया गया। पर उसके साथ-साथ यह भी मैंने जब इस सदन में विधेयक पारित किया गया था निवेदन किया था कि इस यूनिवर्सिटी का मुख्य केरेक्टर अभी भी एग्रीकल्चर और एनीमल हजबेन्ड्री का विकास रहेगा, और यह आज भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

इस यूनिवर्सिटी के खास तौर से हमारे तीन कैम्पस हैं जो एग्रीकल्चर शिक्षा से सम्बन्धित हैं—बीकानेर का वेटरनरी एण्ड एनीमल हजबेन्ड्री कालेज और जोबनेर का एग्रीकल्चर कालेज जहां कि पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज भी मौजूद हैं आज दिन और उदयपुर यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कालेज—ये तीनों मुख्य संस्थाएं हैं जो कृषि के विकास से सम्बन्धित हैं और इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हुई हैं। विरोधी पक्ष में कोटा और टोंक से आने वाले माननीय सदस्यों ने अभी इस बात पर जोर दिया कि हमारे कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसको और तेज करना चाहिए और उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, और उसके लिए यह जरूरी है कि जो कृषि की शिक्षा हम दे रहे हैं शिक्षा थ्योरिटिकल, कागजों की शिक्षा होने के बजाय ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिकल हमारे किसानों का मदद करने वाली और उत्पादन को तेज करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। उसके बारे में उन्होंने सुझाव दिया कि यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से प्रेक्टिकल फार्म्स पर ज्यादा काम करवाया जाय, और उन विद्यार्थियों का सहयोग हमारे किसानों के साथ में हो।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ भाषण यहां पर दिया, मैं सोचता हूं कि या तो उनको जानकारी नहीं होगी कि किसानों के साथ सहयोग और सम्पर्क इस यूनिवर्सिटी का ज्यादा बड़े . इस दिशा में विश्वविद्यालय खुद बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। वहां पर जो विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं पढ़ाने वाले वे लोग जो कुछ भी रिसर्च का काम करते हैं या जो कुछ भी अपने फार्म्स के ऊपर अपने हाथ से काम करते हैं, नई विधियों से उत्पादन की पर एकड़ यील्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या नई वेराईटीज़ के बीज या फर्टीलाइजर के डोजेज़ क्या हों, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी करते हैं और अपने खुद के फार्म्स पर जो अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उन परिणामों को आस-पास के किसानों को दिखाने के लिए समय समय पर सेमिनार करते हैं और उनकी जमीन पर भी व्यवस्था करते हैं। वहां पर यहां तक है कि दो सप्ताह का कोर्स और चार हफ्ते का कोर्स चलाते हैं जिसमें वहां पर आस-पास के एरिया के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं उनको बुलाते हैं और उनको नई रिसर्च और नया ज्ञान उन तक पहुंचाने की सम्पूर्ण व्यवस्था इस यूनिवर्सिटी में आज भी मौजूद है। इस विश्वविद्यालय के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

विद्यार्थी चाहे वे बीकानेर कालेज के हैं, चाहे जोबनेर कालेज के हों, चाहे उदयपुर कालेज के हैं, वे अपनी पढ़ाई के दौरान में निश्चित तौर से कुछ महीने किसानों के पास आस-पास के एरिया में जाते हैं जो कि वितरण किया हुआ है तो नम्बर के हिसाब से स्वयं जाते हैं और किसानों को नया ज्ञान उपार्जन करके उसका प्रयोग बताते हैं कि उसको किस प्रकार से करें। वे आस-पास के एरियाज़ में पहुँचते हैं।

राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रान्त है और कॉलिज में जो लड़के पढ़ते हैं उनका दायरा सम्पूर्ण राजस्थान या बहुत से जिले बनाये जायं यह बहुत पेचीदी समस्या है। उनको स्कूल में पढ़ना भी पढ़ता है और अध्ययन भी करना पड़ता है। उदयपुर कालेज के साथ हमने तीन ब्लाक्स उदयपुर के आसपास के जोड़े हैं। जोबनेर के आसपास के तीन ब्लाक्स जोबनेर कालेज के साथ में जोड़े हैं। यहां तक होता है कि अभी जोबनेर कालेज में लगभग १५–२० हजार किसान आस-पास के इकट्ठे हुए थे यह देखने के लिए कि सिंचाई के नये तरीके, बीज के नये साधन, बीज को किस तरह से नमक में भिगोकर एक खारी जमीन में किस तरह से उस बीज से उत्पादन बढ़ा सकते हैं उसमें कितनी क्षमता है और उतने ही पानी से कम से दुगना उत्पादन किया जा सकता है, ऐसी कई खास-खास बातें हैं जिनको दिखाने का आयोजन ये विश्वविद्यालय अपने कैम्पस में रखते हैं। इनका ज्ञान किसानों में फैले और वे उसका फायदा उठायें, इस प्रकार की व्यवस्था विद्यार्थियों के जरिये, शिक्षकों के जरिये, फार्मर्स को समय समय पर बुला-कर दिखाकर, उनके ट्रेनिंग कोर्स अरेन्ज करते हैं। ये सारी की सारी एक्टीविटीज़ आज भी विश्वविद्यालय से सम्पादित होती हैं। इसका बहुत बड़ा असर इस विश्वविद्या-लय की इस टेकनीक का उन इलाकों पर है। ज्यों-ज्यों साधन बढ़ते जायेंगे, इनको टीचिंग के अन्दर ज्यादा समय मिलता जायेगा, इनकी एक्स्टेन्शन सर्विसेज़ को और ज्यादा इलाकों पर व्यापक करने के लिए हमेशा से विश्वविद्यालय इस विषय में सोचता रहता है। और जैसा कि आपने कहा कि वह एक ऑटोनॉमस बॉडी है वह स्वयं निर्णय करती है। एक बोर्ड उसका बना हुआ है, जो बोर्ड इस बात को बैठकर समय समय पर सोचता है। एग्रीकलचर प्रोडक्शन में युनिवर्सिटी का ज्यादे से ज्यादा सहयोग हो, इसके लिए स्वयं भी विचार करता है। उस बोर्ड में एग्रीकल-चर डिपार्टमेंट वगैरह के और दूसरे राज्य सरकार के कई लोग हैं वे भी समय-समय पर इन बातों के बारे में विचार करते हैं और कुछ फैसले करते हैं जिनके जरिये हमेशा हमारा आगे की तरफ कदम बढ़ता जाता है।

जहां तक आपने इस विश्वविद्यालय की दूसरी दो-तीन छोटी-छोटी बातों के बारे में जिक्र किया है—हिन्दी और भरती होने के बारे में किया है तो उसके बारे में मुझे जान-कारी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय एक ऑटोनॉमस बॉडी है। उसके बारे में मीटिंग होती है तो मैं भी बोर्ड का एक मेम्बर हूं, और कई दफा मीटिंग में जा नहीं सकता, पर जो कुछ भी मिनिट्स हमारे पास आते हैं तो ऐसे निर्णय हमारे सामने नहीं आये जिसके बारे में कहा गया है। ..

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : आप जांच करा लें और आप भी देख लें कि हिन्दी को कौन से ढंग से लागू किया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हिन्दी के बारे में किस ढंग से लागू किया जाय यह विश्वविद्यालय के सोचने की बात है ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आप भी मेम्बर हैं बोर्ड के ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां तक उसका प्रश्न है तो अलग विश्व विद्यालय का बोर्ड है वह खुद ही सारी बातें देखता है ।

जहां तक फण्ड्स के बारे में कहा गया है, और दूसरी संस्थाओं के फण्ड्स और कोआॅपरेटिव फण्ड्स के बारे में कहा गया है कि सहकारी मंत्री को सोचना चाहिए । पर मैं आपको बता दूं कि इस युनिवर्सिटी के बोर्ड के मेम्बरों की सहकारी क्षेत्र में विभाग में काम करने वाले लोगों से बात हुई थी । उन्होंने एग्रीमेंट भी किया था कि हमको कानून से इजाजत हो तो हम सहकारी संस्थाओं में हमारे फण्ड्स को डिपाजिट्स के रूप में रख सकते हैं । सरकारी विभाग के इन्स्टान्स और युनिवर्सिटी से बातचीत हुई उसके अनुसार इस एमेंडमेंट का सोचा गया है ।

जहां तक सहकारी बैंक में फण्ड्स को डिपोजिट करवाने का सवाल है उसके बारे में यह है कि आखिर सरकार के फण्ड्स भी सीमित हैं । इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फण्ड्स भी लिक्विड एसेटस हैं और गवर्नमेंट के फण्ड्स भी लिक्विड एसेट्स की तरह से काम करते हैं । जो बड़ी संस्थाएं हैं जिनके लिक्विड एसेट्स हैं, गवर्नमेंट के खुद के लिक्विड एसेट्स की तरह काम करती है और गवर्नमेंट के लिए फंड्स रखना लाजमी है । इसलिये जहां तक सहकारी संस्थाएं होंगी उनके पास सरप्लस फंड होना चाहिये । जिसके पास ज्यादा फंड है और किसी विभाग में कोआॅपरेटिव बैंक में यह अपेक्स बैंक में जमा है उस नीति के बारे में सरकार का मतभेद नहीं हो सकता । दूसरी संस्थाओं के फंड्स सहकारी क्षेत्र में जावें और राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा फंड्स बढ़े और सहकारी संस्थाओं से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठावें इसको सरकार मानती है । लेकिन सबके लिए एक साथ लागू करना संभव नहीं है और न इस दलील के बारे में जनमत जानने के लिये या प्रवर समिति में भेज दिया जाय तो मसला हल होने वाला हो ऐसी बात नहीं है इससे मसला हल होने वाला नहीं है । उदयपुर विश्वविद्यालय ऐक्ट में ऐसा था कि वह अपना अकाउन्ट किसी शिड्यूल्ड बैंक में ही रख सकती थी । यदि वे चाहें कि उनका अकाउन्ट किसी एपेक्स बैंक, सहकारी बैंक या और किसी जगह रखा जाय तो यह बात उसमें नहीं थी इसलिये इसमें यह संशोधन कर रहे हैं । आपका यह कहना हैं कि उनके हिसाब में गड़बड़ी है या हो सकती है । मैं समझता हूं, आपकी यह शंका निर्मूल है क्योंकि राजस्थान में जितने बैंक हैं सरकारी बैंक या एपेक्स बैंक सबकी साउन्ड पोजीशन है इसलिये इन शंकाओं को मैं समझता हूं न गुंजायश है न इसके लिये मौका है कि हम अच्छा कदम बढ़ाना चाहते हैं तो न बढ़ावें । इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने दो तरह के प्रस्ताव रखे हैं एक तो जनमत जानने के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लिये और दूसरा प्रवर समिति में भेजने के लिये वे उनको वापिस लेंगे और इस संशोधन को जल्दी से जल्दी पारित करेंगे ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

श्री चौसरसिंह बावेल : मैं भी अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री गोविन्दसिंह : मैं भी अपना संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं एक बात कृषि मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उदयपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

(४.१३ म० प०)

राजस्थान सिनेमा (रेग्युलेशन) संशोधन विधेयक, १९६६.

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) संशोधन विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इसकी बातें बता दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

(१) **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) :

(२) **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) :

(३) **श्री चौसरसिंह बावेल** (बेंगू) :

१. "राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) संशोधन विधेयक, १९६६ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ।"

श्री गोविन्दसिंह (पिडवा) :

१. "राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) संशोधन विधेयक, १९६६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में दी जावेगी)"]

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) संशोधन विधेयक, १९६६ को मैंने जनमत जानने के लिये भेजने का संशोधन प्रस्तुत किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि इस कानून के अंतर्गत कोई भी सिनेमा ओनर या व्यक्ति कानन का उलंघन करेगा तो उसके लिये १००) रु० तक जुर्माना करने की व्यवस्था की गई है । मंत्री महोदय जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है ।........

श्री परसराम मदेरणा : आपको शुरू में गलतफहमी हो रही है । रूल मेकिंग पॉवर ले रहे हैं, सिनेमा ओनर के लिये आलरेडी पॉवर है ।........

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : "The State Government may provide that any person failing to comply with or contravening the provisions of any rule shall, on conviction, be punished with a fine which may extend to one thousand rupees."

कोई न कोई नियम या रूल आप बनायेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे तो एक हजार तक का जुर्माना करने का पॉवर आप रूल्स बनाने में लेना चाहते हैं विधान सभा से । इसका यह मतलब है कि आज दिन तक सिनेमा रूल्स का उल्लंघन हो उसके लिये एक हजार का जुर्माना करने की व्यवस्था करना चाहते हैं । यह समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या कारण है जिससे इतना हैवी जुर्माना करने की छूट सरकार हमसे चाहती है । अभी हमने अमेन्डमेन्ट पास किया था उसमें १००) रु० का जुर्माना था सिनेमा के संबंध में उसमें एक सौ के बजाय दो सौ या तीन सौ तक का बढ़ाया गया है वह भी विरोध के बाद । तो फिर इसमें १०००) तक का क्यों रखा जाता है ? १००) रु० रखे जाते तो भी आपकी मंशा पूर्ण हो जाती । क्या आप बता सकते हैं कि कौनसी डिफिकल्टी आई है जिसके कारण यह प्रस्ताव लाना जरूरी हो गया ? ऐसा कौनसा उल्लंघन हुआ जिसको आप पूर्ण नहीं कर सके और जिसके कारण अमेन्डमेंट लाने की आवश्यकता हो गई । यदि आपकी इजाजत हो तो सेक्शन २ में मूव कर दूं कि १०००) रु० लिखा है उसकी जगह १००) रु० कर दिये जायं । यह कह कर मैं इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिये प्रस्ताव करता हूं ।

श्री चौधरसिंह बावेल (वेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिनेमा (रेग्युलेशन) संशोधन विधेयक, १९६६ को जनमत जानने के लिये प्रसारित करने का मै प्रस्ताव करता हूँ । मेरा निवेदन है कि सिनेमा के मुत्तअल्लिक बहुत कानून बने हैं और सिनेमावालों को परेशान किया जाता है । उन पर कई तरह की बाधायें लगाई जाती हैं । पहले से ही हमारे यहां टैक्स बहुत हैं । दिल्ली में २५ परसेन्ट टैक्स लगता है और राजस्थान में ४० परसेन्ट है । इसलिये मैं निवेदन करता

Page No. 112

(श्री चौसरसिंह बाबेल)

हूं कि कोई बिना टिकट जायगा तो २) जुर्माना होगा इस तरह का कानून लाया गया तो अलग-अलग क्यों लाया जाता है एक साथ ही लाते तो पास हो जाता। एक हजार रुपयों की पेनल्टी रखी गई है वह किस बात के लिये रखी गई है इसका बिल में खुलासा नहीं है। धारा में खुलासा होगा तो होगा लेकिन खुलासा हमारे सामने नहीं आया है इसलिये मंत्री महोदय बताने की कृपा करें कि जुर्माना क्यों किया जायगा, किस कारण किया जायगा इस पर प्रकाश डालें। मैं इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करने के लिये निवेदन करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव इस बिना पर रखा है कि आपने प्रावधान रखा है कि डिफाल्टर्स पर केस चलाया जायगा और उसके लिये मंजूरी आप देंगे। जब कोई डिफाल्टर है और उस पर केस चलाना है तो मंजूरी लेने के लिए आपके पास क्यों आयेंगे? मंजूरी देने का प्रावधान क्यों करते हैं? जो डिफाल्टर है उसके लिये मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। कानून सबके लिये एकसा होना चाहिये। जो एक हजार की पेनल्टी का प्रावधान रखा है उसको भी कम कर दिया जाय। दो गुणा, तीन गुणा या दस गुणा ले लीजिये। इस तरह से आप एग्जामिन करेंगे कि केस किसी पर चलाया जाय या न चलाया जाय यह ठीक नहीं है। इसलिये मैंने रखा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय इसलिये कि वहां पर इस पर पुनः विचार कर सकें।

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिनेमा (रेग्युलेशन) संशोधन विधेयक १९६६ को अमेन्ड करके यह कोशिश की जा रही है कि कोई व्यक्ति जो सिनेमा ऑनर है वह इर्रेगुलेरिटी करता है तो उसको पेनेलाइज किया जा सके। मैं सबसे पहले सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस बात की इच्छा है कि किसी किस्म की इर्रेगुलेरिटी सिनेमा प्रेमिसेज़ में करें तो उसको पेनेलाइज़ किया जाय। लेकिन क्या सरकार ने कभी यह सोचा है कि खटमलों का खज़ाना कहीं कहा जाय तो वह सिनेमा घरों में है। राजस्थान में यदि बदबू का खजाना कहीं देखना हो तो वह सिनेमा प्रेमिसेज में है। वहां जाते ही जो बदबू आती है उससे जी चाहता है कि शीघ्र ही बाहर निकला जाय। सर्दियों के दिनों में चेस्टर पहिनकर जाना पड़े तो चूहे जेब में घुस जाते है लेकिन सरकार इन बातों के लिये सिनेमा ऑनर्स को को पेनेलाइज़ नहीं करती है। हैल्थ डिपार्टमेंट वाले इस तरफ देखते तक नहीं हैं। सिनेमावाले क्या फेसिलिटीज़ देते हैं, इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता। सिटिंग अरेन्ज़मेंट कई जगह ऐसा है जहां प्रेसकाइब्ड ऐंगल में सिटिंग अरेन्जमेंट होना चाहिये वह नहीं है। कई जगह चेयर्स नहीं होती केवल बेन्चेज होती है। सिनेमा देखने कोई व्यक्ति एन्टरटेनमेंट के लिये जाता है और दो-ढाई घंटे वहां पर जाकर बैठता है तो उसको सहूलियत मिलनी चाहिये, लेकिन रेगुलेशन के हिसाब से सिटिंग अरेन्जमेंट नहीं होता है। और सिटिंग अरेंजमेंट ठीक न होने की वजह से जितने वहां विजिटर्स जाते हैं उनको तकलीफ होती है इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसके

(श्री अब्दुल जब्बार।

अलावा सरकार ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया है कि बहुत से सिनेमा में टिन शीट्स लगी हुई हैं, इसलिए बरसात के दिनों में पानी सीटों पर गिरता है और उससे नीचे बैठे हुए लोग डिस्टर्ब होते हैं। टप टप की आवाज से देखने वालों को पता नहीं रहता कि पर्दे पर क्या हो रहा है। पर्दे पर तस्वीरें तो हिलती डुलती नजर आती हैं लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती है। सिनेमा में जो व्यक्ति कोई मिसचीफ करता है उसको तो आप पीनेलाइज़ करना चाहते हैं लेकिन जो सिनेमा हाउस बने हुए हैं वह कानून के मुताबिक अगर नहीं है तो आज तक आप किसी भी सिनेमा ओनर को या मालिक को पैनेलाइज नहीं कर पाये हैं। इससे उनको और प्रोत्साहन मिलता है। इतना ही नहीं, विजिटर्स को टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन टिकट की विन्डो के बाहर बरसात के दिनों में वर्षा से बचने के लिए शैड्स होने चाहिए, वह भी सिनेमाओं में नहीं हैं। इस सम्बन्ध में कई दफा इस हाउस में प्रश्न भी उठाये हैं और प्रश्नों के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है लेकिन सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया है।

इसके अलावा जब कभी किसी सिनेमा के लिए पर्मनेन्ट लाइसेन्स या टेपोरेरी लाइसेन्स का सवाल है या और दूसरे लाइसेन्स का सवाल है या और दूसरे लाइसेन्स का सवाल आता है तो किन्हीं जगहों पर पोपुलेशन के अनुसार सिनेमा हाउस, जो होने चाहिए, वह हैं या नहीं इस पर विचार नहीं करते हैं। आज कुछ लोगों ने सिनेमाओं का मोनोपोलाइज कर रखा है। आजादी प्राप्त होने के अठ्ठारह साल के बाद भी मोनोपोली सिस्टम चल रहा है। मैं आपको कहता हूं कि प्रेक्टिस में यह लाजिमी चीज है कि दूसरा कोई व्यक्ति सिनेमा के लाइसेन्स के लिए एप्लाई करता है तो उसको नहीं देते हैं। लेकिन सरकार के पास जब कोई नेता जाता है तो उसको मद्दे नजर रखते हुए लाइसेन्सों पर विचार किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जिला चित्तौड़ में निम्बाहेड़ा सब डिवीज़नल हैड क्वार्टर है, वहां पर सिनेमा के लिए काफी स्कोप है, लेकिन जब सिनेमा के लिए पर्मीशन लेने के लिए एप्लाई करते हैं तो सरकार का कलेक्टर फौरन ही उसको रिजेक्ट कर देता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की मन्शा क्या है, वह किसको पैनेलाइज करना चाहती है, उसको पनेलाइज करना चाहती है जो सिनेमा देखने के लिए जाता है। सरकार यह क्यों नहीं समझती है कि सिनेमा के गेट के ऊपर एक गेटकीपर रहता है, वहां पर सिनेमा ओनर और ऑक्यूपायर का व्यक्ति रहता है और उसकी कन्सेन्ट के बिना कोई व्यक्ति हाउस में घुस नहीं सकता है। अगर कोई वायोलेशन करता है तो पुलिस उसका कॉगनीजेन्स ले सकती है और उसको कॉगनीजेबल ऑफेन्स बना कर गिरफ्तार कर सकती है और उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। ऐसी हालत में सवाल पैदा होता है कि कौनसी विचारधारा से सरकार यह कार्यवाही कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को ऐसी कौनसी परेशानी हो गई है? अगर उसके बनाये हुए कानूनों का उल्लंघन कोई व्यक्ति करता पकड़ा गया है और उसको पीनेलाइज़

(श्री अब्दुल जब्बार)

नहीं किया जा सका है तो माना जा सकता है कि सख्ती से सिनेमा के अन्दर व्यवस्था करने के लिए और व्यवस्था के रेगुलेशन के लिए रूल्स की आवश्यकता है ताकि कोई व्यक्ति मिसचीफ न करे और कानूनों का उल्लंघन न करे। और कोई करता है तो उस पर एक हजार तक जुर्माना किया जा सकता है। आज कानून हैं उनकी सिनेमा ओनर के द्वारा अवहेलना की जाती है और खुल कर की जाती है, यह साफ देखा जा सकता है फिर भी कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं की जाती है। मैं निवेदन करता हूं कि आज कौनसी डिफीकल्टी सरकार के सामने आ गई है जिसकी बिना पर आप इस कानून को पास कराना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप यह कहेंगे कि टिकट खरीदने के अन्दर लोग ब्लेक करने के लिए जाते हैं, लाइन बनाये बगैर वह खिड़की पर भीड़ करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टिकट बेचने वाली एजेंसी है वह सिनेमा ओनर या ऑक्यूपायर की एजेंसी है। उनको इस बात के लिए रूल्स रखने चाहिए या ऐसी पद्धति बनानी चाहिए कि एक या दो टिकट से किसी को ज्यादा नहीं दें, इसके अलावा लोग लाइन में खड़े होकर टिकट लें। ऐसी व्यवस्था नहीं है। खिड़की के सामने कोई रेलिंग भी नहीं लगी हुई है। लेकिन जहां पर खिड़की के सामने रेलिंग लगी हुई है वहां पर कभी कोई गड़बड़ी नहीं होती है। तो सवाल यह पैदा होता है कि आप पैनेलाइज किसको करना चाहते हैं ? जो बिना टिकट के सिनेमा में बैठ जाय या सिनेमा में बिना टिकट के घुस के बैठ जाय तो उसको आप पीनेलाइज करना चाहते हैं। लेकिन यह बात आपने इसमें नहीं रखी है। जब कि यह इम्पोर्टेन्ट इश्यू है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मैं एक छोटा सा अमेंडमेंट रखना चाहता हूं।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं पहले निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज बाई क्लॉज आवे तो रखें।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं निवेदन करना हूं, इसमें सेक्शन है :

"Section 8 of the Rajsthan Cinemas (Regulation) Act, 1952 provides for the penalty against the owners/ occupiers of the Cinemas for the breach of the provisions of the Act or the Rules made thereunder. There is, however, no provision in the Act to penalise any person failing to comply with contraventing the provisions of the Act or the Rules. It is therefore, considered necessary to amend the Act........"

अब मेरी समझ में नहीं आता है कि कौनसी ऐसी कार्यवाही है ? इसलिए मन्त्री महोदय स्पसिफिकली बतायें कि इस किस्म की हरकत को, इस किस्म की गैर कानूनी कार्यवाही होने पर किसी व्यक्ति को पैनेलाइज करने के लिए यह

(श्री अब्दुज जब्बार)

संशोधन ला रहे हैं। कम से कम यह बतायें उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पुनः सरकार को इस कानून के काम्प्लीकेशन्स बताने के लिए उपस्थित होऊंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट का खुला विरोध करता हूँ। मैं निवेदन करता हूं कि काला कानून है और जनता को इससे परेशान करायेंगे सिनेमा ओनर से जिनकी पूरी तानाशाही उस जगह चलती है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जिस रूप में लाया गया है—मैं इसका स्वागत करता हूँ और इस सम्बन्ध में जो जनमत हेतु प्रस्ताव सदन में आये हैं, उनका मैं विरोध करता हूं.......

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं आपकी मदद कर रहा हूं।

राजस्थान में जब कभी किसी सेक्शन से मांग होती है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की तो राज्य सरकार की ओर से अर्थाभाव का बहाना करके उसको टरका दिया जाता है और जिससे राजस्थान में और राजस्थान के अनेक वर्गों में दिनश: असन्तोष बढ़ता जा रहा है। यह धनाभाव क्यों है ? इसके मुख्यतः तीन कारण हैं। पहला कारण है कि जो टैक्स जनता द्वारा सरकार को कोष में जाना चाहिए उनमें लीकेज होता है, उन में इवेजन होता है। दूसरा यह है जो धन, जो रुपया राज्य के कोष में आ जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता है और उसका अपव्यय होता है। तीसरा कारण इसके साथ यह है कि बहुत प्रकार के घोटाले और गबन होते हैं और इस प्रकार राज्य कोष से करीब २०-२५ करोड़ का इवेजन हमारी इन त्रुटियों के कारण होता है। इसमें उद्देश्य और कारण हैं। इसमें है सिनेमा के टैक्सेज के बारे में, सिनेमा देखने के लिए जो टिकट खरीदते हैं उनसे तो टैक्स वसूल कर लिया जाता है लेकिन जो सिनेमा फ्री देखने जाते हैं उनसे सिनेमा....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वह कौन जाता है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल: ऊंचे व्यक्ति जाते हैं, ज्यादातर ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो ऑफिसर हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : उनको आप पीनलाइज़ करेंगे ? डाकू को डाकू पकड़ने जायेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब्बार साहब जाते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल you had your turn

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री राधाकृष्ण गोयल: समाज के सम्मानित कहे जाने वाले लोग इस टैक्स का इवेजन करते हैं, और सिनेमा के मालिक अपने पास से टैक्स का पैसा दे दें तो अच्छी बात है लेकिन इस कानून का उल्लंघन होता है। इस तरह जो नियम बने हुए हैं,

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

जो कानून बने हुए हैं उनमें टैक्स इवेजन करने और टैक्स के रूप में वसूल करने का प्रावधान है लेकिन इसके सम्बन्ध में कोई पैनल्टी करने का प्रावधान नहीं है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा राज्य सरकार ने, जो लोग इस प्रकार टैक्स का चोरी करते हैं, उनको आगाह किया है और उनके विरुद्ध अदालत में मुकदमा चलाने की कार्यवाही हो सकती है और इन नियमों के अनुसार एक हजार रुपये तक का दण्ड देने का प्रावधान भी रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहला तरीका है कि हम समाज में सम्मानित कहे जाने वाले व्यक्तियों को, जो समाज के टैक्स की चोरी करते हैं, उनको वार्निंग के तौर पर सावधान करना चाहते हैं कि आप अपनी चोरी से अब बाज आगें। और अगर फिर भी चोरी करते हैं तो पकड़े जाकर अदालत में पेश किये जा सकते हो और आपके विरुद्ध एक हजार रुपये तक का दण्ड हो सकता है. वह दण्ड पचास हो सकता है, पच्चीस हो सकता है, पांच रुपया हो सकता है या एक रुपया मात्र भी हो लेकिन अधिकतम राशि एक हजार निर्धारित की गई है जो मेरी दृष्टी से अधिक नहीं है क्योंकि समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि जो टैक्स उसको देना चाहिए वह अवश्य दे और वह जानबूझ कर टैक्स की चोरी करता है तो मै विचार करता हूं कि.... ...

श्री सम्पतिलाल वोहरा : रूल्स का है ? टैक्स का नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : रूल्स में यह भी है ! वह इस प्रकार.......

श्री चौसरसिंह बाबेल : एन्टरटेनमेंट का अलग है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : नहीं है।

और इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुशासनहीनता आप देखते हैं, कि जब राष्ट्रीय गायन सिनेमा समाप्त होने के बाद होता है तो बहुत से लोग खड़े नहीं होते हैं, बहुत से लोग बीड़ी पीते रहते हैं, बहुत से लोग दरवाजा खटखटाते रहते हैं। इस प्रकार जो सम्मान की चीज है राष्ट्रीय गायन–उसके प्रति लोग सम्मान नहीं दिखा सकते। इसी प्रकार आप देखेंगे कि कई सिनेमा हाउस हैं, ऐसे जयपुर में भी हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत से सिनेमा हैं जिनमें खुले आम बीड़ी पीते हैं। उनको रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है जब कि यह स्वास्थ्य के लिए खराब है। क्योंकि इसका प्रावधान नहीं है अब दो चार आदमियों का प्रासीक्यूशन हुआ कि लोगों में खबर फैल जायगी कि बीड़ी पीना अपराध है, अनुशासनहीनता अपराध है इसलिए उनमें अपना आचरण सुधारने और अनुशासनबद्ध अपने को रखने की भावना पैदा होगी।

इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ संशोधन यहां लाये गये है और जिस रूप में यहां पर आये हैं वे उचित हैं और उनको जल्दी से जल्दी सदन के द्वारा स्वीकार कराये जाने चाहिये। इसको जनमत जानने के लिये भेजने की आवश्यकता नहीं है। यह सिनेमा जिस प्रकार हमारे लिये और हमारे बालिकों को और नागरिकों को मार्ग दर्शन दे सकता है, उनके विचार में परिवर्तन ला सकता है,

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

राष्ट्र सुधार की ओर जीवन सुधारने में अच्छा माध्यम बन सकता है उसके लिये यह उचित है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे और दूसरे जो संशोधन आये हैं जनमत जानने के लिये उनको अस्वीकार किया जावे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यह राजस्थान सिनेमा (रेग्युलेशन) संशोधन विधेयक, १९६६ पेश हुआ है उसमें सीनेमा के मालिक जो टैक्स की चोरी करते थे उनके लिये तो आपने पेनल्टी रखी है लेकिन जो लोग मुफ्त में जाते हैं उनसे किस प्रकार टैक्स लिया जावे। वहां पर सीनेमा में जो लोग सिगरेट, बीड़ी पीते हैं और जो कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको किस प्रकार से पेनेलाइज किया जावे उसके लिये आपने यहां पर प्रावधान रखा है। आपने यह रखा है कि उसके लिये १०००) की पेनल्टी हो। मेरा यह सुझाव है कि एक हजार की पेनल्टी का आपने रखा है वह ऐसे आदमियों के लिये है जो दस दस आने और बारह बारह आने के टिकट में जाते हैं, जो टक्स के परसेन्टेज को इवेड करते हैं, मगर मैं यह कहूंगा कि ऐसे लोग तो करते ही नहीं होंगे। जो बड़े बड़े लोग होते हैं और दो दो रुपये और ऊपर की क्लासेज में बैठते हैं वे इवेड करते हैं मगर वे पकड़े जाते नहीं। बेचारे गरीब ही पकड़े जावेंगे जो चौअन्नी क्लास के आदमी होते हैं वे अगर कोई फ्री घुस गया तो पकड़ा जाता है और उस पर यह पैनल्टी लग जावेगी। जो सिनेमा में सिगरेट पीते हैं और कानून का उलंघन करते हैं, एक सिगरेट पर एक हजार रुपये जुर्माने उस पर हो जावे तो यह बहुत एक्सेस है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि १०००) रु० की जगह १००) रखे जावें तो आपके कानून की पाबन्दी भी होगी और गरीब फंस गया तो मारा जाएगा और पकड़ा जावेगा क्योंकि सिगरेट वगैरा पीने की उसकी आदत होती है भूल चूक कर अगर गल्ती से वह सिगरेट या बीड़ी पी लेता है, हालां कि इसके लिये पाबन्धी होती है मगर वह अपनी आदतों से मजबूर होकर पी लेता है तो उस पर पेनल्टी हो जाती है........

श्री अब्दुलजब्बार : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इससे आपको नुकसान क्या है अगर कोई सिगरेट पीता है। आप इसके लिये कानून बनाने के पहले यह तो बतावें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके लिये आप किसी एक्सपर्ट से पूछिये।

मैं यह निवेदन करूगा कि आपने एक हजार रुपये फाइन इम्पोंज करने का प्रावधान रखा है वह बहुत ज्यादा है। इसलिये इसको १००) कर दिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि खास तौर से कभी अच्छे पिक्चर आ जाते हैं तो टिकट ब्लेक बहुत होते हैं। ऐसे आदमी वहां पर रहते हैं जिन्होंने अपनी १० और १५ आदमियों की टोलियें बना रखी हैं पूरे टिकट खरीद लेते हैं और फिर दो दो रुपयों के टिकट को तीन तीन रुपयों में बेचते हैं। और यह बात सीनेमा मालिकों की जानकारी में भी है। मगर उनको वे लोग रोकते नहीं। मगर इस एक्ट में इसके लिये कोई

Page No. 118

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

व्यवस्था नहीं है। मगर यह १०००) रु० की पेनल्टी एज छोटा सा बीड़ी या सिगरेट पीने का जुर्म करता है उस पर लगाते हैं मगर जो लोग ब्लैक मार्केटिंग टिकटों का करते हैं उनके खिलाफ भी कोई कानून आपको लाना चाहिये जिससे यह टिकटों की गड़बड़ी मिट जाए और भले आदमियों को सिनेमा के टिकट तो मिल सकें। यह बात हर सिनेमा में देखी जाती है और बहुत से लोग हताश होकर बगैर सिनेमा देखे अपने घर लौट आते है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्लैक मार्केट में नहीं खरीदते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो समय पड़ने पर ब्लेक से भी खरीद लेते हैं। मगर उन लोगों के मौरल पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिये सिनेमा वालों के और ब्लेक मार्केट करने वाले लोगों के खिलाफ भी आपको कदम उठाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री **जोर्वासिह चौहान** (गिरवा) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि राजस्थान सिनेमा (रेग्युलेशन) संशोधन विधेयक, १६६६ को देखने से मालूम होता है कि बीड़ी पीने वालों और सीगरेट पीने वालों पर १०००) रु० जुर्माने का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह १०००) रु० हालां कि हमारे यहां की हैसियत को देखते हुए बहुत ज्यादा है और उसको कम करना चाहिये लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि हमारे देश में लोगों की आदतें बहुत खराब हो गई हैं हमारे देश में आज खाना खाये बगैर लोग रह सकते हैं मगर बिना सिगरेट के रह नहीं सकते।

यह सही है कि सिनेमा घरों से हमारे देश में काफी लाभ हुआ है और इससे हिन्दी को सारे देश में भाषा के रूप में प्रोत्साहन दिया गया है। क्योंकि आज हमारे देश में लोग बिना सिनेमा देखे कहीं नहीं रह सकते हैं। मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह ये इंगलेन्ड में सिनेमा है वहां पर स्टूडेन्ट्स के लिये अलग सिनेमा हैं और दूसरे लोगों के के लिये अलग हैं। इसी तरह से हमारे यहां पर भी अलग अलग सिनमा होने चाहिये जिससे उनके चरित्र बनें। आज हमारे यहां पर बच्चे सिनेमा देख कर आते है तो सिनेमा से क्या सीख कर आते हैं, जेब काटना, चोरी करना, सिगरेट पीना आदि। अगर हम सही रूप में अपने देश को बनाना चाहते हैं तो हमें सिनेमा में फैली हुई सारी बुराइयों को ठीक करना होगा। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है कि इस एक बिल से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको इसकी सारी बुराइयों को रोकने के लिये प्रबन्ध करना होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे यहां सिनेमा के कर्मचारी हैं, जो सिनेमा स्टेट द्वारा चलाया जाता है, उनको भी दूसरे कर्मचारियों के मुकाबले में वेतन मिलना चाहिये। बीकानेर का सिनेमा है वहां कई कर्मचारियों को अभी निकाला है। जहां पर सरकारी सिनेमा हैं वहां पर उनके वेतन सरकारी कर्मचारियों की तरह से नहीं मिलता है वह मिलना चाहिये। जिससे उनकी हालत सुधरे उनको ओवर टाइम देना होगा मैं यह कहूंगा कि आज सारे राजस्थान में कुछ लोगों ने

(श्री जोधसिंह चौहान)

सिनेमा की मोनोपोली ले रखी है। उदयपुर में सांघी या और कोई दूसरे व्यक्ति हैं उनका सिनेमा है। उनके अलावा और कई दूसरे व्यक्तियों ने सिनेमा बनाने के लिए आज्ञा चाही मगर उनको इजाजत नहीं दी गई। अगर कोई गरीब आदमी सिनेमा कोओपरेटिव सोसायटी बना कर चलाना चाहता है उसको भी इजाजत नहीं मिलती है।

(समय समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मोनोपोली सिस्टम को तोड़ा जाना चाहिये और दूसरे लोगों को भी इसके लिए सुविधा दी जावे। इसके अलावा अभी अब्दुल जब्बार साहब ने कहा कि सिगरेट पीवे तो क्या नुकसान है। मैं कहूँगा कि अगर सिनेमा देखने जावें तो तीन दिन तक सिर का दर्द नहीं मिटता। में यह कहूँगा कि इससे लोग मर जाते हैं, फेफड़ों में धूंवा लगता है तो काले पड़ जाते हैं। इसके अन्दर नेगोटीन जहर होता है। टी. बी. की बीमारी हो जाती है। इससे केन्सर जैसी भयंकर बीमारी होती है। मैं तो इसको जहर समझता हूं और अगर आप इस जहर को खाओ तो आपकी इच्छा है। मगर जहर नहीं खाते उनके लिए यह जहर का काम करती हैं। इसलिये जिन लोगों के लिये यह जहर है उन लोगों को तो आराम से सिनेमा देखने दिया जावे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप सिनेमा में अवश्य लागू करें।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे पिक्चर दिखाए जावें। हिस्टोरीकल पीक्चर हों जिससे स्टुडेन्टों को और दूसरे लोगों को लाभ हो। स्टुडेन्टों के केरियर को सुधारने के लिए भी अच्छे पिक्चर्स होने चाहिये। दूसरे पिक्चर्स बने हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि हिस्टोरीकल और अच्छे पिक्चर्स बनाये जावें। अगर इससे बहुत सुधार हो गया तो मैं कहूंगा कि इससे जनता को भी लाभ मिलेगा और हमारे राष्ट्र और देश का भी भला होगा और देश आगे बढ़ेगा। इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री वित्त) उपाध्य महोदय, राजस्थान सिनेमा (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक पर दो प्रकार के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं। एक तो विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित करने के लिए और दूसरा इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के लिये। इस विधेयक पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने कई डाउट्स जाहिर किये। मावली से आने वाले माननीय सदस्य और निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि आज यह जो धारा १० में संशोधन करने जा रहे हैं, इस संशोधन के जरिये जो राजस्थान सरकार ने अपने पास अधिकार लेने का प्रस्ताव रखा है, यह आखिर इसके जरिये पेनल्टी इम्पोज की जा रही है, किसी आदमी के एक्शन को कानून की खिलाफवर्जी बताया जायगा, वह व्यक्ति कौन है। व्यक्ति नहीं बताते तो इसे काला कानून और न जाने क्या क्या कहा। यह भी कहा है कि सिनेमा ओनर्स पर १००० रू० तक की पेनेल्टी इम्पोज करने जा रहे हैं, वह ज्यादा है। दूसरे यह कहा गया कि टैक्सेज में लाकेज होता है, वह इस प्रावधान के रखने के बाद में बन्द हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह

(श्री परसराम मदेरणा)

तीनों ही बातें सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है कि जहां तक सिनेमा के ओनर्स है. प्रोप्राइटर्स हैं वे अधिनियम या उसके किसी नियम का उल्लंघन करते हैं, उस कानून या उसके नियमों के पालन में विफल रहते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान इस एक्ट की धारा ८ में है कि कोई सिनेमा ओनर, सिनेमा प्रोप्राइटर इस एक्ट के प्रावधानों का, इसके रूल्स का उल्लघन करेगा तो उसको पेनेलाइज किया जायगा, एक हजार रु० तक वह पेनेल्टी होगी। तो मेरा कहना है कि अगर सिनेमा ओनर्स एक्ट या रूल्स के खिलाफ कार्य करते हैं तो इनको पेनेलाइज करने के लिये यह विधेयक नहीं लाये हैं, एन्टरटेन्मेंट टैक्स के बारे में भी यह नहीं है, न एन्टरटेनमेंट एक्ट में इसके द्वारा संशोधन करने जा रहे हैं और न सिनेमा ओनर्स को इससे पेनेलाइज करने जा रहे हैं। यह सिनेमा (रेगुलेशन) संशोधन विधेयक है, एक्ट के अन्दर यह संशोधन करना चाहते हैं हैं कि राज्य सरकार के पास में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कुछ सिनेमा मालिकों की ओर से ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों की धारा ५० (२) में, ७० की उपधारा १० में इस प्रकार का प्रावधान है कि सिनेमा एडिटोरियम्स, सिनेमा हाल में कोई व्यक्ति धूम्रपान नहीं करेगा सिनेमा के अन्दर थूकेगा नहीं, ऐसा करना धारा ५० और ७४ में वर्जित है। सिनेमा मालिकों पर भी हम बराबर इस बात का दबाव डालते आये हैं कि आप अपने सिनेमा ओडिटोरियम में और हाल में किसी को धूम्रपान के लिये इजाजत क्यों देते हैं ? उन्होंने कहा कि हम मना करते हैं और लोग लड़ाई-झगड़ा करते हैं। यह सही है, माननीय सदस्य भी जानते हैं कि सिनेमा देखने वालों को यह मालूम हो जाय कि उनका इस प्रकार का एक्शन कानून में पेनेलाइज नहीं किया जा सकता तो, यह जानते हुए भी कि उससे वायुमण्डल दूषित होता है, उनका एक्शन अस्वास्थ्य-जनक है, फिर भी बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, पान थूकते रहते हैं। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तो सरकार ने विचार किया, सरकार ने ऐसा अनुभव किया कि सिनेमा स्पेक्टेटर्स हैं वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इस एक्ट की धाराओं, इसके नियमों के अन्दर उनको पीनेलाइज नहीं किया जा सकता, यह कानून में कमी है, ऐसे लोग जो सिनेमा ओनर्स नहीं हैं, उनको पीनेलाइज नहीं किया जा सकता। सिनेमा रेगुलेशन, लाइसेंस की धाराएं आदि के अनुसार सिनेमा हाल में सफाई रखने की रेस्पोन्सि-बिलिटी सिनेमा ओनर्स की, सिनेमा प्रोप्राइटर्स की है अगर वे कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको इस एक्ट के नीचे पीनेलाइज किया जा सकता है पर सिनेमा ओनर्स कहें कि गलती कोई दूसरा करता है तो दूसरे की गलती के लिये हमें कैसे पीनेलाइज किया जा सकता है। तो राज्य सरकार ने महसूस किया कि जो धूम्रपान करते हैं, गन्दगी फैलाते हैं, हाकिंग वगैरह करते हैं सिगरेट बीड़ी पीना कहने पर भी नहीं रुकते इसलिये राज्य सरकार ने महसूस किया कि इसके लिये अमेंडमेंट लाना जरूरी है। इसलिये धारा १० के अन्दर सरकार अधिकार लेना चाहती है और राज्य सरकार नियम

Page No. 121

(श्री परसराम मदेरणा)

बनाना चाहती है। कोई स्पेक्टेटर इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसको दण्डित किया जा सकेगा, नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर १००० रु० तक की पेनेल्टी इम्पोज करनी चाहिये, इस प्रकार की व्यवस्था इससे की जा रही है।

अमेंडमेंट की क्लाज़ २ के सब-क्लाज़ (२) में इस प्रकार का प्रावधान है। खण्ड ३ और ४ रूटिन नेचर की है। एक प्रीवियस पब्लिकेशन की और दूसरी पब्लिकेशन होने के बाद नियम बनाने के बाद सदन की मेज पर रखने का प्रावधान है। पर आज खास पॉवर्स लेने का प्रस्ताव, संशोधन विधेयक से है वह सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को पीनेलाइज़ करने का है जो सिनेमा ओनर्स नहीं हैं, सिनेमा प्रोप्राइटर्स नहीं हैं बल्कि सिनेमा गोअर्स हैं उनको हम पीनेलाइज नहीं कर सकते थे, एक गलती जो कोई दूसरा करता है उस गलती के लिये सिनेमा ओनर्स को दण्डित करना उचित नहीं, यह जो कानून में खामी रह गई थी उसको दूर करके, जो दोषी हैं उनको दण्डित करने की व्यवस्था करने के अधिकार सरकार द्वारा लिये जा रहे हैं।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य और आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, क्लाज़ २ इस प्रकार है :

"(2) In making rules under this section the State Government may provide that any person failing to comply with or contravening the provisions of any rule, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees."

हमने जो यहां प्रावधान रखा है वह हमारा जो मेन अधिनियम है उसको बम्बई अधिनियम के आधार पर रखा है इस क्लाज़ में हमने प्रावधान रखा है, बम्बई एक्ट में जो प्रावधान है वैसा ही प्रावधान हमने रखा है लेकिन क्योंकि इस प्रकार का संशोधन जो है वैधानिक तरीके से, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अनुसार समय पर नहीं आया है। अगर चेयर का आदेश हो तो मुझे आपत्ति नहीं। जो धूम्रपान करते हैं और ऐसा करने में इस कानून के अन्तर्गत बने नियमों का उल्लंघन करते हैं, चाहे वे हाकिंग करते हैं, चाहे थूकते हैं, इस तरह के मामले हैं और वे हो सकते हैं, इस पर सोचा जा सकता है। इस प्रकार से जो लोग सिनेमा जाने वाले हैं उनको दण्डित करने का प्रश्न है और मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने मौखिक रूप से संशोधन रखे हैं वे ठीक प्रतीत होते हैं, लेकिन यदि चेयर इजाजत देगी तो मुझे स्वीकार करने में आपत्ति नहीं।

यहां जो टैक्स इवेज़न की बात कही गई, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं। इस सम्बन्ध में जो राजस्थान एन्टरटेनमेंट एक्ट में संशोधन चल रहा था तो काफी बातें कही जा चुकी हैं। जैसे टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि टैक्स की चोरी होती है तो इस बारे में हमने कुछ दिन पहले संशोधन कर दिया है जब वह संशोधन एक्ट में परिवर्तित हो जायगा

(श्री परसराम मदेरणा)

ग्रौर एन्फोर्स हो जायगा तो जो हाइली प्लेस्ड लोग हैं, जिनके बारे में ग्रापको ग्राशंका है, ग्रगर वे बिना एन्टरटेन्मेंट टैक्स दिये हुए ग्रन्दर बैठेंगे तो ग्रागे उनको दण्डित किया जायगा। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो दोनों प्रकार के मुद्दे रखे हैं उनका निराकरण करने के बाद वे ग्रपने प्रस्ताव वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृति)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। क्लाज़ दो में संशोधन हैं।

श्री संपतिलाल बोहरा (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी इजाजत से क्लाज २ में संशोधन मूव करना चाहता हूँ, वह यह कि जहां पर १,०००) रु० तक जुर्माना लिखा है वहां १००)रु० लिखा जाय For the word 'thousand' substitute the word 'hundred' एक हजार का जुर्माना बहुत ग्रधिक है।

श्री परसराम मदेरणा : यह चर्चा का विषय नहीं है। ग्रगर चेयर की तरफ से इजाजत हो तो मुझे ग्रापत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed it. प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सम्पत्तिलाल बौहरा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड २, यथा संशोधित, विधेयक का ग्रंग बने।

(स्वीकृत)

(विराम)

खण्ड २, यथा संशोधित, विधेयक में ग्रंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाज १, प्रस्तावना, नियमन, सिद्धान्त, शीर्षक इत्यादि विधेयक के ग्रंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लाज १, प्रस्तावना, नियमन, सिद्धांत, शीर्षक इत्यादि विधेयक में ग्रंग रूप से जोड़े गये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) संशोधन विधेयक, १६६६ यथासंशोधित पारित किया जाय।

श्री ग्रब्दुल जब्बार : मेरा निवेदन है सरकार सिनेमा में बैठकर बीड़ी पीने वालों को पीनेलाइज करना चाहती है। वह सिनेमा ग्रौनर्स को क्यों नहीं पाबंद करती, हयूमिडिटी के लिए, वेन्टीलेटर्स के लिए ग्रौर एग्जॉस्ट फैन्स के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : आपको स्मोकिंग से शौक है ।

श्री अब्दुल जब्बार : आप ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं । सिनेमाओं में बदबू आती है, खटमल मच्छर और चूहे दौड़ते हैं । मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन सरकार हाइजिनिक पोइंट आफ व्यू से एक्सप्लेन करे कि बीड़ी किस प्रकार से न्यूसेंस पैदा कर सकती है ? सरकार शराब पीना बन्द नहीं करती, अफीम के लिए लाइसेन्स देती है, वह बीड़ी क्यों बन्द करेगी ? यह तो किसी व्यक्ति को परेशान करने का रास्ता है । सिनेमा मालिक भी व्यक्तियों को परेशान करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन में बीड़ी पिए बिना परेशान हो जाते हैं ?

श्री अब्दुल जब्बार : यह जगह आराम के लिए नहीं है । सिनेमा एन्टरटेन्मैंट के लिए है; otherwise noboy will like to go to cinemas.

श्री चोसरसिंह बाबेल : तम्बाकू में निकोडाइन होता है ।

श्री अब्दुल जब्बार : वह तो जर्म्स को मारना है । जो व्यक्ति सिनेमा देखने जाय उनको फैसिलिटीज़ मिलें । जो एक्ट में प्रावधान हैं उनके अंतर्गत कितने सिनेमा मालिकों को सजा दी गई ? सब मौज कर रहे हैं ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि भारत सरकार और सिनेमा मालिकों में सम्पर्क बढ़े । इस बात का प्रावधान करना चाहिए कि सिनेमाओं का राष्ट्रीय हित में अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए जो राष्ट्र प्रेमी निर्माता हैं उनकी भावनाओं और ग्रंथों को सिनेमा में प्रचार करने के कदम उठाएं ।

श्री परसराम मदेरणा : भारत सरकार की नीति है कि किस तरह की फिल्में बनें । उसके लिए बोर्ड बना हुआ है वह रेग्युलेट करता है । निम्बाहैड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां खटमल और चूहों की बात कही....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात महत्वपूर्ण है ।

श्री परसराम मदेरणा : सिनेमा ओनर को अपने हालत और आस पास की कन्डीशन्स को बिल्कुल हाइ जैनिक रखना चाहिए, हम उनको पाबन्द करेंगे, अगर कोई ऐसी बात है तो । राजस्थान सिनेमा रेग्यूलेशन एक्ट की धारा ८ के अन्दर इस बात का प्रावधान है कि यदि कोई नियमों के खिलाफ जाता है तो उसको पीनेलाइज किया जाय तो जो आपकी बात थी वह भावना के हिसाब से ठीक थी ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४.५७ बजे कल दिनांक १४ अप्रेल, १९६६ के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७५१ का उत्तर देखिये)

रामगंज मण्डी तहसील में प्राइमरी स्कूल भवनों के लिए दिये गये अनुदान व प्राप्त श्रमदान का विवरण

क्रमांक	प्राईमरी स्कूल में	अनुदान में दी गई रकम	जनता द्वारा श्रमदान	विशेष
१	२	३	४	५
(१)	प्राथमिक शाला, गादिया	२०००) रु०	१४००) रु०	
(२)	प्राथमिक शाला, अमरपुरा	२०००) रु०	२३३५) रु०	
(३)	प्राथमिक शाला,	१०००) रु०	—	इसके लिए श्रमदान प्राप्त नहीं हुआ

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५४ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति आहोर में सरपंचों में बकाया राशि की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम व पंचायत	बकाया रकम
(१)	सरपंच चबरटा	१०००) रु०
(२)	,, उम्मेदपुर	१३७५) रु०
(३)	,, डेडीयाली	२०६१) रु०
(४)	,, मौसेरा	१२००) रु०
(५)	,, कवराडा	१०००) रु०
(६)	,, भैंसवाड़ा	५००) रु०
(७)	,, नौसा	५०००) रु०
(८)	,, भूती	१००००) रु०

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १३ अप्रेल, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
७	१२	प्रात्त	प्राप्त
,,	१५	साय	साथ
,,	१६	।	?
,,	१६	का	की
६	१०	लेवर	लेबर
११	१८	करबाया	करवाया
,,	२०	रेकार्ड नहीं	रेकार्ड पर नहीं
,,	अन्तिम से १३	कर-वाया	करवाया
,,	,, ६	मील	मिल
१८	१३	अनुपस्यित	अनुपस्थित
२७	७	सोचनीय	शोचनीय
,,	अन्तिम से ७	धन राशि	धनराशि
३३	शीर्ष	निशुल्क	नि शुल्क
३४	४	स्थायीं	स्थायी
,,	४	गवर्नमेंट कोई	गवर्नमेंट का कोई
३५	अन्तिम से २	दूसरा	दूसरी
३६	१२	ऐसो	ऐसी
,,	अन्तिम से १०	।	?
३७	२	बड़	बड़ा
,,	१६	परटीकुलर	परटीक्युलर
,,	अन्तिम से १४	हरे	पर
३६	६	१६–२६	१६२६
४०	अन्तिम से १५	हुं	हूं
४१	३	अक्युअल	एक्चुअल
,,	१४	एम्लायमेंट	एम्पलॉयमेंट
४६	१	प्राइज	प्राइस
,,	६	प्राइज	प्राइस

१	२	३	४
५६	४	लीगेली	लीगली
६७	१	किये गए थे	की गई थी
६८	१०	एकत्रित्र	एकत्रित
६९	शीर्ष	श्र	श्री
७०	शीर्षक	प्रनोश्तर	प्रश्नोत्तर
७१	१२	कि	की
७४	७	में	की
७५	अन्तिम से ७	का	को
८१	अन्तिम से २	फेज	फेज् ड
८४	अन्तिम से १५	स्थाल	सवाल
८६	अन्तिम से १०	के	की
८७	८	मंने	मने
,,	१७	केवों	रेवो
,,	१८	बढ़	वेढ़तो
९८	अन्तिम से ४	मिले	मिलें
१०४	अन्तिम से ५	है	हैं
१०७	४	इम	इन
१०९	१९	आयुवेद	आयुर्वेद
१११	शीर्षक	घटका	घटना
११४	२०	लेती है	नहीं लेती है
११५	अन्तिम से २	गिरफ्तारी	गिरफ्तारी
११६	अन्तिम से ९	आफ	आफ पुलिस
११८	अन्तिम से ४	उमके	उसके
,,	अन्तिम से १	की	कि
११९	अन्तिम से ७	रही है	रहे हैं
१२३	शीर्षक	का	की
,,	अन्तिम से १०	साधा सादा	सीधासादा
१२४	शीर्षक	के	(विलोप)
१२६	शीर्षक	के	(विलोप)
१२८	१	पहा	यहां
१३३	अन्तिम से ८	हमरे	हमारे
१३४	१६	अनुमाम	अनुमान

१	२	३	४
१३५	शीर्ष	श्री वालकृष्ण कली	श्री बालकृष्ण कौल
१४१	१५	अभेयसिंह	अभयसिंह
१४४	अन्तिम से ४	में	मैं
१४५	अन्तिम से ४	her,	for
१४७	१४	जव	तब
,,	अन्तिम से २	उपर	ऊपर
१४६	अन्तिम से ६	ओर शोरगुल	ओर से शोरगुल
१५१	२	Manual	Ma :nual
,,	अन्तिम से १	o s n	ions on
१५२	अन्तिम से १६	1958,	1958.
१५७	अन्तिम से ६	रोहताजी	रोहतगीजी
१५८	अन्तिम से १५	ले	लें
,,	अन्तिम से १४	बतावे	बतावें
१६०	१	तें तें	तू तू
,,	४	असह्य	असह्य
,,	११	हो	हों
१६१	१२	प्रासीडिंग्स	प्रोसीडिंग्स
१६१–१६२	नोट	अध्यक्ष	अध्यक्ष
१६२	११	प्रासीडिंग्स	प्रोसीडिंग्स
,,	अन्तिम से १०	बखूरबार	कसूरवार
१६४	अन्तिम से ४	तथ्वपूर्ण	तथ्यपूर्ण
१६७	अन्तिम से १०	तीन माह (एक माह) तीन माह	तीन माह एक माह
१६८	१८	ऑफिसियो	ऑफिशियो
,,	१६	गोशाइजी	गोसांइजी
,,	१४	प्रश्न है। आपने	प्रश्न है आपने
१७०	१६	पि्याजी	प्रियाजी
१७१	१६	पि्याजी	प्रियाजी
१७३	अन्तिम से ८	निहगा	निगाह
१७७	२	(माडल)	(मॉडल)
१७६	अन्तिम से ११	र्कातिक	कार्तिक
,,	अन्तिम से १	मेहता	माधव
१८१	अन्तिम से २	तिलकायजी	तिलकायतजी

१	२	३	४
१८३	१०	wOrdship	worship
१८४	अन्तिम से १५	वयोविक्यम ।	"वयो धिक्यम्"
१८५	अन्तिम से १५	बावेल	बाबेल
१८६	२	में	में
१८७	अन्तिम से १२	ह्योगो	होगी
,,	अन्तिम से १०	व्यवस्या	व्यवस्था
,,	अ० से १०,६,१	स्वागत्	स्वागत
,,	अन्तिम से ६	साय	साथ
१८८	अन्तिम से ५	"ग्रो एन्ड"	"ग्रोर एन्ड"
१८९	२	सबको	सबको
,,	३	स्वागत्	स्वागत
,,	नीचे से २	अनकन्ट्रोवर्सि यल	अनकण्ट्रोवर्शियल
१९०	६	रे	से
१९०	१३	सबा	सेवा
१९२	१	टीनेन्ट	टेनेट
,,	५	लगाया	लाया
,,	६	मावना	भावना
,,	१७	बावेल	बाबेल
१९३	शीर्षक	बिश्व	विश्व
,,	१	श्री मान्धातासिंह	श्री मानधातासिंह
१९४	२	संशोधन)	(संशोधन)
,,	१४	किया में	किया है।
,,	१५	मशा	मैशा
१९५	४	ढाचे	ढांचे
,,	५	देने के	देने में
,,	११	बिलकुल	बिल्कुल
,,	१२	सूभाव है	सुभाव है।
,,	१५	शुरु में स्कोप	शुरु में स्कोप
,,	१६	स्पष्टि करण	स्पष्टीकरण
,,	अन्तिम से ६	वाजार	बाजार
१९६	११	करें	करे
,,	अन्तिम से १०	श्री गिरधारीलाल ध्यास	श्री गिरधारीलाल व्यास

२	२	३	४
१९६	अन्तिम से ६	बोलूंगा,	बोलूंगा ।
,,	अन्तिम से २	बोलूंगा	बोलूंगा
,,	अन्तिम	मै	मैं
१९७	शीर्षक	१९३६	१९६६
,,	१	श्री राधा कृष्ण गोगल	श्री राधाकृष्ण गोयल
,,	७	तै	तय
,,	१४	भावना ने	भावना से
,,	अन्तिम से ५	हैं।	है।
,,	अन्तिम से ३	हैं।	है।
,,	१	हैं	है
,,	५	हैं	है
,,	१०	हैं,	है।
,,	अन्तिम से १०	कहना	करना
,,	अन्तिम से ८	आपका	आपको
१९९	८	यूनीवसिटी	यूनिवर्सिटी
२००	१०	इिन्दी	हिन्दी
,,	अन्तिम से ८	व्यवस्या	व्यवस्था
,,	,, ७	धोर	घोर
,,	,, २	की	को
२०१	शीर्ष	श्री	श्री
,,	१२	तरक्की जा	तरक्की को जा
,,	१६	हैं। यहीं	हैं। यही
,,	१९	है	हैं
,,	अन्तिम से ६	डेवेलपमेंट	डवलपमेंट
२०२	१३	है	हैं
,,	१५	विलकुल	बिल्कुल
,,	१७	डिवेट	डिबेट
,,	अन्तिम से ६	i	I
२०३	अन्तिम से ७	you	You
२०४	१७	बावेल	बाबेल
,,	अन्तिम से ७	चौरससिंह	चौसरसिंह

१	२	३	४
२०४	अन्तिम से ५	ओर	और
२०५	६	आवश्यकता तो	आवश्यकता है तो
२०८	अन्तिम से ४/३	हमारा हमारा	हमारा
,,	अन्तिम से २	उसके	इसके
२०९	१५	ओर	और
२११	शीर्षक	विद्यालय	विद्यालय
,,	२	जनता के भी	जनता से भी
,,	अन्तिम से १४	गोविन्द	गोविन्द
२१२	३	लो	जो
२१३	३	एक्सिस्टेजन्स	एक्जिस्टेन्स
,,	१२	हज़बेन्ड्री	हजबेन्ड्री
,,	१३	भीं	भी
,,	१६	एग्रीकल्चर	एग्रीकल्चर
२१४	१	का	की
,,	१८	उपर	ऊपर
,,	अन्तिम से ८	हर	पर
२१५	शीर्ष	नाथूराभ	नाथूराम
,,	१२	मैं	में
२१६	१२	बांडी	बॉडी
२१८	अन्तिम से १७	ऐक्ट	एक्ट
,,	अन्तिम से ६	को	की
२१९	६	बावेल	बावेल
२२०	अन्तिम से १२	बावेल	बावेल
,,	अन्तिम से १०	संशोशन	संशोधन
,,	अन्तिम से ७	पिडवा	पिड़ावा
,,	अन्तिम से २	करें	करे
२२१	१२	कानन	कानून
,,	१३	उलंधन	उल्लंघन
२२२	अन्तिम से ७	मुत्त आल्लिक	मुतल्लिक
,,	अन्तिम से ४	को	की
२२४	अन्तिम से १५	सेट	मेंट
,,	अन्तिम से ११	प्रेस काइब्ड	प्रेसक्राइब्ड

१	२	३	४
	४	ओर	और
	अन्तिम से ७	टेपोम्रेरी	टेम्पोरेरी
	१६	पनेलाइज	पैनेलाइज़
	२२	सिनेना	सिनेमा
	अन्तिम	उतको पीनेलाइज	उनको पैनेलाज़
	२	व्ययस्था	व्यवस्था
	१६	भीड करते	भीड़ करते
	२१	क्ह	वह
	अन्तिम से २	टिकठ	टिकट
	अन्तिम	ठिकट	टिकट
से२४०	शीर्षक	सशोधन	(संशोधन)
	८	हू	हूँ
	२४	Contranenting	Contravening
	अन्तिम से ४	स्पंसिफिकली	स्पेसिफिकली
	११	क्षी राधाकृष्ण गोयल	श्री राधाकृष्ण गोयल
	अन्तिम से ३	द्वरा	द्वारा
	अन्मि से २	उन	उस
	७	त्रूटियों	त्रुटियों
	१०	टिक्ट	टिकिट
	२३	गोयल you	गोयल : You
१	१	टेंक्स	टेंक्स
	६	का	की
	८	ओर	और
	अन्तिम से ४	श्री सम्पतिलाल बोहरा	श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
	अन्तिम से २	गौयल	गोयल
	६	समाय्त	समाप्त
	१४	डिस्ट्रिक्ट्स	डिस्ट्रिक्ट्स
	२३	टक्स	टैक्स
	अन्तिम	उलंघन	उल्लंघन
	६	पकड्रा	पकड़ा
	१०	पावन्धी	पाबन्दी
,,	२०	इम्पोंज	इम्पोज

१	२	३	४
२३५	२	एज छोटा सा	एक छोटी सी
,,	७	गरबडी	गड़बड़ी
,,	६	बहूत	बहुत
,,	२२	श्री जोधसिंह	श्री जोधसिंह
२३६	१४	सिनमा	सिनेमा
२३७	२	सांधी	सांघी
,,	१७	में	मैं
२३८	७	राष्ट्	राष्ट्र
,,	१६	उपाध्य	उपाध्यक्ष
,,	१४	संसोधन	संशोधन
,,	१५	हें	हैं
,,	अन्तिम से ३	लाकेज	लीकेज
२३६	६	उल्लघन	उल्लंघन
,,	१०	किया	क्रिया
,,	१२	सिनेभा	सिनेमा
,,	,,	रूम्स	रूल्स
,,	१६	डनको	उनको
,,	१५	इन्टरटेन्मेंट	इन्टरटेनमेंट
,,	१६	विवेयक	विधेयक
,,	अन्तिम से ७	एडिटोरियम्स	ओडिटोरियम्स
२४०	१६,१८,२५,२८	पीनेलाइज	पैनेलाइज
२४१	१०	रूटिन	रुटिन
२४५	शीर्षक	सिनेमा	सिनेमा
२४५	१७	आराभ	आराम
२४५	१८	एन्टरटन्मेंट	एन्टरटेनमेंट
२४५	१६	no boy	nobody
२४५	२०	चोसर्गसिंह	चौसरसिंह
२४५	२१	निकोडाइन	निकोटिन
२४६	८	निम्बाहैड़ा	निम्बाहेड़ा
२४६	अन्तिम से ३	कल	वृहस्पतिवार